

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और प्रलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण भवन, फ्लैट-12, नया चाणूर जटल नगर, जिला-वाराणसी (उ.प्र.)

E-Mail : esec003@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 28/03/2023 को संयम 454वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

— 00 —

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 454वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 को डॉ. बी.पी. मोन्दरे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संयम हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. वीरेण कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री किरण सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 5. डॉ. मनोज कुमार चौधरी, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 6. श्री डी. राहुल वैश्य, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: 454वीं एवं 455वीं बैठक क्रमशः दिनांक 28/03/2023 एवं 29/03/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 454वीं एवं 455वीं बैठक क्रमशः दिनांक 28/03/2023 एवं 29/03/2023 को संयम हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के लक्ष्य सीधे प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त विधि से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: मौन/मुख्य सदस्यों संबंधी दायरियों के प्रस्तुतीकरण लगभग पर्यावरणीय पसीयुटि / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्देश लिया जाना।

1. वेसर्ट सुईला आईग एटोए क्वारी प्रोजेक्ट (प्ले- बी विलीय पौन), ग्राम-सुईला, तहसील-सिपना, जिला-बलौदाभाजार-नाटाघरा (सचिवालय कर पत्ती क्रमांक 2008) ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एसआईएन/ 19402/ 2022, दिनांक 02/07/2022 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/07/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहित





जाणकारी आज दिनांक तक अध्याप्त है। परिवेश बोर्डस पर आवेदित प्रकरण में ऑनलाईन जीटी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी होना पाया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व में संश्लिष्ट पूर्व प्रस्ताव (ग्रीन जॉनियर) खदान है। बाम-सुटेना, तहसील-सिंगा, जिला-बलीदाबाजार-भाटाबाघ, विद्या खसरा क्रमांक 99, 100, 101 एवं 102/2, कुल क्षेत्रफल-0.77 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित प्रमाणन क्षमता-4,899.38 टन प्रतिवर्ष है।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 03/03/2023 को संयुक्त 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा नोट किया गया कि जारी जीटी टी.ओ.आर. प्रकरण में अधिनियम टी.ओ.आर. की सभी अधिसूचित करने संबंधी समिति के समक्ष विचार किया जाना आवश्यक है।

प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिष्कार में परीक्षण उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण को एच.ई.ए.सी. प्रतीकण्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. प्रतीकण्ड के अध्याप्त दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्राप्तीयकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 28/03/2023

प्राप्तीयकरण हेतु की दितीय जेन, ऑनलाईन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जाणकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में पूर्व प्रस्ताव खदान खसरा क्रमांक 99, 100, 101 एवं 102/2, कुल क्षेत्रफल-0.77 हेक्टेयर, क्षमता-4,899.38 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति किया राष्ट्रीय पर्यावरण संसाधन निर्धारण प्रधिकरण, जिला-बलीदाबाजार-भाटाबाघ द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अवधि दिनांक 13/02/2022 तक वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"3A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध थी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जाणकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकीर्ण क्षेत्रीय कार्यवाही, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन





नंगलसव, राघपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रारम्भ प्रतिक्रियण प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ii. निर्दिष्ट सर्तनुसार कुआरेपन नहीं किया गया है।

iii. करपोलय कलेक्टर (खनिज सख), जिला-कलीदासजाल-नाटापना के ज्ञानन जनांक 4/16/स.सि./2022 कलीदासजाल, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पर अनुसार जिलत वर्ष में किये गये प्रखनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रखनन (टन)
2017-18	8,785
2018-19	3,150
2019-20	4,665
2020-21	4,665
2021-22	निरख

दिनांक 01/04/2022 से आज दिनांक तक किये गये प्रखनन की वार्षिक मात्र की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करताकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा यह पाया गया है कि वर्ष 2017-18 में परीचोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रखनन प्रखनन मात्र से अधिक प्रखनन कार्य किया गया है, जो कि प्रखनन की श्रेणी में जाता है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नंगलसव, नई दिल्ली के अधिसूचना नंगलसव दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का प्रखनन है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नंगलसव, नई दिल्ली के अधिसूचना नंगलसव दिनांक 07/07/2022 के अनुसार प्रखनन की प्रकरणों हेतु स्टीमडई ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार-

- i. Each cases of violation shall be subject to appropriate
 - a) Damage Assessment
 - b) Remedial Plan and
 - c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union/Territory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.
- ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).
- iii. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost





incurred up to the date of filing of application along with EIA/EEMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त विन्दुओं के अद्यतन पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनामत प्रमाण पत्र – उत्तराखण्ड के संवैधानिक कोड में ग्राम पंचायत सुईला का दिनांक 06/10/2004 का अनामत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तराखण्ड योजना – जारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एचएच क्लॉसर्ड प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम पंचायत (ग्राम प्रशासन), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाट के ग्राम क्रमांक 801/ख.सि./वीन-1/2018 बलीदाबाजार, दिनांक 29/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्पोरेट क्लॉसर्ड (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाट के ग्राम क्रमांक 418/ख.सि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 अनुसार अर्जेंट खदान से 500 मीटर की सीमा अतिक्रमण 3 खदानों, क्षेत्रफल 5.385 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्पोरेट क्लॉसर्ड (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाट के ग्राम क्रमांक 418/ख.सि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, कला, पुल, नदी, रेल लाइन, अस्पताल, स्कूल, एंटीकॉन्ट बंध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. लीज का विवरण – प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवर्तित दस्तावेज द्वारा बताया गया कि पूर्व में लीज की विज्ञापन किंग टाऊन के नाम पर की। लीज का दस्तावेज दिनांक 21/12/2008 को श्री दिनेश जैन के नाम पर किया गया। समिति का मत है कि लीज संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. भू-स्वामित्व – भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनामत प्रमाण पत्र – कार्पोरेट वनसंरक्षक/अधीक्षक, रायपुर वनसंरक्षक, जिला-रायपुर के ग्राम क्रमांक/वा.सि./रा./2004 रायपुर, दिनांक 28/10/2004 से जारी अनामत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के निकटवर्ती वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का परीक्षण करवा दूरी वनसंरक्षक/अधीक्षक से अद्यतन अनामत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटवर्ती अनादी ग्राम-सुईला 500 मीटर, स्कूल ग्राम-सुईला 550 एवं अस्पताल भाटाघाट 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21.5 कि.मी. एवं राजमार्ग 11 कि.मी. दूर है। सातव 1.25 कि.मी. दूर है।





11. **परिस्थितिहीन/जीवविकिरण संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित इंडिस्ट्रिअली प्रोब्लूटेड एरिया, परिस्थितिहीन संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविकिरण क्षेत्र स्थित नहीं होगा उल्लिखित किया है।

12. **खनन सामग्री एवं खनन का विवरण** – जिवोलाजिकल रिजर्व 1,57,388 टन, माईनेबल रिजर्व 51,273 टन एवं रिक्वायरेबल रिजर्व 89,148 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए उचित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,848.39 वर्गमीटर है। खनन कार्य सभी मेकैनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपरि मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 308.74 घनमीटर है। बंध की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अक्षर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। लोक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विक्रयण किया जाता है। वर्षावा प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,885.18	षष्ठम	4,885.33
द्वितीय	4,885.00	सप्तम	4,885.02
तृतीय	4,885.08	अष्टम	4,885.13
चतुर्थ	4,885.22	नवम	4,885.05
पंचम	4,884.98	दशम	4,885.38

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरोल से माध्यम से की जाती है। इस वास्तु संयुक्त राज्य 4000 अर्थात् 4000 से अनुमति प्राप्त कर प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 वन वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,848.39 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 1,080.76 वर्गमीटर क्षेत्र 0.5 मीटर की गहराई तक, 1,182.83 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक एवं 582.80 वर्गमीटर क्षेत्र 7 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमति कर्तरी प्लान में किया गया है। उल्लिखित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्थिति की गारंटी का प्रत्यक्ष है। अतः परियोजना प्रस्तावक को विस्तृत नियमानुसार कालिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. **उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे बोल माईनिंग प्रोटेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें कालिक पत्रों के अनुसार:-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक हॉट को अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में कृत्रिमता किया जाना आवश्यक है।

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा से जारी प्रमाण पत्रों (300 मीटर, 200 मीटर, विगत वर्षों में किये गये उत्खनन) में सख्त क्रमांक 87, 88, 89, 100, 101 एवं 102/2 का उल्लेख है, जबकि लीज दस्तावेज, माईनिंग प्लान, पूर्व जारी पर्यावरणीय लीक्युटि में सख्त क्रमांक 88, 100, 101 एवं 102/2 का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त के संबंध में खनिज विभाग के स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/08/2018 को जारी जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार डिपॉजिटिकल रिजर्व 1,37,288 टन, माईनेबल रिजर्व 54,273 टन एवं रिक्वायरेबल रिजर्व 48,148 टन है। समिति का मत है कि अद्यतन स्थिति में रिजर्व (डिपॉजिटिकल रिजर्व, माईनेबल रिजर्व एवं रिक्वायरेबल रिजर्व) को गणना कर जानकारों प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. माईन लीज क्षेत्र के घाटी क्षेत्र 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपयो (Operational Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग डिपॉजिटिविटी के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपयो क्या कृत्रिमता आवे के सिद्ध समुचित उपयो को डिपॉजिटिविटी बनाने संबंध में संघालक, संघालनालय, बीमिडी तथा खनिजन, इंडस्ट्री भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (अतीनागढ़) को लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी लीज परटी में अधिक उत्खनन किया जाना एवं जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध निम्नानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, बीमिडी तथा खनिजन को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु उत्तीनागढ़ पर्यावरण संरक्षण संसल, नया रायपुर अटल नगर को वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय लीक्युटि का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा से जारी प्रमाण पत्रों (300 मीटर, 200 मीटर, विगत वर्षों में किये गये उत्खनन) में सख्त क्रमांक 87, 88, 89, 100, 101 एवं 102/2 का उल्लेख है, जबकि लीज दस्तावेज, माईनिंग प्लान, पूर्व जारी पर्यावरणीय लीक्युटि में सख्त क्रमांक 88, 100, 101 एवं 102/2 का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा को पत्र लेख किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक पर आवेडिट प्रकरण में ऑनलाइन ऑपी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी हो गया है। परियोजना प्रस्तावक को जारी ऑपी





टी.ओ.आर. में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार अतिरिक्त टी.ओ.आर. कार्य निर्धारित किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C, Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
- v. Project proponent shall submit extended lease deed copy at the time of EIA submission.
- vi. Project proponent shall submit the current status of geological, mineable & recoverable reserve.
- vii. Project proponent shall submit the latest NOC from DFO forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- viii. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with consent letter from land owners for uses of land.
- ix. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- x. Project Proponent shall submit an undertaking that top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- xii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.
- xiii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xvii. Project proponent shall submit the copy of panorama and photographs of every monitoring station.
- xviii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone.

calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

- xix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xx. Project proponent shall complete plantation of previous EC in 7.5 meter safety zone area of 05 feet height and submit a photographs along with the EIA report.
- xxi. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xxii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xxiii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xxiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.
- xxv. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
- xxvi. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by accredited consultants.
- xxvii. The project proponent shall submit penalty provisions plan as per the MoEF&CC office memorandum: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.
- xxviii. The project proponent shall submit turnover details certified by Chartered Accountant during the period of violation.
- xxix. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

- xxx. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.
- xxxi. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.
- xxxii. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

राज्य पर्यावरण पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एन.ई.ए.आर.ए.), प्रतीकनद को उपानुसार सुधित किया जाय। राज्य ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, तथा रायपुर अटल नगर तथा कार्यालय कलेक्टर (खनिज संसाधन), जिला-बलौदाबाजार-बाटाबाटा को पत्र लेख किया जाय।

3. मेरुस रानीजरीद लाईन स्टाइन माइनिंग प्रोजेक्ट (सी- की विवेक अदालत), राम-रानीजरीद, तहसील-सिग्गा, जिला-बलौदाबाजार-बाटाबाटा (समिचालन का नस्ती क्रमांक 2088)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एन.ए.आर./ सी.पी./ एन.ए.आर./ T0804/ 2022, दिनांक 04/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अतिरिक्त होने से प्रारम्भ दिनांक 15/07/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रस्तावक द्वारा सहित जानकारी अद्यतन है। परिवेष्टा बोर्ड के आवेदित प्रकरण में ऑनलाइन ऑटो टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी होना बाक्य गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह खनिज विचार का प्रकरण है। यह पूर्व में संघटित चूरा पत्थर (लोक खनिज) खदान है। खदान राम-रानीजरीद, तहसील-सिग्गा, जिला-बलौदाबाजार-बाटाबाटा स्थित खदान क्रमांक 84, 85/1, 85/2, 86/2, 80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 एवं 88, कुल क्षेत्रफल- 2,888 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-82,813.75 टन प्रतिवर्ष है।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - प्रयोजन प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 08/09/2022 को संयुक्त 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा जारी कर अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा नोट किया गया कि जारी ऑटो टी.ओ. आर. प्रकरण में अतिरिक्त टी.ओ.आर. की तारी अतिरिक्त करने बाक्य समिति के समक्ष विचार किया जाना आवश्यक है।

प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सार्वजनिक से उपरोक्त कार्य को परियोजना में परीक्षण उपर्युक्त निषेधनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण को एन.ई.ए.सी., प्रतीकनद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। समिति की अनुपस्थिति को सूचित करते हुए उपरोक्तानुसार टर्म ऑफ रेफरन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एआईएपी, कर्तवीरगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2023 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 28/03/2023

अनुमोदन हेतु की विवेक उपकार, टोपसाईतर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नयी, प्रस्तावित जानसारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- a. पूर्व में श्री नंदकिशोर अग्रवाल को पूरा पत्थर खदान खतरा क्रमांक 82, 81/1, 81/2, 81/3 एवं 81/4 कुल क्षेत्रफल-0.831 हेक्टेयर, क्षमता-11,028.88 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघर निर्देशन प्रतिकरण, जिला-बलीदासजान-नाटाघरा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक अवधि दिनांक 13/02/2022 तक वैध थी।
- b. पूर्व में श्री मनोज ठाकुर को पूरा पत्थर खदान घाटे जीक क्षमता क्रमांक 84, 85/1, 85/2 एवं 86/2, कुल क्षेत्रफल-0.878 हेक्टेयर, क्षमता-9,884.87 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघर निर्देशन प्रतिकरण, जिला-बलीदासजान-नाटाघरा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक अवधि दिनांक 13/02/2022 तक वैध थी।
- c. पूर्व में श्री अशिता कुमार अग्रवाल को पूरा पत्थर खदान खतरा क्रमांक 88, कुल क्षेत्रफल-1.121 हेक्टेयर, क्षमता-30,228 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघर निर्देशन प्रतिकरण, जिला-बलीदासजान-नाटाघरा द्वारा दिनांक 27/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 18/01/2017 से 5 वर्ष की अवधि तक अवधि दिनांक 09/01/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"IA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी।

- a. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों से पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व





में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंधन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- v. निर्दिष्ट वर्दानुसार वृद्धावधि नहीं किया गया है।
- vi. कर्नाटक इलेक्टर (खनिज सख्त) जिला-बल्लारि-बाजल-बाजल, के द्वारा दिनांक 08/07/2022 बल्लारि-बाजल, दिनांक 07/07/2022 द्वारा जारी प्रथम पत्र अनुसार शिवाजी में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

1. श्री नंदकिशोर अग्रवाल को स्वीकृत पूरा पत्थर उत्खनिमदता

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	7,885
2018-19	11,880
2019-20	13,415
2020-21	12,140
2021-22	8,000

2. श्री विवेक अग्रवाल को स्वीकृत पूरा पत्थर उत्खनिमदता

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	
2018-19	निरंक
2019-20	
2020-21	3,000
2021-22	निरंक

समिति का मत है कि श्री मनोज राजु को नाम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14/02/2017 का समाप्तन श्री विवेक अग्रवाल को नाम से किये जाने बाबत दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. श्री अंकित अग्रवाल को स्वीकृत पूरा पत्थर उत्खनिमदता

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	4,280
2018-19	17,115
2019-20	7,385
2020-21	13,885
2021-22	12,810

दिनांक 01/04/2022 में आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वार्षिक मात्र की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित बनाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा यह पाया गया है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में श्री नंदकिशोर अग्रवाल द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित उत्खनन मात्र से अधिक उत्खनन कार्य किया गया है, जो कि उत्खनन की श्रेणी में आता है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसंधु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली को अधिसूचना संख्या 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High

Handwritten signature



Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीनस्थ क्षेत्रीय विभाग 07/07/2022 के अनुसार उल्लेखन के प्रकल्पों हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार-

- i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
 - a) Damage Assessment
 - b) Remedial Plan and
 - c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committee or State/Union/Territory level Expert Appraisal Committee, as the case may be.
- ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).
- iii. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EMU/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त दिशुद्धी के अन्तर्गत पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. घास पंखावत का अनपेक्षित प्रमाण पत्र - उल्लेखन के संशय में अधिसूचित सभी खसरी का उल्लेख करते हुए घास पंखावत का अनपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. वायुमन योजना - खसरी मॉडर्निंग प्लान द्वाारा विद्यमान मॉडर्निज कलेक्टर प्लान विद्यमान इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संघालक (स.स.) संघालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्न, नया रायपुर जटल नगर को पृ. क्रमण क्र. 2022/खनि02/स.स.अनुमोदन/न.क्र.08/2021(1) नया रायपुर, दिनांक 23/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सहाय), जिला-बलीदाबाजार-बाटापारा के द्वारा क्रमांक 883/ख.नि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 08/07/2022 के अनुसार अधिसूचित खदान (3 खदानों का समूह) को 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानों, सीकन्स 82.383 हेक्टेयर क्षेत्र बताया गया है। समिति का मत है कि एक प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि तीनों खदानों के समावेशन (amalgamation) के पश्चात् उन्हें एक खदान मानकर विद्यमान क्षेत्र विद्यमान खदान के सीमा सीमा से 500 मीटर की परिधि में अधिसूचित खदानों का विवरण दिया जाना आवश्यक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संघालन - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सहाय), जिला-बलीदाबाजार-बाटापारा के द्वारा क्रमांक 883/ख.नि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 08/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जटल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर,



पुनः राष्ट्रीय राजमार्ग, एनईएच, बंध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. लीज का विवरण – संघालयालय, भीमिही तथा खनिकर्ण, नया रावपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1324/खनि02/उ.प.समाभेदन/न.अ.03/2021 तथा रावपुर दिनांक 11/04/2022 द्वारा जल लीजों का समाभेदन (amalgamation) की विवेक कुमार अडवाल के नाम पर किया गया। सम्मिलित (amalgamated) लीज क्षेत्र की पैदाश दिनांक 26/07/2008 तक है। लीजों का समाभेदन (amalgamation) विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पट्टेदार का नाम	खसरा क्रमांक	लीज क्षेत्र (हेक्टर)	अवधि
1.	श्री विवेक कुमार अडवाल	84, 85/1, 85/2, 86/2	0.878	दिनांक 27/07/2008 से 26/07/2008 तक
2.	श्री नंदकिशोर अडवाल	80, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4	0.631	दिनांक 15/01/2008 से 14/01/2008 तक
3.	श्री अशिता अडवाल	88	1.121	दिनांक 10/03/2017 से 09/03/2047 तक
4.	सम्मिलित क्षेत्र नियम 67 (8)	80,	0.08	श्री नंदकिशोर अडवाल
5.	के अनुसार	84,	0.04	राजकीय भूमि
		86/2	0.03	श्री अशिता अडवाल
6.	समाभेदन पश्चात् कुल क्षेत्र			2.668

पूर्व में लीज की नवीन रावपुर के नाम पर श्री जिलका इस्तेमाल दिनांक 22/10/2018 को श्री विवेक अडवाल के नाम पर किया गया।

7. भू-सम्मिलित – भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी-1, बी-2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनामतित प्रमाण पत्र – लीज क्षेत्र के निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी का पालन करते हुए वनसम्पदाधिकारी से अद्यतन अनामतित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी घाट-राजीवराव 1.5 कि.मी. स्कूल घाट-राजीवराव 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल गुहेला 2 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 कि.मी. एवं राजमार्ग 16 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैववैज्ञानिक संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिष्टकारी पॉइन्ट्स एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैज्ञानिक क्षेत्र स्थित नहीं होना जतिबंधित किया है।
12. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण – जियोलाजिकल रिजर्व 17,62,483 टन, कार्बनिल रिजर्व 7,33,545 टन एवं लिक्विड रिजर्व 6,87,387 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल

11

8,780 वर्गमीटर है। जीवन कास्ट सेमी सेमीनार्डोस विधि से परखनन किया जाता है। परखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में जल की गिहटी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,888 वर्गमीटर है। बेंब की मोटाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सम्पत्ति आयु 14.3 वर्ष है। जीक क्षेत्र से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में खनन स्थिति है, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पल का विद्युतगत किया जाता है। खनन प्रस्तावित परखनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित परखनन(टन)
प्रथम	50,813.75
द्वितीय	50,813.75
तृतीय	47,812.80
चतुर्थ	50,813.25
पंचम	50,882.50

13. पल आयुति - परीक्षण हेतु आवश्यक पल की मात्रा 2.84 वर्गमीटर प्रतिदिन होती है। पल की आयुति खनन के माध्यम से की जाती है। इस कार्य में पल प्राप्त करने की सुविधा के अभाव में अनुचित प्रावण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. कुशलरक्षण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 मम कुशलरक्षण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में परखनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 8,780 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 2,830 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर एवं 800 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक परखनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिदिन 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में परखनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का परलक्षण है। अतः परीक्षण प्रस्तावक को विद्युत निवन्धनुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
16. परलक्षणनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे काले माइनिंग प्रोवोकड्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 13(1) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइन लीज क्षेत्र की ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में कुशलरक्षण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त शर्तसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्वन किया गया:-

1. माइन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये परखनन के कारण इस क्षेत्र के उपघाटी उपघाटी (downwind) दिशाओं के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के ओर माइनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपघाटी पल कुशलरक्षण आदि के लिये अनुचित उपघाटी को

RL



निम्नलिखित कठाने बाबातु संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिजम्, इलाचली भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (झरखण्ड) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी में अक्षिप्त उत्खनन किया जाना चाये जाने पर परिषदीय प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिजम् को एवं पर्यावरण को हानि पहुचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का वालन प्रतिबंधन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय पर्यावरण भासल सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परीक्षण संघालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।
4. परिलेख चार्टर पर आवेदित प्रकल्प में ऑनलाइन ऑटो टी.ओ.आर. रिनांक 07/11/2022 को जारी हो गया हे। परिषदीय प्रस्तावक को जारी ऑटो टी. ओ.आर. में समिति द्वारा विचार विमर्त उपरालत सर्वसम्मति से निम्नानुगत अतिरिक्त टी.ओ.आर. सर्त निर्धारित किये जाने की अनुमता की गई—
 - i. Project Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&OC Raipur.
 - iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
 - v. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat with mentioning all khassa numbers of mining lease.
 - vi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines, three mines are amalgamated as one mine and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
 - vii. Project proponent shall submit the latest NOC from DFO forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
 - viii. Project proponent shall submit the land documents (B-1 & P-2) with consent letter from land owners for uses of land.
 - ix. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - x. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - xii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.

- iii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- iv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- v. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- vii. Project proponent shall submit the copy of panchrama and photographs of every monitoring station.
- viii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of GPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- x. Project proponent shall complete plantation of previous EC in 7.5 meter safety zone area of 05 feet height and submit a photographs along with the EIA report.
- xi. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.
- xv. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

- xxv. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by accredited consultants.
- xxvi. The project proponent shall submit penalty provisions plan as per the MoEF&CC office memorandum:- Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.
- xxvii. The project proponent shall submit turnover details certified by Chartered Accountant during the period of violation.
- xxix. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.
- xxx. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.
- xxxi. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.
- xxxi. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

सबसे राष्ट्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियामें (एच.ई.आई.ए.ए.) अतीवगत की परामुखार सुचित किया जाए। साथ ही दृष्टीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया दण्डु अटल नगर की पर लेख किया जाए।

3. मसलत आगलकीरी लाईन फटील स्वारी माईनिंग (डी-बी मगली प्रसार कमी, प्राण-आगलकीरी, पहरीत-सिलगा, जिला-बलीदाबाजार-महाप्राण (सचिवालय का नली क्रमांक 2100)

अनलाईन आवेदन - अनेकल नमर - एसआईए / सीजी / एनआईएन / 19538/2022, दिनांक 04/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु अनलाईन आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनलाईन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञान दिनांक 15/07/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सचित जानकारी अग्रत है। परिवेश पोर्टल के आवेदन प्रकल्प में अनलाईन ऑटो टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी होना गया था।

Handwritten signature

Handwritten mark

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संशोधित पूरा पथन (मीन खनिज) खदान है। खदान घाट-आवासीनी, चहरील-सिन्गा, जिला-कसीदाबाजार-बाटाघाट स्थित पार्ट ऑफ लॉट क्रमांक 280, कुल क्षेत्रफल-1.273 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित परमाणु क्षमता-31,290 टन प्रतिवर्ष है।

प्रतिक्रमा द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रमा की दिनांक 03/03/2023 को संभव 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा नसी की आवेदिका को विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा नोट किया गया कि जारी जॉयंट टी.ओ.आर. प्रस्ताव में अतिरिक्त टी.ओ.आर. की शर्त अधिस्थित करने कायदा समिति के समक्ष विचार किया जाना आवश्यक है।

प्रतिक्रमा द्वारा विचार निर्णय उपरोक्त कार्यसमिति को उपरोक्त लक्ष्य के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव को एच.ई.ए.सी., प्रतीमागढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। समिति की अनुमति को स्वीकार करती हूँ उपरोक्तानुसार टार्ज ऑफ रेफरेंस (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., प्रतीमागढ़ के द्वारा दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतिका हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 28/03/2023।

प्रस्तुतिका हेतु श्री श्री मंगळी प्रसाद वर्मा, जॉयंट/एर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिध्ति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में श्री बलराज मखारजी को पूरा पथन खदान पार्ट ऑफ लॉट क्रमांक 280, कुल क्षेत्रफल-1.271 हेक्टेयर, क्षमता-31,290 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सलाहकार निर्देशन प्रतिक्रमा, जिला-कसीदाबाजार-बाटाघाट द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अवधि दिनांक 14/03/2022 तक वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"1A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/03/2023 तक वैध होगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

संसाध्य, रायपुर से पूर्व में जारी सर्वेक्षणों की स्वीकृति का प्रारम्भ प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ii. निर्धारित सार्वभूमिक न्यायों को स्वीकृत किया गया है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वभूमिक), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाट के ज्ञान क्रमांक 1188/वीन-6/2022 बलीदाबाजार, दिनांक 20/12/2022 द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न वर्षों में उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017-18	4000
2018-19	1,763
2019-20	410
2020-21	30
2021-22	400

दिनांक 01/04/2022 से आज दिनांक तक विभिन्न वर्षों में उत्खनन की कार्यालयिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कलाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. काम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में काम पंचायत अनापत्ती का दिनांक 21/03/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में काम पंचायत का उपरोक्त अनापत्ती प्रमाण पत्र (अपरोक्षी बिल्ट एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - खनिज क्षेत्र जारी मासिक प्लान एलान विधि मासिक उत्खनन प्लान विधि इन्फार्मेटिव मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संसाध्य (ख.प्र.), संघालय, भीमिरी तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञान क्र. 1888/खनि 02/मा.प्र.अनुमोदन/न.क्र.08/2021(1) तथा रायपुर, दिनांक 07/04/2022 द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के सदस्यों ने जांच कि प्रस्तुत अनुमोदित जारी प्लान में कुल लीज क्षेत्र रकबा 1,375 हेक्टेयर का उल्लेख है, जबकि अनलाइन आवेदन में कुल लीज क्षेत्र रकबा 1,373 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त के संदर्भ में स्वीकृति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वभूमिक), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाट के ज्ञान क्रमांक 213/ख.नि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 02/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 62,814 हेक्टेयर होने बताया गया है। जिसमें केवल विचारहीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों की 500 मीटर की भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (अथ संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस लीज खनिज क्षेत्र में अन्य लीज के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनिटीस निगरान क्षेत्र में विचारहीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर की भीतर अन्य खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर की भीतर अन्य खदानों को (क्लस्टर में खदानों को नहीं तक शामिल किया जाए,

- जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाओं के संबंध में जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्रेषित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 6. लीज का विवरण - पूर्व में लीज की काल जानकारी के नाम पर की। लीज लीज 10 वर्ष अवधि दिनांक 28/04/2008 से 28/04/2018 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी। उपर्युक्त लीज लीज 20 वर्ष अवधि 28/04/2018 से 28/04/2038 तक की अवधि हेतु निरस्तित की गई है। लीज का हस्तांतरण दिनांक 08/02/2022 को श्री गणेशी प्रसाद वर्मा के नाम पर किया गया।
 7. भू-समिति - भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज (पी-1, पी-2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
 9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणधिकारी, रायपुर वनसंरक्षण, जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक/मा.वि./स./1349, रायपुर दिनांक 28/08/2007 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकलने वन क्षेत्र की दूरी का सतर्क कर्तव्य हेतु वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 10. सड़कपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-टेकरी 600 मीटर, खड्ड ग्राम-जरीद 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-गुहेला 4.26 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जमुनिया नदी 4 कि.मी. दूर है।
 11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - पर्यावरण प्रदायक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय चीन्हा, राष्ट्रीय पद्यान्, अन्धकारण, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विविधता संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
 12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व 3,47,082 टन, पाईनेबल रिजर्व 2,12,887 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 2,02,338 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी चीन्हा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,255 वर्गमीटर है। खनन क्वॉट सभी कंसेन्ट्रिड विधि से उत्खनन किया जाता है। क्वॉट सिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। बेस की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7.03 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थिति नहीं है एवं इसकी स्थापना कर प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल अवस्थित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिस्तेम किया जाता है। सर्वेक्षण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
अल्प	31,020
द्वितीय	31,020

Bl

D

पूर्वीय	31,260
पश्चिमी	31,000
कुल	27,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10.32 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति हेतु स्वतंत्र एवं संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
14. कुशासन कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहरी में 500 मम कुशासन किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गहरी में पलखनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा गहरी का कुल क्षेत्रफल 3,355 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 180 वर्गमीटर क्षेत्र 3.5 मीटर की गहरी तथा 345 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहरी तक पलखनित है जिसका उल्लेख अनुमति पत्र में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा गहरी में पलखनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन है। अतः परियोजना प्रस्तावक को विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
17. उल्लेखनीय है कि मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा नीचे बोल माईनिंग प्रोटेक्टस हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 53.13 के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में कुशासन किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन प्लान में चारों ओर खदान क्रमांक 208 एवं लीज क्षेत्रफल 1,378 हेक्टेयर के स्थान पर कुटियास चारों ओर खदान क्रमांक 280 एवं लीज क्षेत्रफल 1,373 हेक्टेयर का उल्लेख हो गया है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन के दौरान मासखानी पूर्णतः समस्त भूमि संबंधी दस्तावेज के साथ आवेदन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त शर्तों/सम्पत्तियों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये पलखनन के कारण इस क्षेत्र के उपजाऊ जमावें (Barrenland Material) के संख्या में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग किये/करायी के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक जमावें तथा कुशासन आदि के लिये समुचित जमावों को क्रियान्वित करने काबजू संसाधक, संभालनालय, भीमिडी तथा खनिजन, इंदारवाली खनन, तथा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

- xiv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xviii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate into the EIA report the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xx. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xxi. Project proponent shall complete plantation of previous EC in 7.5 meter safety zone area of 05 feet height and submit a photographs along with the EIA report.
- xxii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xxiii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xxiv. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xxv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण इमारत आकलन प्रधिकरण (एस.ई.आय.ए.ए.), उत्तीरगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नया रायपुर जटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. मेरवा रवीन्द्रजींद लाईन स्टोन कारी मर्गन प्रोजेक्ट (प्री- बी अनिल कुमार जसवानी, सी-टैब लाईन स्टोन कारी, टाउन-रवीन्द्रजींद, तहसील-सिमरा, जिला-बलीदाभाजार-भारतखण्ड (सचिवालय का नशी क्रमांक 1780)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन पत्र - एमआईए/ सीओ/ एमआईएन/66876/2021, दिनांक 03/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परिवोजना प्रसावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कनिष्ठी होने से प्रारण दिनांक 13/09/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिवोजना प्रसावक द्वारा बरिष्ठ जानकारी दिनांक 27/07/2022 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई। बरिष्ठ पोर्टल को आवेदित प्रकल्प में ऑनलाइन ऑटो टी.ओ.आर. दिनांक 17/10/2022 को जारी होना फल गया है।

प्रसाव का विवरण - यह पूर्व से संघरिष्ठ कृषा पत्थर (पीथ खनिज) खदान है। खदान टाउन-रवीन्द्रजींद, तहसील-सिमरा, जिला-बलीदाभाजार-भारतखण्ड सिव्ठ खला क्रमांक 81, कुल क्षेत्रफल-1.082 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित तलखन सफा-14,782.83 टन प्रतिवर्ष है।

प्रधिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्ता प्रकल्प पर प्रधिकल्प की दिनांक 03/03/2023 को संघन 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकल्प द्वारा नशी का अवलोकन किया गया। प्रधिकल्प द्वारा नोट किया गया कि जारी ऑटो टी.ओ.आर. प्रकल्प में अरिबिज्ञा टी.ओ.आर. की नशी अरिबेदित करने बाबत समिती को सफा विचार किया जाना आवश्यक है।

प्रधिकल्प द्वारा विचार किर्षी उपरोक्त सारिसम्मति से उपरोक्ता टावों को परियेष्ठ में परीक्षण उपरोक्त नियमानुसार करवैवही किरे जाने हेतु प्रकल्प को एम.ई.ए.सी., अलीसगढ़ को सफा प्रस्तुत किरे जाने का निर्णय लिया गया है। समिती की अनुसंसा को नशीकार करने हुने उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक कुनवाई सटिफा) जारी करने का निर्णय लिया गया।

उदानुसार परिवोजना प्रसावक को एम.ई.ए.सी., अलीसगढ़ को प्रारण दिनांक 09/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिती की 434वीं बैठक दिनांक 08/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी अरिबिधि उपरिष्ठा नहीं हुए। परिवोजना प्रसावक द्वारा कोई अनुसंसा नब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिती द्वारा तलखन सारिसम्मति से निर्णय लिया गया बा कि परिवोजना प्रसावक द्वारा बरिष्ठ जानकारी एवं अनुसंसा नब प्रारण होने पर आगामी करवैवही की जाएगी। परिवोजना प्रसावक को उदानुसार सुचित किया जाए।

परिवोजना प्रसावक को एम.ई.ए.सी., अलीसगढ़ को प्रारण दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिती की 439वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु बी सिजानगंठ जसवानी, अरिबिष्ठ अरिबिधि उपरिष्ठा हुए। समिती द्वारा नशी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न अरिबिधि पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में मृदा पालन अधिनियम 1986 के तहत कुल क्षेत्रफल-1.092 हेक्टेयर, क्षमता-14,817.52 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्रतिकल्प, जिला-बलीदासगंज-भाटाघाट, दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अवधि दिनांक 09/01/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2022 तक वैध होगी।

a. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त रूप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

b. निर्धारित शर्तानुसार सुधारोपम नहीं किया गया है।

c. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त) जिला-बलीदासगंज-भाटाघाट, के द्वारा क्रमांक 586/बी 3-3/न.स. 21/2005 बलीदासगंज, दिनांक 27/03/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	7,500
2018-19	8,500
2019-20	5,500
2020-21	2,500
2021-22	8,500
2022-23 (जानवरी 2023)	5,080

समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09/01/2022 तक की जबकि उपरोक्त यह अनुसार 2022 से जनवरी 2023 में 5,080 टन का उत्खनन किया जाना बताया गया है। अतः इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त) से दिनांक 09/01/2023 को पर्याप्त किये गये उत्खनन/उत्पादन की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. धाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में धाम पंचायत समीक्षणीय का दिनांक 08/04/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र 10 वर्ष हेतु जारी किया गया था। समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में धाम पंचायत का

अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (सामंदाजी केन्द्र एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. सखनन योजना - जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एक संवालय (खनि प्रशासन) जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाट के ज्ञापन क्रमांक 2459/ख.लि./वीन-1/2016 बलीदाबाजार, दिनांक 03/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाखा) जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाट, के ज्ञापन क्रमांक 149/ख.लि./2021 बलीदाबाजार, दिनांक 17/06/2022 अनुसार अर्जित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 68.137 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विद्यार्थीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। प्रस्तुत प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कल खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (कांसा संशोधित) में परिभाषित कलक्टर अनुसार "कई कलक्टर का काम बताया जाएगा, जब एक लीज के परिभाषों के बीच दूरी एक सड़क खनिज क्षेत्र में अन्य गट्टे के परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कलक्टर हेतु हीनोडिनिफा मिन्टल क्षेत्र में विद्यार्थीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करने हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलक्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज खाखा) जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाट, के ज्ञापन क्रमांक 149/ख.लि./2021 बलीदाबाजार, दिनांक 17/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार तथा खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, नदी, राष्ट्रीय राजमार्ग, एनईएट बंध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
6. लीज का विवरण - लीज की अनिल कुमार जसदानी के नाम पर है। लीज क्षेत्र 15 वर्षों अवधि दिनांक 03/10/2007 से 02/10/2026 तक की अवधि हेतु देय थी। उत्तरांचाल लीज क्षेत्र 15 वर्षों अवधि दिनांक 03/10/2018 से 02/10/2031 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. मू-स्वामित्व - भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी-1, बी-2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, रायपुर सामान्य वन मण्डल, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 11/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र में निम्नलिखित वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करने वाले वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त वन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाट-समीपस्थ 870 मीटर, स्थूल घाट-कुंडला 2.5 कि.मी. एवं अस्वाहाल कुंडला 2.5 कि.मी की दूरी पर

स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38 कि.मी. एवं राजमार्ग 12 कि.मी. दूर है। तालाब 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। शिवनाथ नदी 38 कि.मी. दूर है।

11. परिसिंचितक्षेत्र/पैदासिंचिता समेकनक्षेत्र क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जनजात, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिक्ली पीम्पुटेज एरिया, परिसिंचितक्षेत्र समेकनक्षेत्र या घोषित पैदासिंचिता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खानन क्षमता एवं खानन का विवरण – त्रिघोलीचिकल निजर्ग 3,58,752 टन, माईनेबल रिजर्व 1,84,388 टन एवं रिक्लरिबल रिजर्व 1,48,388 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खानन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,510.17 वर्गमीटर है। औपम कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेस की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। जैक हेमर से डिजिटल एवं कंट्रोल प्लानिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में उत्खनन स्थानित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिफ्टकार किया जाता है। वर्षाकर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन(टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	18,438.25	षष्ठम	18,438.25
द्वितीय	18,438.25	सातम	18,438.25
तृतीय	18,438.25	अष्टम	18,438.25
चतुर्थ	18,438.25	नवम	18,438.25
पंचम	18,438.25	दशम	18,438.25

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति हेतु स्रोत एवं संबंधित विधान से अनापत्ति प्राप्त पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. कृषासेवा कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी और 7.5 मीटर की पट्टी में 800 मम कृषासेवा किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के घाटी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,510.17 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 3,389.89 वर्गमीटर क्षेत्र 10 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय सवीक्षति की शर्तों का उत्तरदायक है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमनुसार वैधानिक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज के दक्षिण भाग में 7.5 मीटर की सीमा पट्टी 1,120.28 वर्गमीटर (जिसमें उत्खनन कार्य नहीं किया गया है) में क्षेत्र 10 मीटर की गहराई तक की क्षेत्र की गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जबकि अनुमोदित माईनिंग प्लान में ही 22 मीटर तक की गहराई तक उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि लीज के दक्षिण भाग में 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 22 मीटर की गहराई तक से क्षेत्र

को गैर माइनिंग क्षेत्र में शामिल करने के लिए रिजर्व की पुनः गणना कर संबंधित अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा नीचे बोल माइनिंग प्रॉजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 18.13 के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जॉन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसापेक्षी से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. माइन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जॉन के कुछ भाग में निम्ने पर उल्लेखन के कारण इस क्षेत्र के उपरोक्त उपायों (Remedial Measures) के संकल्प में उक्त लीज क्षेत्र के अंदर माइनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के निम्ने समुचित उपायों को क्रियान्वित बनाने बाबत संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा सैनिकरी, इंद्रावती खान, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (अलीखण्ड) को लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पर्यटों में औद्योगिक उत्खनन किया जाना चाहे जाने का परिचालन प्रस्तावक के विरुद्ध निम्नानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा सैनिकरी को एवं पर्यावरण को शर्तें पूरवाने हेतु प्रत्तीखण्ड पर्यावरण संरक्षण संकल, नया रायपुर अटल नगर को वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का भारत प्रतिवेदन के संकल्प में एकीकृत क्षेत्रीय पर्यावरण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।
4. प्रतिबंध पोर्टल पर अर्जेंट प्रकरण में ऑनसाइन ऑटो टी.ओ.आर दिनांक 02/11/2022 को जारी हो गया है। परिचालन प्रस्तावक को जारी ऑटो टी. ओ.आर. में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसापेक्षी से निम्नानुसार अतिरिक्त टीओआर शर्तें निर्दिष्ट किये जाने की अनुमति की गई—
 - i. Project Proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhatiegarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iv. Project proponent shall submit production detail from 06/01/2022 to till date from the mining department.

01

0

- v. Project proponent shall submit the latest NOC from Gram Panchayat (with proceedings and meeting date) for mining.
- vi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
- vii. Project proponent shall submit revised mining plan and incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- viii. Project proponent shall submit the latest NOC from DFO forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- ix. Project proponent shall submit the land documents (B-1 & P-2) with consent letter from land owners for uses of land.
- x. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- xi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- xii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- xiii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.
- xiv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xviii. Project proponent shall submit the copy of panchname and photographs of every monitoring station.
- xix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xx. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance

cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

- xxi. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xxii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xxiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.
- xxiv. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियात्मक (एन.ई.आई.ए.ए.) अटीसीएम की तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. मेकर्स रानीजरीद आईमल्टोन रानी रॉड (जे- बीनटी आनटी रानी), ग्राम-रानीजरीद, तहसील-सिमरा, जिला-बलीदाबाजार-नाटापावा (सुनिश्चित कर वाली क्रमांक 1918)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त नाम - एनआईए/ सीजी/ एमआईएन/71310/2022, दिनांक 20/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमीषी होने से आपन दिनांक 28/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी दिनांक 28/08/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक के आवेदित प्रकरण में ऑनलाईन अटी टी.ओ.आर. दिनांक 08/09/2022 को जारी होना पाया गया है।

प्रस्ताव कर विवरण - यह अनात विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संघटित पुरा पत्थर (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-रानीजरीद, तहसील-सिमरा, जिला-बलीदाबाजार-नाटापावा, खला क्रमांक-607, 608, 609/1, 609/2, 609/3, 609/4, 610/1 एवं 610/2, कुल क्षेत्रफल-1.218 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-28,425 टन प्रतिवर्ष है।

प्रक्रिया द्वारा नोट में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रक्रियात्मक की दिनांक 03/03/2022 को संयुक्त नोट में विचार किया गया। प्रक्रियात्मक द्वारा नती का अवलोकन किया गया। प्रक्रियात्मक द्वारा नोट किया गया कि जारी अटी टी.ओ. आर. प्रकरण में अतिरिक्त टी.ओ.आर. की शर्त अधिवेदित करने बाबत समिति के समक्ष विचार किया जाना आवश्यक है।

प्रक्रियात्मक द्वारा विचार विषय उपरोक्त समिति से उपरोक्त तथ्यों के परिधि में परीक्षण उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण को एन.ई.ए.सी.

प्रतीसंग्रह के समस्त प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। समिति की अनुमति को स्वीकार करती हुई उपरोक्तानुसार सभी ऑफ रेकॉर्ड्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., प्रतीसंग्रह के द्वारा दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 20/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 20/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित प्रकरण हेतु ऑनलाईन ऑटो टी.ओ.आर. (Auto TOR) जारी हो गया है। साथ ही कलक्टर में जारी वाली अन्य सूचनाओं के लिए वेबसाईन डाटा क्लेअरान का कार्य दिनांक 01/09/2022 से 31/08/2022 के नाम किया गया है। एअर के संबंध में दिनांक 14/09/2022 को सूचना भी दी गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन जारी ऑटो टी.ओ.आर. (Auto TOR) को मान्य करते हुए ई.आई.ए. रिपोर्ट जमा किये जाने की अनुमति हेतु अनुबंध किया गया है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि ऑनलाईन में ऑटो टी.ओ.आर. जारी हो चुका है, चूंकि समिति द्वारा प्रकरण पर प्रस्तुतीकरण हेतु विचार नहीं किया गया है। अतः समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तत्पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई आवेदित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., प्रतीसंग्रह के द्वारा दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 11/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुबंध किया गया है।

समिति द्वारा तत्पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई आवेदित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., प्रतीसंग्रह के द्वारा दिनांक 29/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 455वीं बैठक दिनांक 28/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजुज शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में कुल चार खदान खसरा क्रमांक 807, 808, 809/1, 809/2, 809/3, 809/4, 810/1 एवं 810/2, कुल क्षेत्रफल-1.219 हेक्टेयर, अगस्त 8.818.42 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण

समाप्त निर्माण प्रकियामें, जिला-हरीद्वाराजल-भाटाघाट द्वारा दिनांक 01/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 08 वर्ष अवधि दिनांक 08/01/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

परिचालन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"In Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 08/01/2022 तक वैध थी।

- a. परिचालन प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का मालम इतिवेदन जमा कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- b. निर्दिष्ट सर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- c. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-हरीद्वाराजल-भाटाघाट के ज्ञापन क्रमांक 580/न.अ. /तीन-8/ख.प./2022, दिनांक 28/01/2022 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी किमानुसार है-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017-18	2,090
2018-19	2,370
2019-20	500
2020-21	475
2021-22	285

दिनांक 01/04/2022 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. घास पंचायत का अंगनगीत प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में घास पंचायत एनीजलौट का दिनांक 14/08/2013 का अंगनगीत ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - नियु साईनिंग प्लान एलॉग विथ प्रोसेडिच क्वारी ब्लॉजर प्लान एचड इन्डासट्रीयैट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय भीमिडी एवं खनिज, नया रायपुर अटल नगर के दू. ज्ञापन क्रमांक 88/खनि 02/न.अ.अनुवीदन/न.अ.08/2021(1) नया रायपुर, दिनांक 08/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-हरीद्वाराजल-भाटाघाट के ज्ञापन क्रमांक/1335/ख.नि./2021 हरीद्वाराजल दिनांक 08/01/2022 अनुसार अंगनगीत खदान से 500 मीटर के मीटर अवधिगत 32 खदानें, क्षेत्रफल 83.884 हेक्टर पर होना बताया गया है। जिसमें केवल विद्यार्थीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में





अवशिष्ट खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों की 500 मीटर की भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (पंचा संशोधित) में परिभाषित कलक्टर अनुसार "कोई कलक्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक जीज की परिसरों की बीच दूरी उस सड़क खनिज क्षेत्र में अन्य सड़क से परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कलक्टर हेतु होमोजिनियस निम्नलिखित क्षेत्र में विद्यमान खदान की जीज सीमा से 500 मीटर की भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों की जीज सीमा की 500 मीटर की भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलक्टर में खदानों को नहीं एक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवशिष्ट न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-महापौर के द्वारा क्रमांक /1238/ख. वि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 09/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनईएट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं जीज का विवरण – भूमि एवं जीज बीसवीं आनंदी चर्च के तहत पर है। जीज बीज 10 वर्षी अवधि दिनांक 18/08/2012 से 18/08/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। उत्पन्न जीज बीज 20 वर्षी अवधि दिनांक 18/08/2022 से 18/08/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, जिला-बलौदाबाजार के द्वारा क्रमांक/एक.अधि/खनिज/768 बलौदाबाजार, दिनांक 02/03/2022 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा 2.78 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आसदी घास-रानीजरी 400 मीटर, स्कूल घास-नानिकपुर 840 मीटर एवं अस्पताल-सुहेला 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 21 कि.मी. दूर है। राजराज 1 कि.मी., महानदी 500 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/पैदाइशिकता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अस्पताल, केंद्रीय इंधन निर्यात बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पील्फुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित पैदाइशिकता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खान खनन एवं खनन का विवरण – जिपसोलिकल रिजर्व 4,02,845 टन, फाईनकोल रिजर्व 1,78,041 टन एवं निकलहेबल रिजर्व 1,87,238 टन है। जीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,480 वर्गमीटर है। खनन काल सेवी रेकॉन्सट्रक्चर विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की इलाहिक अधिकतम गहराई 15 मीटर है। जीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर

है। खदान की स्थापित आयु 8.58 वर्ष से अधिक है। जीक डैमर से डिजिटिंग एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। जीक क्षेत्र में खनन स्थापित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विद्युतकण किया जाता है। सर्वोपरि स्थापित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	स्थापित उत्खनन (टन)
प्रथम	24,000
द्वितीय	26,625
तृतीय	28,425
चतुर्थ	27,875
पंचम	27,300

12. जल आपूर्ति - परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 204 क्यूमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति हेतु सर्वोपरि एवं संबंधित विभाग से स्थापित प्रथम पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य - जीक क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में 500 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन - जीक क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,480 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिनमें से 100 वर्गमीटर क्षेत्र 7 मीटर की चट्टी तक स्थापित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में है। स्थापित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उत्तरदायक है। जल परिवहन प्रस्तावक को विस्तृत विवरणानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
15. पर्यावरणीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोसेसिंग हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें कनाक खानों के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग जीक क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षित जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार किया उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्मात किया गया:-

1. माईनिंग जीक क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षित जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारित उपाय (Remedial Measures) की संख्या में उक्त जीक क्षेत्र के अंदर माईनिंग शिफ्टकालों के कारण उत्खनन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये स्थापित उपायों को स्थापित करने बाबत संघालक, संघालकालय, भीमिकी तथा खनिज, इंधन, नया सवपुर अटल नगर, जिला - राजपुर (प्रतीकपुर) को लेख किया जाय।

100

0

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अतिरिक्त उत्खनन किया जाना चाहे जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संजयपुर, संजयपुरवाला, भीमिडी तथा खनिजमै को एवं पर्यावरण को अति प्रभावित हेतु प्रतीकाल पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा राजपुर अटल नगर को विधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भगत बालर, पर्यावरण, वन एवं जलसंधु परिवहन मंत्रालय, तथा राजपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।
4. परिसर पोर्टल पर आवेदित प्रकरण में ऑनलाइन अर्दी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी हो गया है। परियोजना प्रस्तावक को जारी अर्दी टी. ओ.आर. में सहिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यवाही से निम्नानुसार अतिरिक्त टी.ओ.आर. को निर्धारित किये जाने की अनुमति की गई-
 - i. Project Proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
 - v. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
 - vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - ix. Project proponent shall submit the details of water source and NDC for usage of water from competent authority.
 - x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
 - xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

- xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiv. Project proponent shall submit the copy of panorama and photographs of every monitoring station.
- xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of work alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

सब्य सार्वीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रतीपत्रको को लदानुसार सुचित किया जाए। सब्य ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया दयपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

8. मेसर्स अशोली फ्लोय स्टोन माईन (प्रो.- श्री रोशन बेघागन), घाग-अशोली, उहनील व जिला-महासमुंद (सविधानस्य का कसरी अर्थांक 1280)

अंनसलाईन आवेदन - पूर्ण में प्रवेजल नम्बर - एन.आई.ए.ए./ सीजी/ एन.आई.ए.ए./ 81475/2021, दिनांक 03/03/2021 द्वारा टी.ओ.अर हेतु आवेदन किया गया था। उद्वान में प्रवेजल नम्बर - एन.आई.ए.ए./ सीजी/ एन.आई.ए.ए./ 418888/ 2023, दिनांक 09/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए काईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कसरी फल्वर (सीम अनेज) खदान है। खदान घाग-अशोली, उहनील व जिला-महासमुंद निधात खसरा अर्थांक 126/1, 126/2, 127, 128/1, 128/2, 131, 132 एवं 148/2, कुल क्षेत्रफल-1.84 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,844 टन (1,580 कनपीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एच.ई.ए.सी. अलीसगढ़ के डायन क्रमांक 824, दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकल्प 'बी' श्रेणी के होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रकल्पित स्टेनडर्ड एम्स ऑफ रिजर्वेशन (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और जेजेक्ट्स/एअरिडिटीज निष्कर्षण इन्फार्मलेंट क्लीयरेंस अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित धारा 1(ए) का स्टेनडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई अधिनियम) हेतु किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. अलीसगढ़ के डायन दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीटक का विवरण -

(अ) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय देवांगन, प्रोफेसॉर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कॉन्सीजेन्स रिसर्च इन्फिस्टा प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुची अंजली बनाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स एसीरिज एन्वायरनेटिक इन्फिस्टा प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एसीरिज एन्वायरनेटिक इन्फिस्टा प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा अग्रिम कार्य को भी आवेदित प्रकल्प की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में अस्थगित करके दी गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स कॉन्सीजेन्स रिसर्च इन्फिस्टा प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। जिससे संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को सूचना दी गई। तदनुसार मेसर्स कॉन्सीजेन्स रिसर्च इन्फिस्टा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. ग्राम पंचायत का अनामित प्रमाण पत्र - खदान को संबंध में ग्राम पंचायत अलीसी का दिनांक 17/02/2021 का अनामित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. खदान योजना - कृषी प्लान, इन्फार्मेट मैनेजमेंट प्लान एन्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, बीनिकी तथा खनिज नवा सारण अटल नगर के डायन पृ. क्र. 735/खनि 02/मा.प्र.अनुमोदन/न.क्र.02/2018(3) तथा रामपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्पोलय कलेक्टर (खनिज सारण), जिला-महाराष्ट्र के डायन क्रमांक 825/क/खनि/न.क्र.73/2018 महाराष्ट्र, दिनांक 08/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, संकलन 21.88 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्पोलय कलेक्टर (खनिज सारण), जिला-महाराष्ट्र के डायन क्रमांक 285/क/खनि/न.क्र.

/ 2021 महाराष्ट्र, दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 250 मीटर की परिधि में कोई भी कार्यालय क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय एवं एनिकेट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. की रीजन देवगन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-महाराष्ट्र के प्रमाण क्रमांक 1888/क/सखनि पट्टा/खनि./न.क्र.73/2019 महाराष्ट्र, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई; जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संवालयलय, भूमिहीन तथा खनिजन, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. प्रमाण क्रमांक 16/खनि 02/रा.प-अनुमिषा./न.क्र. 80/2017(4) नवा रायपुर, दिनांक 01/01/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार एल. ओ.आई. में 1 वर्ष की वैधता वृद्धि कि गई थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय, संवालय भूमिहीन तथा खनिजन, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 82/2022 द्वारा जारी पत्रिल आदेश दिनांक 18/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण खींचार कर्ता हुए, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि खनीजसम्पद नीम खनिज नियम, 2018 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण खींचारि प्रदान करने एवं खनिजन पट्टा खींचारि की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान कर्ता हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महाराष्ट्र को प्रेषित किया जाता है।" होना बताया गया है।
8. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 128/1 श्री विकास गुप्ता, खसरा क्रमांक 128/2 श्रीमती सुलभा महाराष्ट्र, खसरा क्रमांक 127 एवं 128/2 श्री विवेक कुमार साहू एवं श्री राम गोपाल धर्मराठी, खसरा क्रमांक 128/1, 131, 132 एवं 148/2 आवेदक के नाम पर है। प्रमाण हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणधिकारी, सभाना वनसंरक्षण, जिला-महाराष्ट्र के प्रमाण क्रमांक/खनि./881 महाराष्ट्र, दिनांक 28/01/2019 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. दूर है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-अहोली 1.3 कि.मी., स्कूल ग्राम-अहोली 2 कि.मी. एवं अस्पताल बेजसोण्या 8.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 82 कि.मी. एवं राजमार्ग 18.15 कि.मी. दूर है। तालाब 1.15 कि.मी., नहर 140 मीटर, नाला 250 मीटर एवं कोयार नाला 175 मीटर दूर है।
12. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अस्पताल, राष्ट्रीय उद्यान निबंधन बोर्ड द्वारा घोषित डिस्टिकली कंप्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

11

13

13. खदान खोला एवं खदान का विवरण - जिब्रोलीजिकल रिजर्व 2,28,180 टन, माइनिंग रिजर्व 1,12,887 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 1,67,223 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खदान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,522 वर्गमीटर है। खोला करस्ट मैट्रिक्स विधि से खदान किया जाएगा। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल गांठ 32,834 घनमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टेन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विक्रमण किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित खदान का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित खदान (टन)	वर्ष	प्रस्तावित खदान (टन)
प्रथम	10,344.00	चतुर्थ	10,560.80
द्वितीय	10,807.20	पाचम	10,875.60
तृतीय	10,870.40	छठम	10,886.20
सातव	10,807.20	सातम	10,870.40
आठम	10,870.40	दशम	10,752.48

14. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल एवं घास पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेन्ट्रल प्रांतीय वीटर अथॉरिटी एवं घास पंचायत का अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
15. कुशारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी जोर 7.5 मीटर की पट्टी में 1.113 नम कुशारोपण प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वीथी के लिए राशि 12,345 रुपये, वैन लिंक कंसिग्न व वीथी के रख-रखाव के लिए राशि 1,18,802 रुपये, खाल के लिए राशि 27,805 रुपये एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 80,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,50,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 8,78,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में खदान - लीज क्षेत्र की घाटी जोर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में खदान कार्य नहीं किया गया है।
17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य 8 मार्च 2021 से 18 जून 2021 तक किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतराल 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सराही जल गुणवत्ता तथा 18 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

2. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम₁₀, एसओ₂, एनओ₂ का मान्यता स्तर:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	18	44	50
PM _{2.5}	55	74	100
SO ₂	7	20	80
NO ₂	15	37	80

- ii. परिवर्तन स्तर के आसपास जब स्तरों की तुलना— ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दिये गये टेबल अनुसार क्लोरोफ्लोरो कार्बोहाइड्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, ऑर्गेनिक एवं अन्य रासायनिक स्तरों का सामान्य स्तर भारतीय मानक से कम है।

- iv. परिवेष्टीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	48.5	62.5	75
Night L_{eq}	38.5	49.5	70

जो एक क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. प्राप्त ध्वनिस्तरिण कार्ड के अन्वयान हेतु अधिलिखित ध्वनिस्तरिण कार्ड 01 अक्टूबर 2022 से 15 नवम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेष्टीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- vi. अधिलिखित ध्वनिस्तरिण कार्ड के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सामान्य स्तर—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	20	48	60
PM _{2.5}	68	76	100
SO ₂	7	20	60
NO ₂	15	27	60

- vii. अधिलिखित ध्वनिस्तरिण कार्ड के परिणामों अनुसार परिवेष्टीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	48.4	62.3	75
Night L_{eq}	38.4	49.8	70

जो एक क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। ध्वनिस्तरिण कार्ड तथा अधिलिखित ध्वनिस्तरिण कार्ड के परिणाम तुलनात्मक रूप से समान पाये गये।

- viii. पी.सी.यू. की गणना— कारी बाहनों / मालीखाना लेवी बाहनों को सम्बन्धित करने हेतु दृष्टिकोण अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 428.60 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की./से अनुपात (MC 1980) 0.213 है। प्रस्तावित परिवर्तन के कारण 60 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 488.60 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की./से अनुपात (MC 1980) 0.260 होगी। विस्तार के कारण भी सी-मटेरियल/प्रोसेसिंग के परिवर्तन हेतु सड़क मार्ग की जोड़ करीब श्रेष्ठ निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

- ix. जी.एल.सी. की गणना — जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में जी.एल.सी. का अधिकतम क्यूम्युलेटिव जी.एल.सी.

79.78 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा पीएम₁₀ का अधिकतम क्यूम्युलेटिव जी.एल.सी. 47.21 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ होगी। जो सका क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 05/08/2022 अपराह्न 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत बकर, ग्राम-अधोली, जहरील एवं जिला-बहामपुर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित सदस्य सचिव, प्रतीकानंद पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया बहापुर अटल नगर, जिला-बहापुर के पत्र दिनांक 19/08/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुझ सम से निम्न सुझाव/निर्धार प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. निजी जमीन में जो खदान खोदलित कर रहे हैं, वह जिला भी वेस्ट कोर्टिफल है वह अपने खनन में रथें, काड़ी भी कोर्टेज सामग्रीय भूमि में न डालें।
2. खदान के चारों ओर तार धरे की आवश्यकता है। तार घेरा नहीं होने से कचरा बहती आदि गिर रही हैं। लोहे के तार द्वारा घेरा करवा जाए जिससे खनीयों एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।
3. ग्राम के सभी क्षेत्र में बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिसमें बच्चे स्कूल जाते समय गिर जाते हैं, क्षेत्र स्वच्छ बहनों के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिवर्तन प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कमिटी का कथन निम्नानुसार है:-

1. खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले गड़बड़ डिजेक्टर का निरालय अनुमोदित परखनन योजना के अनुसार ही किया जायेगा, इन्हें खदान क्षेत्र के बाहर किये भी सार्वजनिक स्थल के इर्द गिर्द या सार्वजनिक स्थल में डाल नहीं किया जाएगा।
2. खदान का सीमांकन कराकर, चारों ओर पेंटिंग कराकर ही परखनन किया जायेगा, ग्राम पंचायत द्वारा जो निर्णय किया जायेगा, उसका पूर्णतः पालन किया जायेगा।
3. सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रसिद्धित बाड़न बालकों को लगाया जायेगा एवं बाड़न बालकों को बालू दिशा निर्देश दिने जायेंगे। पत्थरी का परिवहन सावधानी से इकट्ठा कर, परिवहन के सभी नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। नियमानुसार गतिरीम में ही परिवहन किया जायेगा।

20. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान – परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुए कलक्टर में कुल 4 खदानें आती हैं। अब कलक्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रथम निरालय हेतु परिवहन के दौरान सड़की/पट्टे मार्ग से उत्पन्न कुल खसारीयों के	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000

निर्देशन हेतु जल सिंचकाल, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 500 मीटर					
पट्टीय मार्ग (कुल लम्बाई 500 मीटर) के दोनो तरफ (124 नम) कुआरोपन हेतु	कुआरोपन (30 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	3,670	330	330	330
	टी-नाई एवं सीपी के साथ-साथ हेतु राशि	83,880	80,320	80,320	80,320
	खाद हेतु राशि	8,350	8,350	8,350	8,350
	सिंचाई हेतु राशि	80,000	80,000	80,000	80,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर बेनिफिटिंग हेतु राशि		1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000
सड़को / पट्टीय मार्ग के संभालन हेतु राशि		60,000	60,000	60,000	60,000
वेल्ड पेक-अप हेतु राशि		40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 28,87,000		5,47,000	5,10,000	5,10,000	5,10,000

बीनम इन्फ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहमतिगत सिन्धानुसार होती:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
अनुपम निर्देशन हेतु परिवहन के दौरान सड़को/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न कुल उत्पन्न के निर्देशन हेतु जल सिंचकाल, पट्टीय मार्ग (लम्बाई 180 मीटर)	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800
पट्टीय मार्ग (लम्बाई 180 मीटर) में 124 नम कुआरोपन (30 प्रतिशत जीवन दर के साथ कुआरोपन, टी-नाई, खाद सिंचाई एवं साथ-साथ आदि) हेतु राशि	70,800	68,700	68,700	68,700	68,700
इन्फ्रास्ट्रक्चर बेनिफिटिंग हेतु राशि	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800
सड़को / पट्टीय मार्ग के संभालन हेतु राशि	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900

होना है—अन हेतु राशि	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
कुल राशि = 9,85,600	2,08,400	1,94,300	1,94,300	1,94,300	1,94,300

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के राय विचार से कई उपरोक्त विभागों द्वारा विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
23.70	2%	0.477	Following activities at Village-Aacholi	
			Plantation at Village Pond with fencing	0.691
			Total	0.691

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत लागत के डेटा अनुसार कुल 70 नग पौधों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में लागत के विचार 20 नग पौधे जोड़े हैं। शेष 50 नग पौधों को रोपण कालांतर में शामिल कुल 4 खंडों के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 17 नग पौधों के कुलरोपण (4 फीट से 3 फीट ऊंचाई के पौधे – आम, जामुन एवं कटहल) के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंघाई के लिए राशि 5,000 रुपये, खार के लिए राशि 850 रुपये, पौंसिंग तथा रक-रखाव आदि के लिए राशि 9,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 17,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 51,200 रुपये हेतु घटकवार राय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कक्षाधीन स्थान (खाला क्रमांक 1823, क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर) के राशे में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यकाल हेतु राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 32,834 घनमीटर है। इसमें से 1,808 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी 7.5 मीटर चौड़ाई (खालान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर कुलरोपण के लिए उपयोग किया जाएगा, व शेष 30,800 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्थल की भूमि (खाला क्रमांक 1713, 1714, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 एवं 1723, राशे 0.64 हेक्टेयर) में संदर्भित कर संरक्षित रखा जाएगा।

25. कार्यलय कार्यालय अधिष्ठा जल संसाधन संयोजन महासमुद्र, जिला-महाराष्ट्र के ज्ञान दिनांक 07/10/2002 द्वारा जारी अनामत प्रथम पत्र अनुदान प्रस्तावित भूमि महानदी से लगभग 300 मीटर एवं कोडर मात्रा 200 मीटर की दूरी पर किया है, जो की स्थल निरीक्षण एवं द्वारा पंचायत के अनुसार कभी भी अनामत नहीं हुआ है" का प्रतीक है।

Handwritten signature/initials.

Handwritten mark.

26. कार्य विट्टी को सर्वप्रथम जीज क्षेत्र के अंदर रोपटी जेन में 4 मीटर की चौड़ाई तक संशोधित करने तथा क्षेत्र कार्य विट्टी को जीज क्षेत्र के बाहर संशोधित कर संशोधित रखे जाने हेतु, विट्टी का दुरुपयोग न करने, विध्वंस न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस विट्टी का उपयोग पुनर्नवण हेतु किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पशुचिपिड इन्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर निर्दिष्ट जल सिंचन की व्यवस्था किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. बाइनिंग जीज क्षेत्र के अंदर बाघन कुशाकीय किये जाने एवं रोपिल पौधों का संसाईकृत रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. अतीवगत आर्द्रता पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बायन्ट्री विलर्स द्वारा सीमांकन कर कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संखान किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वतारण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण ललित नहीं है।
34. लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, मुझाव या मुद्दे उठाने गये हैं, उसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जानकारी के अनुसार निराकरण करने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण से बाईकनवाईस के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्वतारण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिशा-निर्देश तथा नियतनी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्दिष्ट कार्य पूर्ण किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. अपेक्षित खदान की सम्मिल कर क्लस्टर में कुल 4 खदानें हैं। क्लस्टर हेतु सीमांत इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता केसर कर मसौदे में प्रदर्शित करने हेतु जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सीमांत इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुबंध क्लस्टर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

27. कलक्टर में आने वाले खदान के लिए टीचर कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का अर्जांक एवं रेकार्डर सहित क्लॉस में पड़ती हुई पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।
28. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिपोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुशलता का कार्ड की वीनियरिंग एवं परिक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (जोयन्ट/इंजिनियर/अडिनिस्ट्रि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/अडिनिस्ट्रि एवं जिला प्रशासन या जलसंधारण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/अडिनिस्ट्रि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिपोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुशलता का कार्ड पूर्ण किये जाने की उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
29. माननीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बेच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोदय सम्बंधित विषय भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एडिसेशन नं. 188 जीस 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पत्रित आदेश में मुद्दा रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार किया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज सखा), जिला-पहासगुंज के द्वारा अर्जांक 828/क/खनि/न.अ.73/2018 पहासगुंज, दिनांक 09/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 21.88 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-अधोली) का रकबा 1.64 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अधोली) को गिनाकर कुल रकबा 23.82 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की घोषी गयी।
- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (समा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर में आने वाली खदानों की जाचनन प्रतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की लेखन हेतु कलेक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलेक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान टीचर किये जाने तथा क्रियान्वित बनाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौतिकी एवं खनिज, इंद्रावती भवन, महा रावपुर अदालत नगर, जिला - रावपुर (प्रतीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
- सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यप्रणाल्य हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र एन.ई.आई.ए.ए., जलसंधारण में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त को जलसंधारण पर्यावरण स्वीकृति की शर्त अनुसूचक की जाती है।





4. समिति द्वारा विचार किये गए उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स अयोजी पतंग स्टोन माईन (प्री- बी सीएम टेक्नॉलॉजी) को ग्राम-अयोजी, तहसील व जिला-महासमुंद्र के खारा क्रमांक 125/1, 125/2, 127, 128/1, 128/2, 131, 132 एवं 148/2 में स्थित खरी पत्थर (पीप खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.84 हेक्टेयर, क्षमता-10,944 टन (4,560 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिसिप्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन स्वतंत्र पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

उक्त सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (एन.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की खदानमूलक सुविधा प्राप्त किया जाए। उक्त ही परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्तानुसार जानकारी एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के तमाम प्रस्तुत करने हेतु लेख किया जाए।

7. मेसर्स अयोजी फ्लेगस्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (प्री- अशोक कुमार चंद्राकर), ग्राम-अयोजी, तहसील व जिला-महासमुंद्र (परिचयान्वय का नस्ती क्रमांक 1881)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एन.आई.ए./ सीजी/ एम.आई.ए./ 61476/2021, दिनांक 04/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजित नम्बर - एन.आई.ए./ सीजी/ एम.आई.ए./ 418801/ 2023, दिनांक 08/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए माईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित खरी पत्थर (पीप खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अयोजी, तहसील व जिला-महासमुंद्र, खारा क्रमांक 830, 835 एवं 888, कुल क्षेत्रफल-3.84 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित परखनल क्षमता-4.104 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एन.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के प्राप्य क्रमांक 839, दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रस्ताव 'बी' कोटेन्टी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रस्तुतित स्टैम्बर्ड एम्स ऑफ निकोलेट (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एन.ई.आई.ए. रिपोर्टिंग इन्फार्मेट कमीशन क्रमांक ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 1(र) का स्टैम्बर्ड टीओआर (शोक मुनवाई सटिव) हेतु किया गया है।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के प्राप्य दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुविधा किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 ।

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश चंद्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण कंसल्टन्ट की रूप में मेसर्स कौन्सीलेना निरार्थ इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नौरडा, उत्तराखण्ड की ओर से सुन्धी अंजली कथने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अंशोकरण एवं परीक्षण करने का दिव्य सिद्धी पाई गई-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्रामट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स मेसर्स एसीटीए एन.आई.ए.ए. इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नौरडा, उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एसीटीए एन.आई.ए.ए. इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नौरडा, उत्तराखण्ड द्वारा अनिहार्य जानकारी से आवेदित प्रस्ताव की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही की जाती रहने में

11

0

असामर्थता व्यक्त की गई। तदनुसार परिषदेज्जा प्रस्तावक द्वारा मेसर्स जीपीजेन्स रिमर्स इम्पियर प्रॉपर्टि लिमिटेड, नौदक, चलाखदेहा को नियुक्त किया गया। जिसके संदर्भ में परिषदेज्जा प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/10/2022 को सूचना दी गई। तदनुसार मेसर्स जीपीजेन्स रिमर्स इम्पियर प्रॉपर्टि लिमिटेड द्वारा इन्फर् ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण एवं सत्यापित (Analysis एवं सत्यापित) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।

2. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. धान पंचायत का अनाथित ज्ञान पत्र - एलखनन की संख्या में धान पंचायत अखोली का दिनांक 17/02/2021 का अनाथित ज्ञान पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. एलखनन योजना - जारी प्लान इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-सांघालक (अ.स.) सांघालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्मी नवा रायपुर अटल नगर के पु. ज्ञान क्र. 770/खनि 02/सा.प.अनुमोदन/न.क्र.02/2018(1) नवा रायपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखर), जिला-महासमुंद के ज्ञान क्रमांक 804/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 09/09/2022 के अनुसार अर्जित खदान से 500 मीटर की सीमा अवस्थित 2 खदानें, होलकल 2.15 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संबन्धार् - कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखर), जिला-महासमुंद के ज्ञान क्रमांक 264/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुंद, दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी ज्ञान पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, नरायण, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकर आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि एवं एल.ओ.आई. की अखोक सुभर महासमुंद के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखर), जिला-महासमुंद के ज्ञान क्रमांक 1004/क/खनि पट्टा/खनि/न.क्र.80/2018 महासमुंद, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी फैला जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तदनुसार एल.ओ.आई. की फैला बुद्धि सांघालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्मी, नवा रायपुर अटल नगर के पु. ज्ञान क्र. 07/खनि 02/सा.प.-अनुमोदन/न.क्र.80/2017(4) नवा रायपुर, दिनांक 01/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी फैला 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 31/12/2022) की अवधि हेतु है। तदनुसार एल.ओ.आई. की फैला बुद्धि बाबत नवाघालक सांघालक भीमिडी तथा खनिकर्मी, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 87/2022 द्वारा जारी पत्रित आदेश दिनांक 18/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "अपरोक्ष विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि अखोलीसमूह गीन खनिज निषेध, 2018 के नियम 42(3) परंतु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं एलखनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महासमुंद को अर्जित किया जाता है।" होना बताया गया है।

111

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. जन कियाम का अनुपातित प्रमाण पत्र – कार्यालय जनकपुर अधिकाारी, सत्यान कल्याण, जिला-मधेशपुर के ज्ञान अर्थ/म.वि./291 महाकपुर, दिनांक 08/01/2020 से जारी अनुपातित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र जन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है तथा आवेदित क्षेत्र सत्यान अर्थ/म.वि./291 से 44 कि.मी. दूरी पर है।
10. महाकपुरी संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी घाट-आरोली 1.1 कि.मी., स्कूल घाट-आरोली 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल बेलसोपडा 8.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 42 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.8 कि.मी. दूर है। स्थानीय 3.8 कि.मी., तालाब 800 मीटर, मौसमी नाला 2.3 कि.मी. एवं पहर 780 मीटर दूर है।
11. परिविधित/वैधविधित संवेदनशील क्षेत्र – परिवेचना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आर्सेनिक, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रमुख निबंधन बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोन्चुटेड एरिया, परिविधित/वैधविधित संवेदनशील क्षेत्र या घोषित वैधविधित क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
12. खनन क्षमता एवं खनन का विवरण – जियोलाजिकल रिजर्व 5,52,888 टन, माईनेबल रिजर्व 2,30,888 टन एवं सिन्क्रोबल रिजर्व 2,14,147 टन है लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा बट्टी (खनन के लिए प्रविधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,728 वर्गमीटर है। जीवन आरक्षक वैशुजल विधि से खनन किया जाएगा। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल गांवा 88,888 घनमीटर है। बेंच की मोटाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की लंबाई 75 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रस्ताव स्थापित नहीं है। स्टीन कटर का उपयोग किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)
प्रथम	4,104	चतुर्थ	4,001.4
द्वितीय	4,005.8	पंचम	4,001.4
तृतीय	4,069.8	छठम	4,001.4
सप्तम	4,104	सप्तम	4,069.8
अष्टम	4,001.4	अष्टम	4,104

13. जल आपूर्ति – परिवेचना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोल के माध्यम से किया जाएगा। इस मात्रा सेन्द्रल प्रस्तावक बोरोल अधीनस्थ का अनुपातित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में जारी क्षेत्र 7.5 मीटर की बट्टी में 1,740 वन वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए प्रति 17,400 रुपये, बेंच लिक वॉशिंग व पौधों के रख-रखाव के लिए प्रति 1,47,273 रुपये, खाद के लिए प्रति 44,325 रुपये एवं सिंचाई आदि के लिए प्रति 80,000 रुपये, इस प्रकार कुल प्रति 2,89,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल प्रति 7,44,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु पर्यवेक्षण कार्य का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में एक्जामिन – लैंड क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एक्जामिन कार्य नहीं किया गया है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विस्तारण –

- उक्त एवं वन्य आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – भौतिकीय कार्य 0 मार्च 2021 से 15 जून 2021 को काम किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- भौतिकीय परिणामों के अनुसार पीएन, एसओ₂, एनओ₂ का मान्य लेवल –

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	28.00	44.00	60
PM ₁₀	55.00	73.00	100
SO ₂	7.00	20.00	80
NO ₂	15.00	37.00	80

- परिदोषण स्तर के आसपास जल सतहों की गुणवत्ता – ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दलाई गई टेबल अनुसार क्लोरोफिल, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, अमोनिया एवं अन्य पारंपरिक तत्वों का मान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।

17. परिवेशीय ध्वनि स्तर –

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	43.8	63.1	75
Night L _{eq}	36.3	48.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- उक्त भौतिकीय कार्य के अतिरिक्त भौतिकीय कार्य 01 अक्टूबर 2022 से 15 नवंबर 2022 को काम किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- अतिरिक्त भौतिकीय कार्य के परिणामों अनुसार पीएन, एसओ₂, एनओ₂ का मान्य लेवल –

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	29.00	45.00	60
PM ₁₀	56.00	74.00	100
SO ₂	8.00	21.00	80
NO ₂	16.00	38.00	80

vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवर्तित खनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	GPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	44.8	64.1	75
Night L_{eq}	38.3	49.9	70

जो उक्त स्तर के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

viii. पी.सी.यू. की गणना:- गादी बाहरी / गल्टीएक्साज हेवी बाहरी को उपस्थित कराते हुए ट्रांसिक अलमन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 428 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की/ली अनुसार (AVC ratio) 0.21 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 18 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 446 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की/ली अनुसार (AVC ratio) 0.228 होगी। विस्तार के उपरांत भी सी-कटेनिंग/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु लक्ष्य मान की जोड़ करीबन समता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

ix. पी.एल.सी. की गणना - पी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में पी.एल.सी. का अधिकतम क्यूमेलेटिव पी.एल.सी. 77.78 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा पी.एल.सी. का अधिकतम क्यूमेलेटिव पी.एल.सी. 42.17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ होगी। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

x. लोक सुनवाई दिनांक 08/09/2022 अपनाय 2:00 बजे स्वतन्त्र - राम प्रयागत मकान, ग्राम-अडोली, तहसील एवं जिला-सहासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित उपरान्त सहित, जलियापुर पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा रामपुर अटल नगर, जिला-रामपुर के पत्र दिनांक 09/09/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

xi. जनसुनवाई को दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दों/विषय प्रस्तुत किये गये हैं:-

- गांव में खदान की वजह से किसानों के खेतों में पानी भर जाता है। पानी की नििकासी के लिए उचित व्यवस्था की जाए।
- मिट्टी जमीन में जो खदान संचालित कर रहे हैं, वह जितना भी वेस्ट गेटरिजल है वह अपने जगह में लगी, कहीं भी वेस्टेज हाइड्रोजन भूमि में न जाए।
- सीमांकन कार्य नहीं किया गया है। माइनिंग नियमों के तहत सीमांकन कार्य उपरांत खदान संचालित की जाए।
- प्रामाणिकता के अभाव पर संबंधित ग्राम के बेरोजगार युवाओं को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- उक्त मुद्दों को दूर करने के लिए बंद निर्माण करते हुए माइलेज नाली का निर्माण प्रस्ताव दिया गया।
- खान के दौरान उत्पन्न होने वाले माइन रिजेक्ट्स का निस्तारण अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार ही किया जायेगा, इन्हें खदान क्षेत्र की बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थल के इर्द गिर्द या सामुदायिक स्थल में डंप नहीं किया जा जायेगा।





18. खदान का विविध सीमांकन का कर जारी और से परिष्कृत कार्य अनुसंधित उखानन योजना के अनुसार ही खनन कार्य किया जाएगा।
19. रोजगार नीति के अनुसार योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय श्रमिकों को प्रथम तथा अग्रेष्ठ रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा। नियमानुसार मजदूरी को मजदूरी व अन्य भत्ते दिये जायेंगे।
20. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल कर कलक्टर में कुल 3 खदानें हैं। जिसमें से 2 खदानों को पूर्व से पूर्वावस्थीय स्वीकृति प्राप्त है। अतः कलक्टर के कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिशोधना प्रस्तावक की सहभागिता के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है :-

विवरण		अथन (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टेय मार्ग से उत्पन्न धूल वाहनों के नियंत्रण हेतु जल सिंक्रायज, पट्टेय मार्ग की कुल लम्बाई 710 मीटर		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
पट्टेय मार्ग के दोनों तरफ (874 मग) कुआरीयन हेतु	कुआरीयन (80 प्रतिशत जीवन पर) हेतु राशि	4,740	730	730	730	730
	टो-साई एवं बोर्डों के रख-रखाव हेतु राशि	87,830	8,840	8,840	8,840	8,840
	खार हेतु राशि	24,430	24,430	24,430	24,430	24,430
	सिंचाई हेतु राशि	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट हेतु राशि		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़कों / पट्टेय मार्ग के संभरण हेतु राशि		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
होल्डिंग फंड-अप हेतु राशि		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
कुल राशि = 14,02,000		3,32,000	2,70,000	2,70,000	2,70,000	2,70,000

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिशोधना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य चर्चा के तहत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53.13	2%	1.01	Following activities at Village-Aacholi	
			Plantation at	1.32

			Village Pond with fencing	
			Total	1.33

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 50 नम पीछी को रीपल किया जा सकता है, वर्तमान में तालाब के किनारे 10 नम पीछे जीवित है। कृषारोपण हेतु (आम, जामुन एवं कटहल) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नम पीछी के लिए राशि 8,000 रुपये, कंसिंग के लिए राशि 8,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,000 रुपये, सिंचाई तथा रक-रखाव आदि के लिए राशि 22,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 38,000 रुपये तथा आगामी वर्ष में कुल राशि 24,000 रुपये हेतु परदेखान व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा पंचायीय स्थान (खसत क्रमांक 492 क्षेत्रफल 1.14 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
22. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यकरण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाय आवश्यक है।
23. लीज क्षेत्र में कपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 88,883 घनमीटर है। इसमें से 2,084 घनमीटर कपरी मिट्टी को सीमा पट्टी 7.5 मीटर चौड़ाई (जाखान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सीमाकर कृषारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा, व शेष 86,799 घनमीटर कपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (दू-पानी बीनटी विदेगी बाई, खसत क्रमांक 885, 5, 6 एवं 7, कुल रकबा 2.55 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा।
24. कपरी मिट्टी को संरक्षित रखे जाने हेतु, विज्ञान न करने हेतु एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःस्थाप हेतु किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. नाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर स्थान कृषारोपण किये जाने एवं रोपित पीछी का सतवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा विनयस अनौपचार नियम (Minerals Concession Rule) के तहत कार्बन्डी विस्तर द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परिवोजना से जिन-जिन स्थलों में फ्लुजिटिव इस्ट उत्सर्जन होता, उन स्थलों पर नियमित जल विश्लेषण की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. पर्यावरण अधिनियम की तहत स्थानीय लोगों को संज्ञान दिव्ये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परिवोजना/खसत से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
30. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पंचायत, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम क्र.जा. 894(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लंबित नहीं है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह वास्तुिक जल स्रोत, खासकर, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुमोदन के लिए पर्यावरण के नाई-कलईड के अनुसार कलक्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के विस्तार-निर्देश तथा नियतनी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. आवेदित खदान को शामिल कर कलक्टर में कुल 3 खदानें हैं, जिनमें से 2 खदानों को पूर्ण से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है। अब कलक्टर कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता तैयार कर नती में प्रदर्शित कर्ते हुए जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध बनाकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।
25. कलक्टर में जाने वाले खदान के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का अक्षांस एवं देशांतर सहित नती में दर्शित हुए पुनर्विहित कर प्रस्तुत किया गया है।
26. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों की रख-रखाव एवं कुआरीकरण कार्य के सम्बन्धित एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/इतिनिधि, ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षक/इतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उपरीक्षण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पर्यवेक्षक/इतिनिधि) गठित किया जाय। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों की रख-रखाव एवं कुआरीकरण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति में सम्मिलित कराया जाना आवश्यक है।
27. भारतीय एन.जी.टी., डिप्लिमेंट बैंक, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय विस्फोट सुरक्षा मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 डीक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 12/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किये गये उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यलय कलक्टर (खनिज सख्त), जिला-महासमुद्र के ज्ञान क्रमांक 624/क/खनि/प.क./2021 महासमुद्र, दिनांक 08/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.16

हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घान-अधोली) का काला 3.84 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घान-अधोली) की मिलाकर कुल काला 5.99 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. माना सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संचालन, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं मानवीय एन.टी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में जाने वाली खदानों की वास्तव्य प्रविष्टियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की संश्लेषण हेतु क्लस्टर में जाने वाले समस्त खदानों को शामिल करना है, क्लस्टर हेतु सीमा प्रस्तावित मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा नियमित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खनिज, इंडस्ट्री डेवलप, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के राज से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यकाल हेतु घान पंचायत का सहमति पत्र एन.ई.आई.ए. प्रतीनागढ़ में खनिज रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुसंधान की जाती है।
4. शक्ति द्वारा विधान विभाग राज्यांत सर्वसम्पत्ति से आवेदक - मेसर्स अधोली फ्लैम स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (प्री- ऑफिक कुलात बंदाकण्ड) को घान-अधोली, तखरीत व जिला-महासमुंद के समस्त क्षेत्रोंक 830, 830 एवं 888 में विगत फर्श पत्थर (शैल खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.84 हेक्टेयर, क्षमता-4.104 टन प्रतिवर्ष हेतु परिसिष्ट-82 में वर्णित शर्तों के अधीन शर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुसंधान की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रतीनागढ़ को उपानुसार सुचित किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्तानुसार जानकारी एन.ई.आई.ए.ए. प्रतीनागढ़ के तहत प्रस्तुत करने हेतु लेख किया जाए।

8. मेसर्स अधोली फ्लैम स्टोन माइनिंग (प्री- श्री विवेकनर बंदाकण्ड, घान-अधोली, तखरीत व जिला-महासमुंद (संविधान का मशी क्रमांक 1583)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एस्आईए/ सीजी/ एनआईए/ 81490/2021, दिनांक 04/03/2021 द्वारा टी.डी.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एनआईए/ सीजी/ एनआईए/ 416888/2023, दिनांक 08/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फर्श पत्थर ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित फर्श पत्थर (शैल खनिज) खदान है। खदान घान-अधोली, तखरीत व जिला-महासमुंद स्थित फर्श पत्थर क्षेत्र क्षमता क्रमांक 1170, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित वास्तव्य क्षमता-5.130 टन (2.137.8 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एन.ई.ए.सी. प्रतीनागढ़ के खाल क्रमांक 841, दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकल्प 'बी' खंडगरी का होने के कारण माना सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संचालन द्वारा अधिन, 2015 में प्रकीर्ण स्टैम्पड टर्म ऑफ रिपेरेस (टीडीआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एक्टिविटीज रिक्वायर्स

इन्धायलमेंट कमीशन अफर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में निर्मित भंगी 1(ए) का स्टीपडाई टीकोअर (लोक चुनवाई सहित) हेतु किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., उल्लखण्ड के ज्ञापन दिनांक 28/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 433वीं बैठक दिनांक 28/08/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मिलेश्वर चंद्राकर, प्रोजेक्ट इंजीनियर एवं पर्यावरण सहायकार के रूप में मेसर्स कॉम्पोजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुधी अंजली प्रधान उपस्थित हुए। समिति द्वारा मेसर्स, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स मेसर्स एसीटीए एन्वायरोटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एसीटीए एन्वायरोटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा अनधिकृत कारणों से आवंटित प्रकल्प की पर्यावरणीय स्वीकृति जारि हेतु अपनी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स कॉम्पोजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को सूचना दी गई। तदनुसार मेसर्स कॉम्पोजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) का कार्यनाम ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. ग्राम पंचायत का अनुरोधित प्रमाण पत्र - खदान के संबंध में ग्राम पंचायत अंजली का दिनांक 12/05/2018 का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. वास्तुन योजना - जारी प्लान इन्धायलमेंट मेनेजमेंट प्लान एच.आई.ए. कमीशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.उ.) संचालनालय, भूमिहीन तथा खनिजों तथा तत्वों अटल नगर के ज्ञापन नं. ड. 193/खनि 02/संयु.अनुमोदन/न.अ.02/2018(3) तथा तत्वपुर दिनांक 08/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कर्वालय कलेक्टर (खनिज सार), जिला-महासमुंद्र के ज्ञापन क्रमांक 623/क/खनि/न.अ./2021 महासमुंद्र दिनांक 08/08/2022 के अनुसार आवंटित खदान में 500 मीटर की भीतल अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.62 हेक्टेयर हैं।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कर्वालय कलेक्टर (खनिज सार), जिला-महासमुंद्र के ज्ञापन क्रमांक 288/क/खनि/न.अ./2021 महासमुंद्र दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार वस्तु खदान में 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय एवं एनोकर आदि प्रतिक्रियित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।

102



7. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि एवं एल.ओ.आई. की विशेषता संशोधन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज संसाधन), जिला-महासमुंद्र के द्वारा क्रमांक 1687/अ/सखनि पट्टा/खनि./प.अ.अ.00/2018 महासमुंद्र, दिनांक 26/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंटा जारी दिनांक 01/01/2021 की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संशोधनार्थ, सीमित कीमत खनिकर्त, नया रायपुर अटल नगर के पृ. क्रमांक 09/खनि 02/प.प.-अनुविधा./प.अ. अ.0/2017(4) नया रायपुर, दिनांक 01/01/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार एल. ओ.आई. में 1 वर्ष की कैंटा वृद्धि कि गई थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की कैंटा वृद्धि बाबत न्यायालय, संशोधक सीमित कीमत खनिकर्त, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 83/2022 द्वारा जारी पत्रित आदेश दिनांक 18/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि एल.ओ.आई. गैर खनिज विभाग, 2018 के नियम 42(2) पन्नु के तहत एक प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने परतन्त चलकनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु खनिज संसाधन विभाग करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महासमुंद्र को प्रेषणित किया जाता है।" होना बताया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणविभाग, वनान्य वनसंरक्षण, जिला-महासमुंद्र के द्वारा क्रमांक/भ.वि./6094 महासमुंद्र, दिनांक 17/12/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटास वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. दूर है।
10. महासमुंद्र संरक्षणक्षेत्र की दूरी - निकटतम आवासीय घास-आवेली 80 मीटर, मत्स्य घास-आवेली 850 मीटर एवं अस्पताल केलसोमला 8.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 17.8 कि.मी. दूर है। महानदी 2 कि.मी., तालाब 380 मीटर, नौसमी नाला 750 मीटर एवं नहर 300 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता सर्वेदनक्षेत्र क्षेत्र - परिवर्जना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अस्वास्थ्य, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विधिकारी पोस्चुटेक एरिया, पारिस्थितिकीय सर्वेदनक्षेत्र क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
12. खनन संसाधन एवं खनन का विवरण - जिवोतीजिवल रिजर्व 1,44,000 टन, भाईनेवत रिजर्व 82,171 टन एवं निकटतम रिजर्व 49,582 टन है। लीज की 7.8 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,078 वर्गमीटर है। खनन कर्म: मनुजल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में खनी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 17,780 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विकल्प किया जाएगा। खनन प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	4,024.80	द्वितीय	5,081.80
द्वितीय	5,081.80	तृतीय	4,924.80





कुलीय	4,868.20	अभिन	4,788.00
कापुरी	4,868.40	नयन	5,027.40
दण्डन	5,130.00	दशन	4,788.00

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेंट्रल प्रायमरी स्कूल अथॉरिटी का अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य - जील क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहरी में 812 नम वृक्षारोपण प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछी के लिए रशि 8,243 रुपये, बेन तिक बेंडिंग व पीछी के रक्ष-रक्षण के लिए रशि 1,03,732 रुपये, छाव के लिए रशि 20,325 रुपये एवं सिंचाई आदि के लिए रशि 60,000 रुपये, इन प्रस्ताव कुल रशि 2,23,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रक्ष-रक्षण हेतु कुल रशि 8,48,000 रुपये अगामी चार वर्षों हेतु घटकवार खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. छावन की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गहरी में उल्लंघन - जील क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ा गहरी में उल्लंघन कार्य नहीं किया गया है।
16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य 9 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर शक्ति स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सांद्रता लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	18	44	90
PM ₁₀	55	74	100
SO ₂	7	20	80
NO ₂	15	37	80

- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में बताये गये टेबल अनुसार क्लोरोफिल, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक एवं अन्य सांख्यिक तथ्यों का सांद्रता लेवल भारतीय मानक से कम है।

- iv. परिवेशीय शक्ति स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	48.5	62.5	75
Night L _{eq}	38.5	49.5	70

जो एकल क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. एकल मॉनिटरिंग कार्य के संचालन हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर 2022 से 15 नवम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर

11

11

के अंतर्गत 10 छावनों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 छावनों पर सू-जल गुणवत्ता मापन, 10 छावनों पर छाने स्तर मापन, 2 छावनों पर काली जल गुणवत्ता तथा 10 छावनों पर मिट्टी के लहूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- iv. अधिकतम सीमितरिण कार्यों के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का सामंजस लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	20	46	50
PM ₁₀	58	75	100
SO ₂	7	20	50
NO ₂	15	37	50

- v. अधिकतम सीमितरिण कार्यों के परिणामों अनुसार परिवेशीय श्रुति स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	48.4	62.3	75
Night L _{eq}	38.4	49.8	70

जो उच्च स्तर के निर्धारित मानक स्तर से कम है। सीमितरिण कार्यों तथा अधिकतम सीमितरिण कार्यों के परिणाम तुलनात्मक रूप से सन्तुष्ट पाये गये।

- vii. पी.सी.यू की गणना- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों की सम्बन्धित काली दुर्घट्ट ट्रैकिंग अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 425.50 पी.सी.यू प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (MTC ratio) 0.213 है। प्रस्तावित परियोजना उपरंत 50 पी.सी.यू की वृद्धि होगी। तत्परघात कुल 515.50 पी.सी.यू प्रतिघंटा एवं की/सी अनुपात (MTC ratio) 0.260 होगी। विस्तार के उपरंत भी सी-मटेरिणल/प्रेडिक्ड के परिघट्टन हेतु सड़क मार्ग की लोड बेरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।
- viii. जी.एल.सी की गणना - जी.एल.सी की गणना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में पी.एम₁₀ का अधिकतम क्यूमेसीटिव जी.एल.सी 72.78 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा पी.एम_{2.5} का अधिकतम क्यूमेसीटिव जी.एल.सी 47.27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ होगी। जो उच्च स्तर के निर्धारित मानक स्तर से कम है।
17. लोक सुनवाई विभांक 05/08/2022 अपरंत 12:00 बजे स्थान - राम संघाघर स्थान, राम-आशोरी, सहसील एवं विला-महाकमुंड में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई वसतार्येज सवस्य सचिव, अलीशायद कर्तार्येज संस्थान मंडल, नया सवसुर अटल नगर, विला-सवसुर के पत्र विभांक 19/08/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं-
- निजी जमीन में जो सवसुर संघाघरित कर रहे हैं, वह विला भी वेस्ट मटेरिणल है वह अपने जगह में रखें, जहाँ भी वेस्टेज शासकीय भूमि में न डालें।
 - सवसुर के घनों क्षेत्र तार घरे की आवश्यकता है। तार घेत नहीं होने के कारण मोठी अदि गिर रहे हैं। लोहे के तार द्वारा घेत करारा जाए जिससे घानीय एवं जलनीय की दुर्घटना में बचाव जा सके।

क. घास की सभी बोट में बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिसमें बच्चे स्नान करते समय गिर जाते हैं, तेज गन्तार जहनों के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठते गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिषदीय प्रस्तावक की ओर से उपरोक्त प्रतिनिधि/कॉन्सल्टेंट का कठन निम्नानुसार है:-

1. घास के दौरान उत्पन्न होने वाले गड्ढे निरोद्धक का निम्नानुसार अनुसूचित उत्खनन योजना के अनुसार ही किया जाएगा, इसके अलावा बोट की घास किसी भी सार्वजनिक स्थल के इर्द गिर्द या हाइवे/राज्य स्तर में हो नहीं किया जाएगा।
2. घास का सीमांकन कराकर, घाटी और पेरिंग कराकर ही उत्खनन किया जाएगा, इस पंचायत द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा।
3. सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रतिक्रिया घास घातकों को समाप्त जाएगा एवं घास घातकों को सतत दिशा निर्देश दिये जाएंगे। पक्षियों का परिचालन सार्वजनिक से दूरकर, परिचालन की सभी नियमों का पालन करती हुए किया जाएगा। निम्नानुसार परिषदीय में ही परिचालन किया जाएगा।

12. कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – परिषदीय प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आर्बोरेट घास को शामिल करते हुए कलक्टर में कुल 4 खदानें आती हैं। अब कलक्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)	
प्रस्तावित निरोद्धक हेतु परिचालन के दौरान सड़कों/घाटों/घाटों से उत्पन्न हुए उत्खनन के निरोद्धक हेतु जल सिक्रेशन, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 500 मीटर	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	
पट्टीय मार्ग के दोनों तरफ (304 मग) कुआरों/घाटों हेतु	कुआरों/घाटों (30 प्रतिघाट जीवन बट) हेतु प्रति टी-मार्ग एवं पट्टीय के रख-रखाव हेतु प्रति	3,670	330	330	330	330
	रख-रखाव हेतु प्रति	83,880	50,320	50,320	50,320	50,320
	घास हेतु प्रति	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350

	सिंचाई हेतु राशि	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट हेतु राशि	सॉलिटरिंग	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000
सड़कों / पट्टीय मार्गों के संभारण हेतु राशि		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
हेल्थ चेक-अप हेतु राशि		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 25,87,000		5,47,000	5,10,000	5,10,000	5,10,000	5,10,000

जीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहमतिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रथम निवेशन हेतु परिवर्तन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्गों के संभारण पूरा कार्यालय के निवेशन हेतु जब सिंचाई, पट्टीय मार्ग (लम्बाई 118 मीटर)	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
पट्टीय मार्ग (लम्बाई 118 मीटर) में 18 मम सुधारण (50 प्रतिशत जीवन दर के साथ सुधारण, ट्री-प्लांट, ग्रास सिंचाई एवं स्व-सहाय जल) हेतु राशि	43,200	34,600	34,600	34,600	34,600
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट हेतु राशि	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
सड़कों / पट्टीय मार्गों के संभारण हेतु राशि	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
हेल्थ चेक-अप हेतु राशि	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300
कुल राशि = 8,21,800	1,27,200	1,18,600	1,18,600	1,18,600	1,18,600

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16.01	2%	0.32	Following activities at Village-Achholi	

			Plantation of Village Pond with fencing	0.495
			Total	0.495

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत आलाय के क्षेत्रफल अनुसार कुल 70 नम पीछी को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में आलाय के किनारे 20 नम पीछे उचित है। बीच 60 नम पीछी को रोपण बलस्तर में शामिल कुल 4 खदानों के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 12 नम पीछी के वृक्षरोपण (4 पीछे से 8 पीछे ऊंचाई के पीछे - आम, जामुन एवं कटहल) के लिए राशि 1,800 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,500 रुपये, खाद के लिए राशि 800 रुपये, सींचिंग तथा पत्र-पत्राव आदि के लिए राशि 8,900 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 38,800 रुपये हेतु घटकवार बांध का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वक्ताशोध स्थल (खानाबं क्रमांक 1823, क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
22. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यस्थल हेतु घास पंचायत का सहयोग प्राप्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
23. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 17,780 घनमीटर है। इसमें से 2,442 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी 7.5 मीटर चौड़ाई (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सीलाकर वृक्षरोपण के लिए उपयोग किया जाएगा व बीच 15,348 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर उत्खनन प्लान अनुसार रखा जाएगा। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 1170/1, कुल रकबा 4.99 हेक्टेयर में से 3.88 हेक्टेयर) में भंडारित वन संरक्षित रखा जाएगा।
24. ऊपरी मिट्टी को सर्वोत्तम लीज क्षेत्र के अंदर सेम्टी जेन में 1 मीटर की चौड़ाई तक भण्डारित करने तथा बीच ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित वन संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुसरोपण न करने, विकस्य न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना से दिन-दिन स्थलों से स्टुडिंट्स अस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल शिफ्टिंग की व्यवस्था किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. नार्डनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षरोपण किये जाने एवं रोपित पीछी का सालाईयात रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. अतीसमय अवधि पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाणगढ़ी डिप्लॉट द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. किसी भी प्रस्ताव का दूधित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रलंबन का प्रकरण ललित नहीं है।
31. लोक सुनवाई के दौरान जो भी आवलित, सुझाव या सुद्धे उठाये गये हैं उसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जानकारी को अनुसार निराकरण करने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुमलन के लिए पर्यावरण के माईकलाईन के अनुसार कलक्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के विस्तार-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत सख्त पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. आवेदित खदान को सम्मिल कर कलक्टर में कुल 4 खदानें हैं। कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता तैयार कर नाले में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध बनाकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।
34. कलक्टर में आने वाले खदान के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का अर्थात एवं रेगुलर सलित नाले में दर्शित हुये पुनर्वसित कर प्रस्तुत किया गया है।
35. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुआरेशन कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु वि-क्षीप समिति (ग्रोपसाईटर/ऑडिबिडि, ग्राम पंचायत के पराधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या असीतापट्ट पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पराधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुआरेशन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरंत गठित वि-क्षीप समिति से सलवधित जनाय जागा आवश्यक है।
36. माननीय एन.जी.टी., डिपल्लत बेंग, नई दिल्ली द्वारा सर्वेड पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अभिजनल एडिबिडिशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पलित आवेदत में गुज्य एन से निम्ननुसार निर्दिशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-महासमुंद्र के द्वारा क्रमांक 623/क/खनि/स.अ./2021 महासमुंद्र, दिनांक 09/08/2023 को अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 38 खदानें, क्षेत्रफल 22.62 हेक्टेयर है। आवंटित खदान (घाम-अधोली) का क्षेत्र 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवंटित खदान (घाम-अधोली) को मिलाकर कुल क्षेत्र 23.62 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने की कारण यह खदान सी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कस्तूर में जाने वाली खदानों की चालानन गतिविधियों से पर्यावरणीय प्रभाव वन बढ़ने वाले इलाकों की संरक्षण हेतु कस्तूर में जाने वाले समस्त खदानों को शामिल करती हुये, कस्तूर हेतु डॉनर इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करना हेतु संचालक, संचालनवालय, भीमिडी तथा खनिजन, इटावली भवन, नवा रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (झटीकगढ़) के सार से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यकरण हेतु घाम पंचायत का सहमति पत्र एम.ई.आई.ए.ए., झटीकगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुज्ञा की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवंटित - मेडाई अधोली खनिज स्टोन माईन (घो- सी विलेखर चंद्रावन) को घाम-अधोली, तहरील व जिला-महासमुंद्र के पार्ट ऑफ खाना क्रमांक 1170 में स्थित फर्डी पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, क्षमता-8,100 टन (2,137 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-69 में वर्णित शर्तों के अधीन शर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुज्ञा की गई।

यहां राष्ट्रीय पर्यावरण इमारत आकलन प्रणाली (एन.ई.आई.ए.ए.) झटीकगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार जानकारी एम.ई.आई.ए.ए., झटीकगढ़ के सार प्रस्तुत करने हेतु लेख किया जाए।

3. मेडाई अधोली खनिज स्टोन माईन (घो- सी मोहन जाल राव), घाम-अधोली, तहरील व जिला-महासमुंद्र (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1506)

ऑनलाईन आवंटन - पूर्व में प्रोजेक्ट नंबर - एम.आई.ए./ सीजी/ एम.आई.ए./ 81743/2021, दिनांक 12/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवंटन किया गया था। वर्तमान में प्रोजेक्ट नंबर - एम.आई.ए./ सीजी/ एम.आई.ए./ 415238/2023, दिनांक 09/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित खरी पत्तन (वीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अधोली, तहसील व जिला-महासमुद निचात खसरा क्रमांक 1408 एवं 1280/1, कुल क्षेत्रफल-0.87 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित परखाना क्षमता-3,777.84 टन (1.8241 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एच.आई.ए.सी. कर्त्तविसमूह के द्वारा क्रमांक 643, दिनांक 28/08/2021 द्वारा परखाना वीन खदानों का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रस्तावित स्टीमरॉई टर्न ऑफ लिमिटेड (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एन.सी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निष्पत्तीय इन्फार्मेशन कमीशन अक्टूबर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेनी 1(1) का स्टीमरॉई टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.आई.ए.सी. कर्त्तविसमूह के द्वारा दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 800वीं बैठक दिनांक 28/03/2023

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री मंगल जगत साहू, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्फिन्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की और श्री सुधी अंबाली बनने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न सिद्धि पाई गई-

1. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इन्फो ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स मेसर्स एसीटीए एन्वायरनेटक इन्फिन्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एसीटीए एन्वायरनेटक इन्फिन्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा अनिश्चित कारणों से आवेदित प्रस्ताव की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हेतु अपना कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्फिन्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2023 को सूचना दी गई। तदनुसार मेसर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन्फिन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इन्फो ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर पर्याप्त ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. ग्राम पंचायत का अनुरोधित प्रस्ताव पत्र - राजनन के संदर्भ में ग्राम पंचायत अधोली वन दिनांक 28/08/2019 का अनुरोधित प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. परखाना योजना - खरी पत्तन, इन्फार्मेशन मैनेजमेंट प्लान एम्ब क्वी क्वीअर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उन संघालक (खनिज) जिला-राधपुर के वृ. खसरा क्रमांक 870-2/ख.लि./वीन-8/2019 राधपुर दिनांक 15/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।
5. 800 मीटर की परिधि में निचात खदान - कार्पोरेशन कलेक्टर (खनिज सखत), जिला-महासमुद के द्वारा क्रमांक 827/क/खलि/व.अ./2021 महासमुद

RA

0

दिनांक 08/08/2022 को अनुसार आवेदित खदान से 600 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.86 हेक्टर है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के प्रमाण क्रमांक 1074/क/ई-निविदा/ख.सि./न.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 17/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एक खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जद, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय एवं एंटीकॉस्ट आदि प्रतीक्षित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई, चंकेरी किरान - एल.ओ.आई, श्री मोहन लाल साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के प्रमाण क्रमांक 805/क/ई-निविदा/ख.सि./न.क्र.80/2018 महासमुंद, दिनांक 30/05/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी केवल जारी दिनांक से 8 माह की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संचालनालय, भूमिदात्री तथा खनिकर्मा, नया रायपुर अटल नगर को पृ. प्रमाण क्रमांक 8100/खनि 02/उ.प.-अनुमिष्य./न.क्र. 80/2017 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी पत्र अनुसार एल.ओ.आई, में 8 माह की केवल वृद्धि कि गई थी। तत्पश्चात् एल.ओ. आई, की केवल वृद्धि कक्षा न्यायालय, संचालक भूमिदात्री तथा खनिकर्मा, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 43/2020 द्वारा जारी पत्रित आवेदक दिनांक 25/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "क्षेत्रीय विवेचना के आधार पर अपील प्रकरण स्वीकार कर्ता हुए, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के पत्र दिनांक 30/05/2019 द्वारा जारी आदेश पत्र में निर्दिष्ट शर्तों का पालन अपीलकर्ता श्री मोहन लाल साहू, निवासी 342 प्रोसेसर कॉलोनी, सक्रिय नदिर के पास, रायपुर द्वारा कर लिए जाने की स्थिति में उत्तीर्णपत्र प्राप्त, खनिज संधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 8-42/2012/12, दिनांक 28/08/2020 के परिषेध में उत्तीर्णपत्र नीचे खनिज नियम, 2018 के नियम 42(5) के तहत एक प्रकरण में नियमानुसार अधिन कार्यवाही करने हेतु अधिनित समयावधि प्रदान कर्ता हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महासमुंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
8. भू-स्वामित्व - खसत क्रमांक 1280/1 श्री कुलेखर एवं खसत क्रमांक 1408 श्री मोहन लाल साहू के नाम पर है। कलकन हेतु भू-स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनामतित प्रमाण पत्र - कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, जिला-महासमुंद के प्रमाण क्रमांक/2426 महासमुंद, दिनांक 14/10/2019 से जारी अनामतित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. की दूर है।
11. महासमुंद संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घास-आधीनी 400 मीटर, स्कूल घास-आधीनी 1 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 14.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 30 कि.मी. दूर है। महानदी 1.5 कि.मी., तालाब 1.15 कि.मी., खोदान नाल 280 मीटर एवं नहर 880 मीटर दूर है।





12. **परिस्थितीय/जीवविक्रिता संवेदनशील क्षेत्र** - परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिटेकपी वॉल्यूटेज एरिया, परिस्थितीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविक्रिता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

13. **खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण** - जिपसोसिफिकेशन रिजर्व 88,480 टन, माईनिंग रिजर्व 24,081 टन एवं रिफ़ाइनमेंट रिजर्व 27,873 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,882 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,314 घनमीटर है। बीच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का मिश्रण किया जाएगा। लीज पर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,068.56	षष्ठम	2,288.00
द्वितीय	2,892.00	सप्तम	2,918.00
तृतीय	2,884.16	अष्टम	3,594.00
चतुर्थ	3,378.08	नवम	3,304.80
पंचम	2,918.00	दशम	3,777.04

14. **जल आपूर्ति** - परिवर्तन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति सेक्टर एवं ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस कार्य केन्द्रीय शारदा नदी अधीनस्थ एवं ग्राम पंचायत का अनुमति प्राप्त कर प्राप्त किया गया है।

15. **पूजायोग्य कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 873 वर्ग पूजायोग्य प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछी के लिए राशि 8,300 रुपये, बेन लिंक पेंसिव 2 पीछी के रख-रखाव के लिए राशि 88,372 रुपये, खाद के लिए राशि 14,308 रुपये एवं विभिन्न आदि के लिए राशि 82,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,00,000 रुपये प्रत्येक वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 8,20,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु परतकर खाद का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विवरण** -

1. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** - सीमितता कार्य 9 मार्च 2021 से 18 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतराल 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मान्यन लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	18	44	80
PM _{2.5}	55	74	100
SO ₂	7	20	80
NO ₂	15	37	80

- iii. परिवहन जल के अलावा जल स्त्रों की गुणवत्ता— ईआईए के Chapter-3 Description of environment में दर्शाए गये टेबल अनुसार क्लोरिड, नाइट्रेट, सल्फर, कार्बोनेट, जैविक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का मान्यन लेवल भारतीय मानक से कम है।

- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	48.5	62.5	75
Night L _{eq}	38.5	49.5	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. उक्त मॉनिटरिंग कार्य के सत्यापन हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर 2022 से 13 नवम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- vi. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मान्यन लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	20	40	80
PM _{2.5}	58	75	100
SO ₂	7	20	80
NO ₂	15	37	80

- vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	48.4	62.3	75
Night L _{eq}	38.4	49.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्य तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणाम तुलनात्मक रूप से समान पाये गये।

- viii. पी.सी.यू की गणना— भारी वाहनों / मल्टीएक्सल ईपीए वलनों को समर्पित करते हुए ट्रेडिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्मान में 425.50 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/वी अनुसार (MTC 1980) 0.213 है।

प्रस्तावित परियोजना उपर्युक्त 80 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। उत्पादकता कुल 818.50 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/घंटा अनुपात (MTC ratio) 0.260 होगी। विस्तार के उपरांत भी सी-स्टैबिल/डोकमेट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लंबी कीलिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

17. जी.एल.सी. की गणना - जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत की गई है, जिसमें अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में पी.एन.₂₀ का अधिकतम क्षमतापूर्वक जी.एल.सी. 78.76 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा पी.एन.₁₀ का अधिकतम क्षमतापूर्वक जी.एल.सी. 47.27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ होगी। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 08/08/2022 अपराह्न 12:00 बजे स्थान - ग्राम पंचायत भवन, ग्राम-अडोली, तहसील एवं जिला-महाराष्ट्र में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज तदनुसार सविस्तर जलवायु परिवर्तन संरक्षण मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पास दिनांक 19/08/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. निजी जमीन में जो खदान संचालित कर रहे हैं, वह जितना भी वेस्ट मटेरियल है वह अपने जगह में रखें, कहीं भी वेस्टेज सामाजिक भूमि में न डालें।

2. खदान के चारों ओर तार धरे की आवश्यकता है। तार फेंक नहीं होने की कारण मवेशी आदि मर रहे हैं। लोहे के तार द्वारा घेरा करवा जाए जिससे सामाजिक एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।

3. ग्राम के सभी तंत्र में बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिसमें बर्बाद लकड़ें जाले समय फिर जाले हैं, तंत्र स्थान वहाँ के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का उत्तर निम्नानुसार है:-

1. खदान के दौरान उत्पन्न होने वाले सड़क रिजेक्ट्स का निस्तारण अनुमोदित संरक्षण योजना के अनुसार ही किया जाएगा, इन्हें खदान क्षेत्र के बाहर किसी भी सामाजिक स्थल के इर्द गिर्द या सामाजिक स्थल में डाल नहीं किया जाएगा।

2. खदान का सीमांकन कराकर, चारों ओर बंधित कराकर ही संरक्षण किया जाएगा, ग्राम पंचायत द्वारा जो निर्बंध किया जाएगा, उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा।

3. खदान में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रतिबंधित सड़क बाजलों को लगाया जाएगा एवं खदान बाजलों को सतत दिशा निर्देश दिये जाएंगे। पत्थरों का परिवहन कार्बोलेम से इकट्ठा, परिवहन के सभी निचकों का पालन करते हुए किया जाएगा। नियमानुसार गतिशीलता में ही परिवहन किया जाएगा।

20. कंसल्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करती हुई कंसल्टर में कुल 4 खदानें आवी हैं। उक्त कंसल्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

101



विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़की/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 500 मीटर	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000
पट्टीय मार्ग के दोनों ओर (204 म.म.) कुआरोपण हेतु	3,870	300	300	300	300
टी-गार्ड एवं एच-एचए हेतु	63,880	60,320	60,320	60,320	60,320
खाद हेतु	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360
सिंचाई हेतु	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर नॉन-टैरिफ हेतु	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000
सड़की / पट्टीय मार्ग को संभाल हेतु	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
हैन्ड पेंस-अप हेतु	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल राशि = 26,87,000	5,47,000	5,10,000	5,10,000	5,10,000	5,10,000

कोमन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में परिवहन प्रस्तावों की सहायिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़की/पट्टीय मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टीय मार्ग (लम्बाई 78 मीटर)	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
पट्टीय मार्ग (लम्बाई 78 मीटर) में 52 नए कुआरोपण (50 प्रतिशत जीवन वक के साथ कुआरोपण, टी-गार्ड, खाद सिंचाई एवं एच-	29,000	23,200	23,200	23,200	23,200

111



सहाय्य अदि) हेतु राशि					
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु राशि	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
सहयोगी / पहुँच मार्ग के संयोजन हेतु राशि	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
होम चैक-अप हेतु राशि	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
कुल राशि = 4,03,200	85,300	79,500	79,500	79,500	79,500

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु राशि के लक्ष्य विस्तार से मार्ग उपरोक्त विभागागत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.05	2%	0.26	Following activities at Village-Aacholi	
			Plantation at Village Pond with fencing	0.346
			Total	0.346

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत लालच के क्षेत्रफल अनुसार कुल 70 नम पीछी को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में लालच के किनारे 20 नम पीछे जोड़ित है। क्षेत्र 60 नम पीछी को रोपण बलस्तर में शामिल कुल 4 खदानों के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 9 नम पीछी के वृक्षारोपण (4 पीट से 5 पीट ऊंचाई के पीछे – आम, जामुन एवं कटहल) के लिए राशि 1,350 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 2,500 रुपये, खाद के लिए राशि 450 रुपये, पेशिन तथा लक-लकवा अदि के लिए राशि 4,750 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 9,050 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 25,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्याथोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1823, क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर) की संरक्ष में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु राम संघात का सटर्नरी पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,314 घनमीटर है। इसमें से 1,003.6 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज पट्टी 7.5 मीटर चौड़ाई (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पीलवक वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा व लीज 10810.4 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 825/3 तथा 844, कुल एका 0.33 हेक्टेयर) में संरक्षित कर संरक्षित रखा जाएगा।

25. कपरी मिट्टी को सर्वप्रथम लीज क्षेत्र के अंदर सेप्टी ज़ोन में 1 मीटर की ऊंचाई तक सम्प्रसारित करने तथा क्षेत्र कपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सम्प्रसारित कर सम्प्रसारित नहीं करने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. लीज क्षेत्र में अवस्थित कुओं की कटाई सहज प्राधिकारी से अनुमति उपरोक्त ही किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना से दिन-दिन कुओं से पम्पिंगटिव असेट उत्पन्न होगा, इन कुओं पर निर्धारित जल विक्रय का व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सचन कुशलतापूर्वक किये जाने एवं संप्रसारित क्षेत्रों का सर्वेक्षण रिपोर्ट (Survival note) को प्रमाणित सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. प्रदूषण नियंत्रण आदेश पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नलिखित कानूनन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत सचनपुत्री निस्कार द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल नदी, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
34. लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, मुद्दा या मुद्दे उठाये गये हैं उनके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जानकारी के अनुसार निराकरण करने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के माइक्रोलाईस के अनुसार क्लस्टर में स्थापित सभी आबादी के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिशा-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. आवेदित खदान को शामिल कर क्लस्टर में कुल 4 खदानें हैं। क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता तैयार कर नवीन में प्रदर्शित कर्तव्य हेतु जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कॉमन

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुसंधान कालक्रम जानकारी प्रस्तुत की गई है।

27. कलक्टर में जाने वाले खदान के लिए रैडार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान हेतु खदान का अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शों में दर्शाते हुए पुनर्विधित रूप प्रस्तुत किया गया है।
28. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान में परिचोचन प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुशलतापूर्ण कार्य के निश्चिन्त एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ओनसाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के प्राधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या भारतीयसड़क पर्यावरण संरक्षण मण्डल के प्राधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान में परिचोचन प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुशलतापूर्ण कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सन्तुष्टि कनाया जाना आवश्यक है।
29. मानवीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट लेव, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अभियोजन एडिजेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को जारी आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SELAA as well as for cluster situation where area is is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease site exceed 5 ha. EIA / EMP to made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसाधारण से निम्नानुसार निर्वहण किया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 807/क/खनि/न.अ./2021 महासमुद्र, दिनांक 09/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.88 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (राम-अधोली) का एका 0.87 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (राम-अधोली) को मिलाकर कुल एका 23.82 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान सी-1 श्रेणी की गनी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं मानवीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलक्टर में जाने वाली खदानों की पर्यवेक्षण गतिविधियों से पर्यावरणीय खतरों पर पड़ने वाले प्रभावों की पर्यवेक्षण हेतु कलक्टर में जाने वाले खदानों को शामिल करते हुए, कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान रैडार किये जाने तथा विधिवत कानून हेतु संचालक, संचालनालय, नीतिकी तथा खनिज, इंधनमंत्री मन्त्र, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (अलीसगढ़) के तार से अनुमति कार्यावाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।





3. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यकाल हेतु राज पंचायत का सहमति पत्र एच.ई.आई.ए.ए. फ्लोरोसाड में अधिवार्ड रूप में प्रस्तुत करने की तारीखें के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहाय अनुमति की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदन - मेसर्स अशोली फ्लोर स्टोन साईन (प्री- बी फ्लोर) जाल साहू को जाल-अशोली, तहसील व जिला-महाराष्ट्र के समस्त क्रमांक 1408 एवं 1280/1 में स्थित फर्नीचर (सीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.87 हेक्टेयर, क्षमता-3.777 टन (1.814 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिसिस्ट-04 में समित तारीखें के अधीन सहाय पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य पर्यावरण पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.) फ्लोरोसाड को उपानुसार सूचित किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्तानुसार जानकारी एच.ई.आई.ए.ए. फ्लोरोसाड के साथ प्रस्तुत करने हेतु लेख किया जाए।

10. मेसर्स अशोली फ्लोर स्टोन साईन (प्री- बी विष्णु साहू, जाल-अशोली, तहसील व जिला-महाराष्ट्र (सविद्यालय का नती क्रमांक 1528)

अनुमति आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एच.आई.ए./ सीजी/ एम.आई.ए./ 61754/2021, दिनांक 12/03/2021 द्वारा सी.ई.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रोजेक्ट नम्बर - एच.आई.ए./ सीजी/ एम.आई.ए./ 417349/2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित फर्नीचर (सीम खनिज) खदान है। खदान जाल-अशोली, तहसील व जिला-महाराष्ट्र स्थित समस्त क्रमांक 78/2 एवं 1307, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित क्षमता - 6.7392 टन (2.808 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एच.ई.ए.सी. फ्लोरोसाड के आदेश क्रमांक 627, दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकल्प की 'कटेगरी का होने के कारण जाल सारदार, पर्यावरण, जन और जलवायु परिसरगत मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रस्तावित स्टैम्पड टर्म्स ऑफ रिजिस्ट्रेशन (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एनटीसीटीए रिजिस्ट्रेशन इन्फार्मेशन डीप्लीट करीबत क्रमांक ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 में समित कंपनी (ए) का स्टैम्पड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु किया गया है।

उपानुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. फ्लोरोसाड के आदेश दिनांक 28/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैंक का विवरण -

(अ) समिति की 55वीं बैठक दिनांक 28/03/2023।

प्रस्तुतीकरण हेतु बी विष्णु प्रसाद साहू, प्रोप्राइटर एवं पर्यावरण सहायकार के रूप में मेसर्स इन्वीरोन्ट रिसर्च इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुधी अशोली बनाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कृष्ण ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स मेसर्स एनटीसीटीए इन्फार्मेशन डीप्लीट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एनटीसीटीए इन्फार्मेशन डीप्लीट

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा अतिरिक्त कर्मियों से आवंटित प्रकल्प की पर्यावरणीय स्वीकृति जारि हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना इलाजक द्वारा मेसर्स डी.पी.जे.एस. रिसर्च इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। जिसके संदर्भ में परियोजना इलाजक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को सूचना दी गई। तदुपर्यात् मेसर्स डी.पी.जे.एस. रिसर्च इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दृष्टि ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) का कार्यपत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया।

2. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. घास पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में घास पंचायत अजौली का दिनांक 25/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. परखनम योजना - क्वार्टी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एम्ब क्वार्टी कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एम संघालक (खनिज/घा. लि./न.ज.)/2019 का दिनांक 27/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कर्वालिया कलेक्टर (खनिज/घा. लि./न.ज.)/2019 का दिनांक 08/05/2022 से अनुमान आवंटित खदान में 500 मीटर के भीतर आवधिक 28 खदानें, संभवतः 22.82 हेक्टेयर हैं।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कर्वालिया कलेक्टर (खनिज/घा. लि./न.ज.)/2019 का दिनांक 17/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे परिवार क्वार्टर, मकान, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनोस्ट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
7. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि एवं एल.ओ.आई. की विष्णु सहाय की नाम पर है, जो कर्वालिया कलेक्टर (खनिज/घा. लि./न.ज.)/2019 का दिनांक 28/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक की। तदुपर्यात् एल.ओ.आई. की वैधता दृष्टि कम्प्यूटर सहायक प्रौद्योगिकी तथा खनिकर्मा, नया रावपुर अदालत नगर के पुनरीक्षण प्रकल्प क्रमांक 44/2020 द्वारा जारी पारित आवेदन दिनांक 28/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील प्रकल्प स्वीकार करने हेतु, जिला कर्वालिया (खनिज/घा. लि./न.ज.)/2019 का दिनांक 28/02/2019 द्वारा जारी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट सर्तों का पालन अपीलकर्ता श्री विष्णु सहाय निवासा घान अजौली राहौली व जिला नहासमुंद द्वारा कर लिए जाने की स्थिति में जमीनसद्व कारणा, खनिज सहाय निवासा द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एम 8-42/2012/13, दिनांक 28/08/2020 के परिच्छेद में जमीनसद्व गौन खनिज निवासा, 2013 के नियम 42(3) के तहत उक्त प्रकल्प में निम्नानुसार अतिरिक्त कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करने हेतु

प्रकल्प कसेक्टर, जिला महासमुद्र को प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। होना बताया गया है।

8. वन विभाग का अनुपति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनसंरक्षक(करी, सामान्य वनसंरक्षक, जिला-महासमुद्र को प्राप्त क्रमांक/सा.वि./3910 महासमुद्र, दिनांक 23/07/2018 से जारी अनुपति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र निकटासन वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. दूर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटासन आवारी घास-आबोली 1 कि.मी., स्कूल घास-आबोली 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल बिल्डिंग 8.20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.70 कि.मी. दूर है। ऊंचा रास्ता 10 मीटर, महानदी 780 मीटर, तालाब 800 मीटर, कोयल नाला 100 मीटर एवं नहर 535 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संरक्षणशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेकली पोस्चुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संरक्षणशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन शक्ति एवं खनन का विवरण – जियोलाजिकल रिजर्व 1,44,000 टन, पाईनेबल रिजर्व 69,978 टन एवं सिन्क्रोबल रिजर्व 58,881 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,381 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल सिद्धि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल गहराई 12.517 वर्गमीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में समुद्र प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	इजाजतित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,480.00	षष्ठम	6,642.00
द्वितीय	6,078.24	सप्तम	6,320.80
तृतीय	5,938.00	अष्टम	6,739.20
चतुर्थ	6,480.00	नवम	6,091.20
पंचम	6,091.20	दशम	6,642.48

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 वर्गमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घास पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बावजूद घास पंचायत का अनुपति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. कुसरीयता कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चाली ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 872 नम कुसरीयता प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछी के लिए राशि 7,302 रुपये, वेन ड्रिंक पॉसिबल 8 पीछी के रख-रखाव के लिए राशि 95,808 रुपये, खाद के लिए राशि 18,800 रुपये एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 90,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,16,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 8,32,000 रुपये अगामी चार वर्षों हेतु पर्यवेक्षण जल का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

11/11/18

14. कक्षा की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा बढ़ती में अखणन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा बढ़ती में अखणन कार्य नहीं किया गया है।

15. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य 9 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के बीच किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर शक्ति सार मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मान्यता स्तर:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	18	44	50
PM _{2.5}	55	74	100
SO ₂	7	20	80
NO ₂	15	37	80

iii. परिशोधना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में उल्लिखित सभी जल स्रोतों अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रेट्स, कल्चर, कार्बोनेट्स, आयनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का मान्यता स्तर भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय शक्ति सार:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	48.5	62.5	75
Night L _{eq}	38.5	49.5	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. जल मॉनिटरिंग कार्य के संचालन हेतु अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर 2022 से 15 नवम्बर 2022 के बीच किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर शक्ति सार मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

vi. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मान्यता स्तर:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	20	46	50
PM _{2.5}	58	75	100
SO ₂	7	20	80
NO ₂	15	37	80

16. **अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्ड के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर:-**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	48.4	62.3	75
Night L_{eq}	38.4	49.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्ड तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्ड के परिणाम सुलभतामय रूप से समान पाये गये।

- 16a. **पी.सी.यू की गणना:-** चारों बहनों / मस्टीरलगाज डेरी बहनों को सम्बन्धित करके कुल दैनिक अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 428.80 पी.सी.यू प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (APC ratio) 0.213 है। प्रस्तावित परिवर्धना उपरोक्त 90 पी.सी.यू की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 518.80 पी.सी.यू क्षीयण एवं की/सी अनुपात (APC ratio) 0.280 होगी। विस्तार के उपरोक्त भी टी-मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क चारों की जोर करीब क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।
- 16b. **जी.एल.सी. की गणना -** जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में पी.एन_{ox} का अधिकतम क्यूमेलेटिव जी.एल.सी. 79.78 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा पी.एन_{ox} का अधिकतम क्यूमेलेटिव जी.एल.सी. 47.27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ होगी। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।
16. **लोक सुनवाई दिनांक 05/08/2022 अथवा 12/08 को स्थान -** ग्राम संघायात भवन, ग्राम-आमोली, तहसील एवं जिला-महासमुंद्र में संयोजन हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित सार्वजनिक स्थित, अतीरलगाज पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अटल नगर, जिला-रावपुर के पत्र दिनांक 19/08/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
17. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-**

- निजी जमीन में जो खदान संघालित कम रहे हैं, वह विस्तार की वेस्ट मटेरियल है वह अपने जगह में रखें, कहीं भी वेस्टेज सांख्यिकीय पूर्ण में न करे।
- खदान के चारों ओर ताल घेरे की आवश्यकता है। ताल घेरा नहीं होने से कारण मवेशी आदि गिर जाते हैं। जोड़ों के ताल द्वारा घेरा कराया जाए जिससे शरीरों एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।
- ग्राम के सभी रोड में बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिसमें बच्चे गड्ढे जाते समय गिर जाते हैं, तेज रफ्तार बहनों के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उल्लेख किये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिवर्धना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- ग्राम के दौरान खदान होने वाले माइन रिजर्व्ट्स का निरालन अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार ही किया जायेगा, इन्हें खदान क्षेत्र के बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थल से दूर निर्दे या सांख्यिकीय स्थल में करे नहीं किया जाएगा।
- खदान का सौनांकन करणकर, चारों ओर करीब करणन ही उत्खनन किया जायेगा, ग्राम संघायात द्वारा जो निर्वेय किया जायेगा, उत्खनन पूर्णतः वासन किया जायेगा।

14. सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं को बचाने के लिए प्रतिष्ठित सड़क चालकों को लगाना जायेगा एवं सड़क चालकों को सड़क दिशा निर्देश दिये जायेंगे। पलकों का परिवहन ताल्पोलिन से ब्रककर परिवहन के सभी लिम्बों का पालन कर्ता हुए किया जायेगा। निम्नानुसार गतिशील में ही परिवहन किया जायेगा।

15. कालस्टन हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान – परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अपेक्षित खदान को शामिल करते हुए कालस्टन में कुल 4 खदानें आवी हैं। अब कालस्टन में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग के उपरान्त कुल प्रस्तावित के निम्नलिखित हेतु जल सिफ्टकार, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 500 मीटर	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000
पट्टीय मार्ग के दोनों तरफ (304 मीटर) कुशासीपन हेतु सड़क	3,870	330	330	330	330
पट्टीय मार्ग के दोनों तरफ (304 मीटर) के रक- रकान हेतु सड़क	60,980	60,320	60,320	60,320	60,320
सड़क हेतु सड़क	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350
सिपाई हेतु सड़क	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट हेतु सड़क	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000
सड़कों / पट्टीय मार्ग के संवर्धन हेतु सड़क	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
वेल्डिंग-अप हेतु सड़क	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
कुल सड़क = 25,87,000	6,47,000	5,10,000	5,10,000	5,10,000	5,10,000

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परिवर्तन प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500

सड़कों/पट्टीय मार्गों के रखरखाव हेतु प्रस्तावित की गई राशि (सम्बाई 118 मीटर)					
पट्टीय मार्ग (सम्बाई 118 मीटर) में 78 नए कुआरोंपन (30 प्रतिशत जीवन दर के साथ कुआरोंपन, टी-मार्क, चाद सिपाई एवं एच-रखाव आदि) हेतु राशि	43,200	34,600	34,600	34,600	34,600
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग हेतु राशि	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
सड़कों / पट्टीय मार्गों के रखरखाव हेतु राशि	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
अन्य धन-अव्यय हेतु राशि	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300
कुल राशि = 8,01,800	1,27,200	1,18,600	1,18,600	1,18,600	1,18,600

19. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा करके निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.01	2%	0.40	Following activities at Village-Achholi	
			Plantation at Village Pond with fencing	0.400
			Total	0.400

20. सी.ई.आर. की अंतर्गत लागत की श्रेणीगत अनुसार कुल 70 नए पीछों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में लागत की शिफारिश 20 नए पीछों की है। शेष 50 नए पीछों को रोपण कालक्टर में शामिल कुल 4 खदानों की द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें वरिष्ठ परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 12 नए पीछों को कुआरोंपन (4 पीछों से 8 पीछों तक) के पीछे - आम, जलजुन एवं कटहल) के लिए राशि 1,800 रुपये, सिपाई के लिए राशि 4,000 रुपये, चाद के लिए राशि 600 रुपये, फेंसिंग तथा एच-रखाव आदि के लिए राशि 6,400 रुपये, इन प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 28,800 रुपये हेतु परियोजना आवक का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्थान (संख्या डी/एच/1823, क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

21. वीईआर के तहत प्रस्तावित कार्यकरण हेतु दाम संशयता का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
22. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल माथ 18.217 घनमीटर है। इसमें से 1.178 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी 7.5 मीटर चौड़ाई (वाहनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सीलाकर कुआरेशन के लिए उपयुक्त किया जाएगा व शेष 18.739 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर एकत्रण पथान अनुसार रखा जाएगा। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 484 एवं 1583, कुल रकबा 0.18 हेक्टर) में संशोधित कर संबंधित रखा जाएगा।
23. कर्पोरल कर्मचालन अधिनियम जल संरक्षण संयम महाराष्ट्र, जिला-वाघमण्ड के अन्तर्गत दिनांक 07/10/2022 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित भूमि महानदी से लगभग 880 मीटर एवं चौड़ाई मात्र 80 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो की स्थल निरीक्षण एवं दायता पंथानमा के अनुसार कभी भी अनापत्ति नहीं हुआ है" का उल्लेख है।
24. ऊपरी मिट्टी को कार्यकरण लीज क्षेत्र के अंदर सेपटी जोग में 1 मीटर की चौड़ाई तक सम्शोधित करने तथा शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संशोधित कर संबंधित रखा जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विख्या न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयुक्त पुनर्स्थापन हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परिवोधना से जिन-जिन स्थलों से पशुजिदिय डमट पलायन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचनका की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सधन कुआरेशन किये जाने एवं सेमित पीपी का करसाईयात रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. फलीकण्ड अदरु पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परिवोधना प्रस्तावक द्वारा मिनरला कर्मचालन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बायलडू विस्तरा द्वारा सीमाकरण का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परिवोधना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विस्तरा इस परिवोधना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प पेश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लखित नहीं है।
31. परिवोधना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विस्तरा भारत सरकार, कर्मचालन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना जा.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई एकत्रण का इकनम लखित नहीं है।

32. लोक सुनवाई के दौरान जो भी आवेदन, मुद्दा या मुद्दे उठाये गये हैं उसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जानकारी के अनुसार निराकरण काने बाबत सख्य पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण की गाईडलाइंस के अनुसार कलक्टर में स्थितित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के द्वारा-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत सख्य पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. आवेदित खदान को शामिल कर कलक्टर में कुल 4 खदानें हैं। कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहायितता सेवारत कर नक्शों में प्रदर्शित कर्तव्य दूरे जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कर्तव्य हेतु अनुबंध कनाकन जानकारी प्रस्तुत की गई है।
35. कलक्टर में जाने वाले खदान के लिए सेवारत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का आवेदन एवं दस्तावेज सहित नक्शों में प्रदर्शित दूरे पुनर्विचार कर प्रस्तुत किया गया है।
36. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहायितता, सदस्यों के रख-रखाव एवं कुशासन कार्य के वॉलेंटरी एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, प्लान संशोधन के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या अखीबाप्ट पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) सहित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहायितता, सदस्यों के रख-रखाव एवं कुशासन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत सहित त्रि-पक्षीय समिति से सहायित कराया जाना आवश्यक है।
37. मानवीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट सेक्टर, नई दिल्ली द्वारा सर्वेड पारम्परिक विस्तृत भारत साक्षार, पर्यावरण, जन जीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एक्सिडेंट नं. 188 जीक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 12/09/2018 को पारित आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्देश दिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्य), जिला-बहासमुंद के द्वारा तारीख 828/क/सखि/न.अ./2021 बहासमुंद, दिनांक 08/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.82 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (प्लान-अडोली) का सख्या 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्लान-अडोली) को मिलाकर कुल सख्या 23.82 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में सीकृत/संचालित खदानों का कुल

क्षेत्रफल 8 हेक्टर से अधिक होने के कारण यह खदान सी-1 श्रेणी की घोषणा की गई।

2. माता सरदार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2020 (पंचा संशोधित) के प्रावधानों एवं मानकीकृत एच. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कस्तूर में खाने वाली खदानों की परखनन प्रतिविधिओं से पर्यावरणीय खतरों पर पड़ने वाले प्रभावों की संकलन हेतु कस्तूर में खाने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कस्तूर हेतु जीवन दृष्टिकोणमेंट सेक्टरमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा विनियमित बनाने हेतु संघालक, संघालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्मी, इंदौराठी मकान, नया रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (उत्तीसगढ़) के स्थान से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
3. सी.ई.आर. की तहत प्रस्तावित कार्यकाल हेतु राम संघघत का संप्रति पत्र एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीसगढ़ में अधिवर्त रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुसंसा की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्त उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स अछोली फ्लेम स्टोन माईन (प्रो.- सी विष्णु साहू) को राम-अछोली, राहसील व जिला-महासमुंद्र के खसरा क्रमांक 79/2 एवं 1307 में स्थित कहीं खान (मीन खनिक) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टर, क्षमता-8,738 टन (2,808 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-25 में वर्णित शर्तों के अधीन शर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुसंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्तानुसार जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., उत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लेख किया जाए।

11. मेसर्स सीजी साईन स्टोन क्वारी (प्रो.- सी वेणु चन्द्राकर), राम-गौजी, राहसील-बुरुच, जिला-बगराठी (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1711)

खोजाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एस.आई.ए./ सीजी/ एस.आई.ए./ 218708/2021, दिनांक 18/08/2021 द्वारा टी.जी.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एस.आई.ए./ सीजी/ एस.आई.ए./ 288418/2022, दिनांक 12/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित पुरा खान (मीन खनिक) खदान है। खदान राम-गौजी, राहसील-बुरुच, जिला-बगराठी स्थित खसरा क्रमांक 1033/1, 1035, 1042, 1053/1, 1054/1, 1054/2, 1055, 1056/1, 1056/2, 1057, 1058, 1061, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1063, 1064, 1065, 1066, 1070, 1078, 1077, 1078 एवं 1087, कुल क्षेत्रफल-4.08 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित परखनन क्षमता-58,871.88 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. उत्तीसगढ़ के प्राचन क्रमांक 1371, दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकल्प 'सी' कोटेशन का होने के कारण माता सरदार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकल्पित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिजोर्स (टी.जी.आर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोसेक्चर/एक्टिविटीज रिक्वायरी

इन्फार्मेट ऑपरेस अम्बल ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 में उचित सेपी 1(ए) का स्टैम्पड टैबलेशन (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.जी.आर. जारी किया गया है।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., जलसमय के ज्ञान दिनांक 22/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 437वीं बैठक दिनांक 30/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रोमंड बन्दाकर, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एच एम सील्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हरीन शिवाचर्यीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत फाईनल ई.आई.ए. आवेदन में समस्त अंशक 1008 का उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा समिति के सभ्य सीई-1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाइन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को सीई-1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाइन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., जलसमय के ज्ञान दिनांक 18/01/2023 के परिप्रेक्ष्य में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 30/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 08/02/2023:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई कि परिशोधना प्रस्तावक को सीई-1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाइन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत गया है।

समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई संबंधित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज संबंधित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., जलसमय के ज्ञान दिनांक 24/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 28/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रोमंड बन्दाकर, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एच एम सील्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हरीन शिवाचर्यीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम संचालक का अनुरोधित प्रमाण पत्र - अवलोकन एवं काल के संकथ में ग्राम पंचायत गोजी का दिनांक 03/12/2022 का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

RE

10

3. उत्खनन योजना - जारी प्लान एरॉस विथ जारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-धनगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 182/खनिज/उत्ख.योजना/प.प./2021-22 कांसेर, दिनांक 13/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-धनगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 445/खनिज/खनि./2022 धनगढ़, दिनांक 21/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर अवधि 8 खदानों, क्षेत्रफल 10.77 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण - कार्यालय कलेक्टर खनिज सख्त, जिला-धनगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 733/खनिज/प.प./2021 धनगढ़, दिनांक 10/08/2021 द्वारा जारी ज्ञापन पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एन्रीकट एवं जल आपूर्ति जदि अतिरिक्त क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. श्री रेवेन्द्र चन्दाकर के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-धनगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 580/खनिज/पथर/उत्ख.पट्टा/2020-21 धनगढ़, दिनांक 25/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंपटा जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। उक्त एल.ओ.आई. में टोलन नुति की जिसे कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-धनगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 731/खनिज/पथर/उत्ख.पट्टा/2020-21 धनगढ़, दिनांक 10/08/2021 द्वारा संशोधित किया गया। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की कैंपटा नुति बाबत न्यायालय, संचालक भीमिडी उक्त खनिज, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 72/2022 द्वारा जारी पठित आवेदन दिनांक 18/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि धनगढ़ गोन खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला धनगढ़ को प्रत्याभूति किया जाता है।" होना बताया गया है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि सारता क्रमांक 1033/1 तथा 1035 श्री सुमेन्द्र चन्दाकर एवं तीन भूमि आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसम्बन्धितकारी, धनगढ़ वनसम्बन्धितकारी, जिला-धनगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/सा.वि./जी/1118 धनगढ़, दिनांक 27/02/2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 30 कि.मी. की दूर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घास-पौड़ी 500 मीटर, स्कूल घास-पौड़ी 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं





सम्बन्धी 10 कि.मी. दूर है। मलानदी 2 कि.मी. एवं मौसमी नाला 80 मीटर दूर है।

11. **परिस्थितिहीन/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिवाली बॉल्सुटेड एरिया, परिस्थितिहीन संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. **खनन खंपरा एवं खनन का विवरण** – विप्लोडिविबल रिजर्व 22,41,000 टन, माइनिंग रिजर्व 13,34,100 टन एवं रिक्वाइरेड रिजर्व 12,87,400 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 13,014.66 वर्गमीटर है। खनन कार्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की इलाजित अधिकतम गहराई 18.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं बाक 28,107.62 वर्गमीटर है। बेस की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संरक्षित आयु 20 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में अंतर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक डैमर के डिजाइन एवं कंट्रोल स्टांनिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंड्रिलिंग जाएगा। सर्वेयर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	41,534.88	षष्ठम	55,712.79
द्वितीय	52,747.35	सप्तम	58,871.88
तृतीय	54,757.83	अष्टम	53,595.83
चतुर्थ	55,435.28	नवम	48,547.43
पंचम	55,399.53	दशम	55,774.39

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति घास पंचायत के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत घास पंचायत का अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **कुशादीपन कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में 3,300 मग कुशादीपन किया जाएगा। प्रस्तुत प्रमाण अनुमान पौधों के लिए प्रति 2,17,800 रुपये, खैरिंग के लिए प्रति 4,20,000 रुपये, काद के लिए प्रति 24,800 रुपये, गिंजाई एवं रक-रखाव अदि के लिए प्रति 2,88,000 रुपये, इस प्रकार कुल प्रति 9,28,300 रुपये व्यय वर्ष हेतु एवं रक-रखाव हेतु कुल प्रति 8,80,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकबद्ध व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **नैर माइनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 243.59 वर्गमीटर क्षेत्र को संकीर्ण होने के कारण नैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुबंधित माइनिंग प्लान में किया गया है।
17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विवरण—**
1. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – सैनिटाइज्ड कार्य 15 अक्टूबर 2021 से 14 जनवरी 2022 को करवा किया गया है। 10 किलोमीटर

(Handwritten Signature)

के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर दू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि मापन, 2 स्थानों पर सड़ती जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. नाइट्रिन पदार्थों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मानक लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	18.4	33.3	60
PM _{2.5}	43.8	62.4	100
SO ₂	7.8	15.8	80
NO ₂	9.9	22.3	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ईआईए के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोरोफिल, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लोड, अमोनिया एवं अन्य रासायनिक तत्वों का मानक लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	42.7	54.5	75
Night L _{eq}	38.3	49.0	70

जो उक्त लेवल के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना— भारी वाहनों / मल्टीएक्सल डीजल वाहनों को समझित करते हुए ट्रैकिंग अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 378 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं बी/सी अनुपात (WC ratio) 0.43 है। प्रस्तावित परियोजना उपरान्त 84 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। उपर्युक्त कुल 462 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं बी/सी अनुपात (WC ratio) 0.48 होगी। विस्तार के उपरान्त भी पी-मॉनिटरिंग/प्रोटेक्टर्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड क्षमता अन्ततः निर्धारित मानक (Good) से भीतर है।

vi. जी.एल.सी. की गणना —

Contributed Concentration Levels Particulate Matter For PM ₁₀					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Incremental GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Resultant Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.	Excavation + loading + Transportation	62.4	1.6	64	100

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जांचावरी प्रस्तुत किया गया है।





18. लोक सुनवाई दिनांक 08/08/2022, घंटा: 10:00 बजे, स्थान – राम संघवल भवन, धान-बोडी, तहसील-बुकार, जिला-बम्बली में संभल हुई। लोक सुनवाई इलाहाबाद सरस्व सचिव, उत्तरीकनरा पर्यावरण संरक्षण संजल, का रावपुर अटल नगर, जिला-रावपुर के पत्र दिनांक 25/07/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- खदान में जो बड़ा अकारिंटग करते हैं। उनके घरो में लेज आबाज जाती है और घरो को नुकसान होता है। खदान अकारिंटग होने से पत्थर खदान से बाहर आ जाती है और घरो में डस्ट का जमाव हो जाता है। गांव वाले यही चाहते हैं कि निम्न स्तर पर अकारिंटग का कार्य किया जाए।
- यहां पत्थर खदान खोलने से किलने लोगों को रोजगार मिलेगा। खदान में बाहर के लोगों को बुलाकर रोजगार दिया जाता है। स्थानिय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रत्यावकी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- शासन के निर्धारित मानक के अनुसार नॉर्मल अकारिंटग दिन के समय में किया जाएगा और उसमें में भी ध्यान रखा जाएगा कि गांव वालों को कोई समस्या न हो। नॉईस काइंट्रोल की टेस्टिंग करने पर वह निर्धारित मानक को भीतर पाया गया।
- खदान में काम करने के लिए यहां के रहवासियों को ही उनके निवा के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी।

20. कंसल्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – परियोजना इलाकाक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल कर्ता हेतु कंसल्टर ने कुल 7 खदानें आती हैं। अब कंसल्टर ने शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य इलाकहित है:-

विवरण	प्रमाण (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परियोजना के दौरान बाइको/प्लुम रॉफ से उत्पन्न हुए उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल सिंक्राज, एम.डी.आर रोड में (बिलवारी से करीबी) 1.5 कि.मी.	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000
एम.डी. आर रोड (बिलवारी से करीबी) से कृषा रोड (30 प्रतिशत जीलन पर) हेतु रॉफ	5,00,000	50,000	50,000	50,000	50,000
एम.डी.आर रोड के घरो के पानी को पंपिंग हेतु रॉफ	18,90,000	-	-	-	-

तारक (7,000 नग) कुसारीपन हेतु	बीज, खाद एवं सब- सखाय हेतु राशि	7,00,000	7,00,000	7,00,000	7,00,000	7,00,000
इन्फ्रासलेन्ट (विनासिक)	मॉनिटरिंग	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
सड़की / पट्टीय मार्ग के संभारण हेतु		2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
शारीक पट्टीय मार्ग के कुसारीपन (2.5 कि.मी. तक)		1,00,000	30,000	30,000	—	—
कुल राशि = 98,80,000		38,70,000	14,80,000	14,80,000	14,30,000	14,30,000

बीमन इन्फ्रासलेन्ट मनेजमेंट प्लान में परिचालन प्रस्तावक की सहायिता निम्नानुसार होगी—

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)	
इष्टतम निबंधन हेतु अभियान के दौरान सड़की/पट्टीय मार्ग के उत्पन्न मूल कुसारीपन के निबंधन हेतु जल सिंचना, एम.डी.आर, रीड में (विनासिकी से कटीली) 514 मीटर	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
एम.डी. आर. रीड (विनासिकी से कटीली) के दोनो तारक (7,000 नग) कुसारीपन हेतु	कुसारीपन (90 इतिहास जीवन दर) हेतु राशि	1,25,000	12,500	12,500	12,500	12,500
	पैसिंग हेतु राशि	4,50,000	—	—	—	—
	बीज, खाद एवं सब- सखाय हेतु राशि	1,10,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
इन्फ्रासलेन्ट (विनासिक)	मॉनिटरिंग	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
सड़की / पट्टीय मार्ग के संभारण हेतु		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
शारीक पट्टीय मार्ग के कुसारीपन		40,000	20,000	20,000	—	—
कुल राशि = 17,88,000		8,38,000	2,42,500	2,42,500	2,22,500	2,22,500

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को समझ विस्तार से वर्षा उपचार निम्नानुसार विस्तृत जमात प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
120	2%	2.4	Following activities at Village - Gaji	
			Paints Van Nirman	12.00
			Total	12.00

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "चरित्र बन निर्माण" के तहत (खदान, बड़ा, पीपल, नीम, आम, कलंज, बेल आदि) कृषासेवा हेतु जमात जमात अनुसार 400 मग पीछे के लिए प्रति 28,400 रुपये, पंशिन के लिए प्रति 37,400 रुपये, खाद के लिए प्रति 1,000 रुपये, सिंचाई तथा सब-सहाय के लिए प्रति 1,68,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 3,32,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 8,75,760 रुपये हेतु घटकवार काम का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत चरित्र बन हेतु ग्राम पंचायत मोड़ी के सहयोगी उपचारत कक्षायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 844, रकबा 5.25 हेक्टेयर में से 0.4 एकड़) को भी संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
23. ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 28,107.82 घनमीटर है। प्रथम वर्ष में जमित 8,204.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को खसरा की सीज क्षेत्र से लगी हुई भूमि (खसरा क्रमांक 1071 एवं 1072) एवं गैर सड़किये क्षेत्र में सम्पन्नित कर संरक्षित रखा जाएगा। उपरोक्त द्वितीय वर्ष में जमित 21,903.32 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को प्रथम वर्ष के सड़किये पिट को पुनर्भरण हेतु उपयोग किया जाएगा।
24. सीज क्षेत्र के घनी जल (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर की चौड़ी सीज घट्टी में) कोई भी उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है और भविष्य में भी कोई उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. ऊपरी मिट्टी को सीज के प्रतिबंधित क्षेत्र (7.5 मीटर) में फौरतकन कृषासेवा के लिए उपयोग किया जाएगा एवं विखनन न करने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. स्टाफिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. सड़किये सीज क्षेत्र के अंदर सभन कृषासेवा किये जाने एवं संमित पीछे का सलाईवाल गेट (Sulphur gate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाधगुटी विलसनी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. उत्तरीसखण्ड आदर्श पुनर्वसन नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. कलक्टर में आने वाले खदान के लिए लैटर कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का अर्थात एवं वेस्टिंग सटिल नक्शे में दर्शाये हुये पुनर्विक्रय का प्रस्तुत किया गया है।
31. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परिवर्धना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
32. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम का.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई परस्पर का प्रकरण ललित नहीं है।
33. आर्देड खदान को शामिल कर कलक्टर में कुल 7 खदानें हैं। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करावन जावकाटे प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
34. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईन के अनुसार कलक्टर में ललित सभी आर्देडों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिशा-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निश्चित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
35. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह बाह्यीक जल स्रोत, कालव, नदी, खाड़ा में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
36. परिवर्धना के दिग-दिग सखती में सुनिश्चित कर करवावन होना, उन सखती पर निश्चित जल सिद्धकय की जावका किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
37. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवर्धना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़की के रख-रखाव एवं कुशासन कार्य के नॉनलॉगिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ओवरसाईटर/प्रतिनिधि, वाम संघाघट के पर्यावरणी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन वा उत्तरीसखण्ड पर्यावरण संरक्षण कण्डल के पर्यावरणी/प्रतिनिधि) ललित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवर्धना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़की के रख-रखाव एवं कुशासन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपलक्ष ललित त्रि-पक्षीय समिति में ललित करावा जाना आवश्यक है।

38. भारतीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बैंक, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अपेक्षित एन.जी.टी. नं. 188 जीए 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP to made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सन्तुष्ट), जिला-बनारसी को इमान क्रमांक 448/खनिज/ख.नि./2022 बनारसी, दिनांक 21/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 10.77 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (घान-गोजी) का क्षेत्रफल 4.58 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घान-गोजी) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 15.75 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में मौजूद/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (पूरा संशोधित) के प्रावधानों एवं भारतीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर में आने वाली खदानों की पर्यावरण बहिर्विधिओं से पर्यावरणीय घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की संकथान हेतु कलेक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करती हुये, कलेक्टर हेतु बौद्धिक इन्फार्मेशन मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संकथान, संकथानालय, भीमिहरी तथा खनिज, इंदारगढ़ी मण्डल, नया राधपुर अटल नगर, जिला - राधपुर (उत्तरांचल) के स्तर से पर्याप्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
3. एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में प्रस्तुतीकरण के दौरान जारी गई वरिष्ठ जानकारी/समावेष्टी/अभिलेखों (साल क्रमांक 33 से 38 तक) को एन.ई. आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की तारी को अधीन पर्यावरणीय लीक्युति की तारी अनुसंधान की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स गोजी लाईम स्टोन कारी (प्री- श्री मेहनत चन्दाकर) को घान-गोजी, तहसील-बुरुद, जिला-बनारसी के खाना क्रमांक 1033/1, 1036, 1043, 1053/1, 1054/1, 1054/2, 1055, 1056/1, 1056/2, 1057, 1058, 1091, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1093, 1094, 1095, 1098, 1070, 1075, 1077, 1078 एवं 1087 में स्थित कुल पथर (मीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.98 हेक्टेयर,

वेसाई अडोली पर्वत भूतन माईन (जे- बी रोडन देवांगन)

को खासतः क्रमांक 126/1, 126/2, 127, 128/1, 128/2, 131, 132 एवं 148/2, कुल लीज क्षेत्र 1.84 हेक्टेयर, जल-अडोली, तहसील व जिला-महाराष्ट्र में कमी पर्वत (लीज खनिज) उत्खानन - 10,844 टन (4,500 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खानन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.84 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज सखन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (घोषों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान के कमी पर्वत का अधिकतम उत्खानन 10,844 टन (4,500 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करतकन पहले कुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों भन्ना सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नॉटिफिकेशन, 2008 (पत्र संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहनी।
3. क्लस्टर हेतु बनतुन खनिज इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिरक्षण सक्रमों एवं खदान से परिरक्षण सक्रम तक पहुँच भनी के संभालन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर नॉटिफिकेशन कार्य किया गया है, वहाँ स्थलों पर प्रतिमाह नॉटिफिकेशन कार्य (जल, जल तथा मिट्टी) किया जाए। नॉटिफिकेशन रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्राल, जटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्राल, रायपुर, एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भन्ना सरकार, रायपुर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. परिरक्षण प्रस्तावक द्वारा खदान से वाष्पन जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की प्रति एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सराही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अनितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सराही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं कार्बोनाट का जल अथवा में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मन्त्राल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि नददा धारक खान संभालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनको खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassng) की जावनी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक

किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि से उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्राधिकारी से अनुमोदित सईन बलोजन प्लान एक चारू से भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. नू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय नू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य राज्यों में जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी विमनी / वेट / पाईप सोरी से पॉलिबुटेन गैटर एलसॉजिन की मात्रा 50 मिमीघास / सामान्य पानीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। इस्कर, सईन, ट्रांसफर पाइप (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जस्ट एक्स्टेंशन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का बेग रिस्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न पर्यावरण जस्ट एलसॉजिन का नियंत्रण प्रभावी एवं निर्धारित रूप से किया जाए। पॉपुलेशन, रेन्डू, संरक्षण क्षेत्र, भराई एवं अन्य जस्ट एलसॉजिन विन्दुओं काट कॉन्सेन्ट कम संरक्षण सिस्टम एवं जल सिद्धांत की आवश्यकता की जाकर इस्कर गैटर संरक्षण / संभाल सुनिश्चित किया जाए। सिंग ड्रेनिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. बहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 से उचित विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा खदान से जारी उच्च शक्ति का कार्बन किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाए।
12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई डेस्ट का डंप / कचारा नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पौधों में कृत्रिमता किया जाए।
13. उत्खनन प्रक्रिया से दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टीन सीईस) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न जाने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरसईन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए।
14. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर संग्रहित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का अन्वयन उपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्भवन के लिए किया जाए।
15. ओवरसईन एवं अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (सिस्ट वॉक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर संग्रहित किया जाएगा। इस प्रकार के संग्रहण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि संग्रहित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विषमता प्रभाव न डाल सके। इनकी लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 20 मिमी से अधिक न हो। ओवरसईन अन्य का धारण रखने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृत्रिमता किया जाए।
16. जहाँ तक संभव हो ओवरसईन एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (सिस्ट वॉक) को खनन के परावत बने पट्टी में पुनर्भवन (सिस्ट किलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के क्षम-वास के सतही जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु नॉर्न पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेंनिंग बॉल / गालोमक ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
18. खनिज का परिवहन लकड़ी वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव का कार्य पर्यावरण प्रदायन योजना से अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23.70	2%	0.477	Following activities at Village-Accholi	
			Plantation at Village Pond with lending	0.691
			Total	0.691

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संश्लेषित ग्राम संघागत से कार्यपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त कर कार्यवाहिक रिपोर्ट में समाहित करती हुई प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अपका उत्तरदायित्व होगा।
21. सी.ई.आर. से अंतर्गत प्रस्ताव के क्षेत्रफल अनुसार कुल 70 नग चौधों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में प्रस्ताव के क्षेत्र में 20 नग चौधों जीवित है। शेष 50 नग चौधों को रोपण उपकरण से सम्मिलित कुल 4 खदानों के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 17 नग चौधों के वृक्षारोपण (4 पीट से 5 पीट ऊंचाई के चौधे - आम, जामुन एवं कटहल) के लिए प्रति 2,500 रुपये, सिंचाई के लिए प्रति 5,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 800 रुपये, पॉलिम तथा एल-सहाय जदि के लिए प्रति 2,500 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल प्रति 17,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 71,200 रुपये हेतु माहवार रूप का विवरण प्रस्तुत जानकारी अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम संघागत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या इन्फ्रास्ट्रक्चर पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/मिट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवले द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यकी विनियमि होगी।
24. परखनन हेतु निश्चित क्षेत्र (साथें तबक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हील रोड, स्टीयरिंग ड्रम आदि में स्थानीय प्रजाति के 1.113 पौधों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। उचित षट्टी का विकास संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
25. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, गैंगू, कर्ज, सीसू, आम, इमली, जर्जुन, सीता आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण (कुल 1,413 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जसा कठिनायत तब के बाढ़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वजह से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विहीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जमी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
26. उचित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का चर्चलक काले टुपे टिपोटिंग (Geotag) फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्थात्किक रिपोर्ट के साथ जमा करे।
27. नईमित लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उचित पौधों का उपरोपण गेट (Boundary gate) 20 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित काले टुपे नूत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
28. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थात्किक रिपोर्ट में समाहित काले टुपे उपरोक्तानुसार पर्यावरण संरक्षण नम्बर एवं एस.ई.आई.ए.ए. अर्थात्किक को प्रेषित किया जाए।
29. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में इस्तापित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में किये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, स्टील इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिशोधना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं किये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परिशोधना से जिन-जिन नदियों से फ्लुइडिफ इन्ट उपलब्ध होगा, उन नदियों का निषणित जल डिफरन्स की व्यवस्था किया जाए।
31. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउन्ड्री निरस्तन द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
32. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पीछा, खर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
33. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार किया जाए। ध्वनि का स्तर परखनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मियों को इयरप्लग/कप आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।



34. विद्यमान लाइसेंसिंग का कार्य सी.जी.एस.एस. द्वारा अधिभूत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए। चरम के छोटे-छोटे दुकानों (सलाई शॉप) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं स्वयं व्यवस्था किया जाए। वेद डिजिटल अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अप्रतिष्ठ डिजिटल किया जाए, जिससे इस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंयुक्त प्रकार में की जावनी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनस्वतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।
37. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा नीम खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ नीम खनिज नियम, 2018 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। साईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि खनिज खनिक कार्य पर लगाये जाती हैं तो ऐसे खनिकों के आवास हेतु उचित सुखा व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जावनी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं को रूप में ही रहनी है, जिसे परिवोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. खनिकों के लिए खाना स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितवासीय सुविधा, पोसाइट टायलेंट आदि की व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. खनिकों का समय-समय पर स्वास्थ्यसुखनन हेतु सर्तिलेस करना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपेक्षित खनिजित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यवस्थित अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार हटाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को दुष्प्रभाव पहुँचाने अथवा व्यवस्थित अधिकारों के अधिकतम अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के संशोधन हेतु अधिभूत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवोजना की समस्तता में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दृष्टा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निष्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
44. परिवोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिवोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परिवोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट www.eseh.mca.gov.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में की गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की तब वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को भेजित किया जाए।

46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए रिपोर्टों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को भेजित किया जाए।
47. एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निरोधन) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निरोधन) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाई गये नियमों, परिशुद्धनव और अन्य अपशिष्ट (ग्रहण एवं सीलनार संयोजन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विफलता अथवा परिवर्तन होने की वजह से एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने कायदा निर्णय ले सके। सहान में कोई भी विस्तार अथवा उन्मथन एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-कार्यालय एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर / महासंचालक कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील मंत्रालय चीन ट्रीब्यूनल के संघ, नेशनल चीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

रायपुर, दिनांक 15/05/2024


अनंद, एम.ई.ए.सी.

मेसर्स आर्मीली ब्लेग एंड सोन बाईनिंग प्रोजेक्ट (प्री-अप्रीक सुधार संयोजन)
की खसला क्रमांक 800, 800 एवं 800, कुल लीज क्षेत्र 3.84 हेक्टर, ग्राम-बाओली,
राजौरा व विभाग-महासमुद्र में फर्शी पालक (ग्रीन बनिज) उत्खनन - 4,104 टन प्रतिवर्ष
हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 3.84 हेक्टर अथवा उत्खननद शक्ति, खनिज खनन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से फर्शी पालक का अधिकतम उत्खनन 4,104 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर फर्शी नुमाये लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों मानत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नीतिनिर्देशानुसार, 2006 (एक संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहनी।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट/चेंजमेंट मैनेजमेंट प्लान के अनुसार क्यूआरप्लान एवं परिष्करण चक्रों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुँच मार्गों के संयोजन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु रीपार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर नॉनिएटिव कार्य किया गया है, उसके स्थलों पर प्रतिमाह नॉनिएटिव कार्य (जल, जल तथा मिट्टी) किया जाए। नॉनिएटिव रिपोर्ट अखीसमण्ड पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय अखीसमण्ड पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर, एच.ई.आई.ए.ए., अखीसमण्ड एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को आर्बायिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं पोल्यूटिव जल (यदि कोई हो), को संपालन की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा खाड़ी जल नदी में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा क्यूआरप्लान हेतु पुनःसंचयन किया जाए। परंतु दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोल्पीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा खाड़ी जल नदी में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपक में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपसर्पित दूषित जल की पुनरुत्पादना भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा अखीसमण्ड पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुमान सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संयोजन बंद करने के उपरोक्त (after ceasing mining operations) समय क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रैसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियाँ, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त

हो। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा स्वाम्य प्राधिकारी से अनुमोदित भाईन बतोजर प्लान एक मल के नीलन इस्तुत किया जाए।

8. नू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय नू-जल बोर्ड से परखनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से परखनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी विन्नी / वेट / पाईट खोले से पाईटकुनेट केतर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिमीघन / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। इतर, खीन, ट्रांसमन पाइप (पाई बोर्ड हो) में वलु प्रदूषण निबंधन हेतु इस्ट एक्स्टेंशन सिस्टम के साथ उल्ल उल्ल का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज परखनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से परखनन पर्यवेक्षण इस्ट परसर्जन का निबंधन इभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पर्येन मर्न, वेम्प, संघटन क्षेत्र, पाई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं इस्ट कंटेनेन्ट कम संघटन सिस्टम एवं जल डिफरन्स की व्यवस्था की जाकर इरका सलु संघासन / संघासन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड डेक्लिन वील का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. बहने, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से परखनन वलु प्रदूषण को पर्यवेक्षण संघान अधिनियम, 1988 एवं वलु (प्रदूषण निवारण तथा निबंधन) अधिनियम, 1987 के उल्ल विनिर्दिष्ट मानकों के अनुक्रम उल्ल जाएगा। परखनन क्षेत्र में परिवेशीय वलु की गुणवत्ता बाला संरक्षण के पर्यवेक्षण, वन और जल वलु पर्यवेक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होने चाहिए।
11. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के बारी तरफ डेक्लिन का कार्य किये जाने के उल्ल ही परखनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
12. लीज क्षेत्र के बारी तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी घट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस घट्टी में 3 पकियों में वृक्षारोपण किया जाए।
13. परखनन प्रक्रिया के दौरान इटाई गई कपटी मिट्टी (टीप सीईल) का उपयोग परखनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि से पुनः उल्लन हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंडन को सिन (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए।
14. कपटी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाला प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कम संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का अन्तर उपयोग, डिक्व एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःबनान के लिए किया जाए।
15. ओवरलैंडन एवं अनुसंधानी / बिडी उपयोग खनिज (वेस्ट रीक) को पुनःक से पूर्व से विन्नीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि भण्डारित पदार्थ आरु-पान की भूमि पर विधित प्रभाव न डाल सके। अन्य की डीचाई 3 मीटर तथा सतह 20 मिमी से अधिक न हो। ओवरलैंडन अन्य का डालन रीकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
16. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडन एवं अन्य अनुसंधानी / बिडी उपयोग खनिज (वेस्ट रीक) को खनन के प्रस्ताव बने नइकी में पुनःबनान (बिक विन्नीत) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का पून उपयोग अथवा उचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न मिट्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सड़की जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु मईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / गार्डरेल्ल हेतु की व्यवस्था की जाए।
18. खनिज का परिवहन कबडई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से वाहन नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50.13	2%	1.01	Following activities at Village-Aacholi	
			Plantation at Village Pond with fencing	1.32
			Total	1.32

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही प्रारम्भिक 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों को कार्य पूर्ण उपरान्त संबंधित काम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त कर आर्थिक रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सम्पत्ता सुनिश्चित करवाये जायता पर्यवेक्षण होगा।
21. सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्ताव के क्षेत्रफल अनुसार कुल 80 नम पीछे की रोपण किया जा सकता है, जमिन में प्रस्ताव के क्षेत्र 10 नम पीछे प्रेषित है। कुशादीय हेतु (आम, जामुन एवं कटहल) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नम पीछे के लिए प्रति 6,000 रुपये, पॉपल के लिए प्रति 8,000 रुपये, खार के लिए प्रति 2,000 रुपये, सिंवाई तथा मख-मखार आदि के लिए प्रति 22,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 38,000 रुपये तथा आगामी वर्ष में कुल प्रति 24,000 रुपये हेतु पर्यवेक्षण व्यव का निराला प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पञ्चायत स्थान (खिला क्रमांक 422 क्षेत्रफल 1.54 हेक्टर) के संघ के जागरणीय प्रस्तुत जानकारी अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुशादीय कार्य के कोन्सल्टिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-क्षेत्र समिति (जेन्टाईटर/प्रतिनिधि) काम पंचायत के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या अतीनागढ़ पर्यवेक्षण संकल्प मण्डल के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुशादीय का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित वि-क्षेत्र समिति से सत्यापित कराया जाए।

23. जब भी निर्देशन दल/अधिकारी निर्देशन हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोद/बंदूक के निर्देशन के साथ-साथ सीई.आर. के तहत आपके द्वारा कतरे गये कार्य का निर्देशन भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
24. प्राचलन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (घरों तक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, ओवरबैंक डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,740 पौधों का समय कुशलतापूर्वक प्रथम वर्ष में किया जाए। हलित पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
25. प्राथमिकता के अन्तर्गत खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में जीव क्षेत्र के अनुसार बग, पीपल, नीम, कर्ज, पीपु, आम, इमली, अर्जुन, पीपल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 800 पौधों का रोपण (कुल 2,540 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कंट्रीवार बार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपजाऊ नहीं होने की वजह से संबंधित धान संसाधन द्वारा चिन्नीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशलतापूर्वक किया जाए। उपरोक्त कुशलतापूर्वक प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त कुशलतापूर्वक प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। कुशलतापूर्वक नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय सौंदर्य निलता की जा सकती।
26. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का प्रलेख करते हुए जिसेटिंग (Geotag) कोटेशनस सहित जानकारी अवैधानिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
27. माईमिंग जीव क्षेत्र के अंदर एवं बाहर समय कुशलतापूर्वक किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुशलतापूर्वक का रख-रखाव अगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करती हुई मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
28. किये गये कुशलतापूर्वक की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) गाँव एवं कोटेशनस अवैधानिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए अतीसमय पर्यावरण संरक्षण कन्ट्रोल एवं एस.ई.आर.ए.ए. अतीसमय को प्रेषित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सीई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई से दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, क्वीक इम्प्लीमेंटेशन मेकेनिज्म प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता से कार्य करना नहीं करते जाने पर पर्यावरणीय सौंदर्य को निलता करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना से दिन-दिन स्थलों से सुविधित इस प्रकार होगा, उन स्थलों पर निर्धारित जल विकल्प की व्यवस्था किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लिअर कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत कानूनी फिलाली द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा टाटा, बीकर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल संधियों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर अनुमान क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मक आदि उपकरण दिए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साधीन जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

34. एंटीपल अनाइस्टिंग का कार्ड सी.जी.एम.एस. द्वारा अधिभूत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए परन्तु के छोटे-छोटे दुकानों (मलाई स्टॉक) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। वेद डिजिटिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अस्थापित डिजिटिंग किया जाए, जिससे अस्ट का एलाजमेंस नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन प्रक्रिया यू-जल स्तर को धरम अखंडतुल प्रभाव में की जादनी एवं उत्खनन प्रक्रिया यू-जल स्तर को नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंख्या एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।
37. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा गीत खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गीत खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। नाईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्ड स्थल पर यदि खनिज अधिक कार्य पर लगाने जाते हैं तो ऐसे अधिकारों को अचरस हेतु उचित सुझा व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जादनी। आवासीय व्यवस्था अस्थापी संरचनाओं को सभ में हो सकती है, जिसे परिवोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. अधिकारों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विधिकारणीय सुविधा, नौबहुत टायलेंट आदि की व्यवस्था परिवोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. अधिकारों का समय-समय पर आखुपेक्षातत हेल्प सुनिश्चित करना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अस्थिष्ट समितित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिभूत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवोजना की समरेखा में परिवर्तन अथवा विविधित शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की वधा में किसी भी शर्त में संशोधन/मिरता करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्खनन / निरन्धन के मागकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
44. परिवोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिवोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्रप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करना कि परिवोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियों सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अद्योवन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अद्योवन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं सूक्ष्मकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।



48. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्तावित शर्तों के पालन की नीतिगत नीति की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण मंत्र एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
49. एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के विज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली नीतिगत हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अधिवर्ध स्वयं से पालन करेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधायी, परिसंकटमय और अन्य अधिशिष्ट (प्रबंध एवं हीमघार संवलय) नियम, 2018 तथा लोक सचिवालय विनियम, 1986 (यथा संशोधित) के अधीन विभिन्न शर्तों की जा सकती हैं।
49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की वजह से एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, यदि एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की सम्पुलता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने का अधिकार ले सके। छद्म में कोई भी विवरण अथवा उन्नयन एन.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, विज्ञान-सहायक एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील केवल तीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, केवल तीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2017 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिनों की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एन.ई.ए.ए.


सदस्य सचिव, एन.ई.ए.ए.

मैसर्स आर्सेली प्रोसेस स्टोन माईन (प्री- बी रिजर्वर चंद्रावन)
को खनन क्रमांक 1170, कुल लीज क्षेत्र : हेक्टर पर घान-आर्सेली, पहलील व
जिला-महासमुद्र में कहीं पर घान (लीज खनिज) परखाना - 5,130 टन (2,137 घनमीटर)
प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) : हेक्टर पर अथवा अतीसगढ़ खनन, खनिज खनन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से कहीं पर घान का अधिकतम परखाना 5,130 टन (2,137 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कन्सलर परसे मुनरि लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अंतर्गत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहनी।
3. कन्सलर हेतु प्रस्तुत कीमत इन्फ्लेमेटरी मैटेरियल आग के अनुसार क्लेयरेंस एवं परीक्षण करवाएँ एवं खदान से परीक्षण करके एक चट्टान शर्तों के संशोधन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. कन्सलर हेतु रीकार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर नॉनितरिग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह नॉनितरिग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। नॉनितरिग रिपोर्ट अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो, अहम नगर, क्षेत्रीय कार्यालय अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., अतीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर की आर्वायिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. आर्वायिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निम्सलित नहीं किया जाए, अनिष्ट इसके प्रक्रिया में अथवा क्लेयरेंस हेतु पुनःस्थापन किया जाए। घरेलू दूषित जल से उपचार के लिए सैप्टिक टैंक एवं सोलरीज की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निम्सलित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं कर्मियों का जल अथवा में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) से अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा खनन खान संशोधन कर करने के उपरान्त (after cessing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन परिधिधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं मृत्ति का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह बात, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु अनुसूक्त

हो। परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्रकिसती से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माइ के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. न्यू-जल के उपयोग हेतु सेन्टीम न्यू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य क्लोज से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी विनयी / वेड / पाईट बोर्ड से पारिकुलेट सेटर उत्खनन की गहराई 30 मिमीट्र / सामान्य कनरीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। उत्तर, खीन, ट्रांसकर पाइपर्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अल्ट्रा-सॉन्डेशन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का वेग नियंत्रण स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न क्लोज से उत्खनन पर्युजिटिव अल्ट उत्खनन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टीच मार्ग, रैम्प, संरक्षण क्षेत्र, चलाई एवं अन्य अल्ट उत्खनन किन्तुओं अल्ट कंटेनमेंट कम सक्षम सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका उचित संभालन / संभालन सुनिश्चित किया जाए। किण्व ड्रेजिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. माट्टी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्खनन वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भवत सक्कर के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन संभालन, गई दिल्ली द्वारा अधिनियमित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. परिवर्तना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के तुरन्त ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाए।
12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / सम्भालन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पकियाओं में क्लारिफिकेशन किया जाए।
13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई कपरी मिट्टी (टीप सीईस) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः प्रहार हेतु अथवा बाहरी औद्योगिक को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
14. कपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुमान निर्धारित स्थान पर संग्रहित कर संग्रहित रखा जाए। मिट्टी का अन्वय उपयोग, किण्व एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्भवन के लिए किया जाए।
15. ओवरलैंडिंग एवं अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से निर्धारित स्थान पर संग्रहित किया जाएगा। इस प्रकार के संग्रहण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावे ताकि संग्रहित पदार्थ आक-पान की भूमि पर विपत्ति प्रभाव न डाल सके। अन्य की लंबाई 3 मीटर तथा क्लोज 25 किमी से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग अन्य का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से क्लारिफिकेशन किया जाए।
16. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रीक) को खदान के परिसर को पट्टी में पुनर्भवन (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया में उत्पन्न सिस्ट लीक क्षेत्र के आस-पास के कटोरी जल कचोरी में प्रवहित न हो। इसे रोकने हेतु गाईन पीट तथा जम्प क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / गार्डरेलिंग ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
18. खनिज का परिवहन कच्चाई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से कालन नहीं मिले। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की कनता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना को अंगीकृत किया जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
18.01	2%	0.32	Following activities at Village-Archoli	
			Plantation at Village Pond with fencing	0.496
			Total	0.496

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के तयकीत इनामिंत कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर वार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने हेतु प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आगामी उत्तरदायित्व होगा।
21. सी.ई.आर. के अंतर्गत सालाना की क्षेत्रफल अनुसार कुल 20 नग पीछों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में सालाना के लिए 20 नग पीछे जीवित है। क्षेत्र 50 नग पीछों को रोपण क्लस्टर में शामिल कुल 4 खदानों को प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 12 नग पीछों को कुशादेपन (4 पीट से 5 पीट कच्चाई के पीछे - आम, जामुन एवं कटहल) के लिए राशि 1,800 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 3,500 रुपये, खाद के लिए राशि 600 रुपये, पौंसिन लकड़-खाद आदि के लिए राशि 4,900 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 12,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 38,800 रुपये हेतु घटकवार खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत सालाना के घाटे और हेतु ग्राम पंचायत कचोरी को सहजीत उपरोक्त पंचायतगत खान (खरवा खाना 1823, क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत जानकारी अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों की रख-रखाव एवं कुशादेपन कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तरीखण्ड पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में





- परिवोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुआरों का कार्य पूर्ण किये जाने के अर्थात् प्रति वि-खीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
23. जब भी निर्देशन प्ल./अधिकारी निर्देशन हेतु स्थल पर जाये, तब उन्हें खदान/खदान/खदान के निर्देशन के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपने द्वारा कराये गये कार्यों का निर्देशन भी अनिवार्य रूप से करना आवश्यकी जिम्मेदारी होगी।
 24. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (जारी करण 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, जीवसर्जन कर्म आदि में स्थानीय प्रजाति के 813 पौधों का सधन कुआरोंपत्र प्रथम वर्ष में किया जाए। इति पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रमुख निदेशन बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
 25. प्राथमिकता के अन्तर्गत खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बस, पीपल, नीम, कर्ज, सोमू, आम, इमली, जर्जुन, सीता आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण (कुल 1,013 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त मात्रा (ज्या कमरेदार तार से बाह्य जाला ही गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में उपयुक्तानुसार कुआरोंपत्र किया जाए। उपरोक्त कुआरोंपत्र प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त कुआरोंपत्र प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट चौड़ाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। कुआरोंपत्र नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय शीट्टी निरस्त की जा सकती।
 26. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का प्लेसब कनो हुये डिपॉजिट (Tagging) फोटोग्राफ सहित जानकारी आवधिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
 27. मॉनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सधन कुआरोंपत्र किये जाने एवं रोपित पौधों का सतर्कता से रिकॉर्ड (Inventory list) का प्रतिगत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुआरोंपत्र का रख-रखाव आगामी 8 वर्ष तक सुनिश्चित करती हुये नूत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
 28. किये गये कुआरोंपत्र की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ आवधिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये इन्टीग्रेटड सर्वेक्षण संकल्प बमबल एवं एस.ई.आई.ए.ए., इन्टीग्रेटड को रोपित किया जाए।
 29. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में इस्तार्थित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में किये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, जीमिन इन्क्वायरीमेंटल मेन्टेनेंस प्लान में परिवोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं चाये जाने पर पर्यावरणीय शीट्टी को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
 30. परिवोजना से विन-विन स्थलों से सुनिश्चित कर्म उत्सर्जन होना, धन स्थलों पर निर्दिष्ट जल विकल्प की व्यवस्था किया जाए।
 31. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा निरस्त कर्मस्थान नियम (Minerals Conservation Rules) के तहत बाधकारी विधियों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
 32. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पीछर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल संचयन के संकल्प एवं संदर्भन किया जाए।
 33. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि उद्घरण के नियंत्रण हेतु आवश्यक प्रावधान किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। लीज ध्वनि वाले क्षेत्रों में कार्य करने वाले

भूमिओं को उपलब्ध/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विधिसमयीय जीव एवं आवश्यकता अनुसार सनका संचार भी कनाया जाए।

34. कंट्रोल प्रसिडिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत डिस्कोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (कनई रोस) को उड़ाने से रोकने हेतु चर्चित एवं सखन व्यवस्था किया जाए। गेट ड्रिडिंग अवका धनु अनुसन्ध निर्यन्त्र व्यवस्था आधारित ड्रिडिंग किया जाए, जिससे सस्ट का उत्सर्जन निर्यन्त्र न हो।
35. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल सत के सार असंभूत इलाक में की जाएनी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल सार के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसन्धियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।
37. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा सौम्य सन्धित का उत्खनन प्रतीसगद सौम्य सन्धित नियम, 2018 के प्रावधानों, अनुसन्धित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय इन्वेन योजना के अनुसार किया जाए। सईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि केम्पिन भूमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिकों को आवास हेतु सन्धित सुका व्यवस्था परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा की जाएनी। आवासीय व्यवस्था असन्धयी संचयनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिवर्तन पूरी होने के परयात् हटाया जा सके।
39. भूमिकों के लिए सनन स्थल पर सखक फेजजल विधिसमयीय सुविधा, सौबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. भूमिकों का समय-समय पर आक्यूथनल हेल्थ सर्विलंस करना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसन्धित प्रालनन योजना के अनुसन्ध सारिक योजना, जिसमें प्रालनन, सन्धित की मात्रा एवं अवशिष्ट सन्धितित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए.ए. प्रतीसगद / पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन सन्धित, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आराय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सन्धितित पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सन्धितित को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अधिकरण अथवा क्षेत्र, राज्य एवं सन्धितिय कानून / विधियों के उत्सर्जन हेतु अधिकृत करता है।
43. एन.ई.आई.ए.ए. प्रतीसगद पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवर्तन की सन्धितता में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट सारों के सन्धितयद सार से पालन न करने की दशा में किसी भी सार में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई सार जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के सन्धितों को और सखक करने का अधिकार सुन्धितित रखा है।
44. परिवर्तन प्रस्तावक न्यूयाम 2 सन्धितिय सन्धितयन पत्रों में, जो कि परिवर्तन क्षेत्र के आस-पास सखक सार से सन्धितित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आराय की सृजना सन्धितित कनेया कि परिवर्तन को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतीय अधिकारण, प्रतीसगद पर्यावरण संरक्षण सन्धित में अवसोकरण हेतु उपलब्ध है। सार ही इसका अवसोकरण वेबसाइट parishad.nic.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई सारों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्थ सारिक रिपोर्ट प्रतीसगद पर्यावरण संरक्षण सन्धित, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यलय, प्रतीसगद पर्यावरण संरक्षण सन्धित, सन्धितूर, एन.ई.आई.ए.ए., प्रतीसगद एवं

Handwritten signature

Handwritten mark

नैसर्गिक आर्सेनीय फ्लोय ग्रेनाइट (ग्रेनाइट) - बी ब्लॉक जल सारणी
 को संख्या क्रमांक 1408 एवं 1280/1, कुल क्षेत्र क्षेत्र 0.87 हेक्टेयर, जिला-अजमेरी,
 राजस्थान व जिला-नहरसरोवर में फव्वी पत्थर (पीपल खनिज) का खनन - 3,777 टन (1,574
 टनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों
 को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (क्षेत्र क्षेत्र) 0.87 हेक्टेयर
 अथवा अतीसगढ़ संसदन, खनिज सारण विभाग द्वारा स्वीकृत क्षेत्र क्षेत्र (दोनों में
 से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से फव्वी पत्थर का अधिकतम
 उत्खनन 3,777 टन (1,574 टनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। क्षेत्र क्षेत्र की
 सीमाओं का सीमांकन कतार परसे कुमारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अंतर्गत, इन और जलवायु
 परिवर्तन, संयोजक द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) के
 प्रावधानों के तहत रहनी।
3. कतार हेतु प्रस्तुत सीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार कृषासेवा एवं
 परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संयोजन का
 कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. कतार हेतु वेबसाइट ई.आई.ए. रिपोर्ट में दिए स्थलों पर निम्नलिखित कार्य किया गया
 है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह निम्नलिखित कार्य (जल, जल तथा मिट्टी) किया जाए।
 निम्नलिखित रिपोर्ट अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय
 अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, राजपुर, एस.ई.आई.ए.ए. अतीसगढ़ एवं
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, इन एवं जलवायु परिवर्तन मंडल, भारत
 सरकार, राजपुर को अर्थात् (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई
 हो), को उपचार की शर्तों एवं पर्याप्त मात्रा की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी
 नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया
 जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा कृषासेवा हेतु पुनः उपयोग किया जाए। घरेलू
 दूषित जल को उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं
 जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित
 नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपत में न मिलने देने हेतु भी
 व्यवस्था की जाए। उपरोक्त दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, इन
 और जलवायु परिवर्तन, संयोजक, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा
 अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के
 अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पदार्थ भारत खनन संरक्षण बंद करने के उपरोक्त (after ceasing mining
 operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों
 के कारण अक्षत (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी
 री-ग्रैसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं धूमि का पुनःस्थापन इस शर्तों तक
 किया जाएगा, जिससे यह धारा, वनस्पतियाँ, जीवों आदि को नुकसान हेतु उपयुक्त

04

0

हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संलग्न प्रधिकारी से अनुमोदित माईन ब्लोअर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. न्यू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय न्यू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्तरीय से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी विमरी / वीट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 80 मिमीघन / सामान्य घणत्व पर से कम सुनिश्चित किया जाए। अकार, सॉल, ट्राइकार प्वाइंट्स (यदि कोई हो) से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ जल छटा का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न एड्जिस्टेबल इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निश्चित रूप से किया जाए। पेंट्स, पॉल्स, रैम्प, संरक्षण क्षेत्र, पहाई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन किण्वुओं इस्ट कंटेनेट कम सॉलेशन सिस्टम एवं जल डिफ्यूज़र की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संभालन / संभालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ड्रेडिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निर्धारण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसूचक रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेष्टीय वायु की गुणवत्ता माता अकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन संशोधन, नई दिल्ली द्वारा अधिनियमित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ सीमिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
12. सीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी चट्टी में कोई वेस्ट का संग्रह / सम्भालन नहीं किया जाए तथा इस चट्टी में 3 परिसरों में कुवारीकरण किया जाए।
13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हवाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरलैंडिंग को स्थिर (स्टेबिलाइज्ड) करने में किया जाए।
14. ऊपरी मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का अथवा उपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःनवाव के लिए किया जाए।
15. ओवरलैंडिंग एवं अनुपयोगी/बिखी अधोन्ध खनिज (वेस्ट रोक) को पृथक से पूर्व से विनियमित स्थान पर भंडारित किया जाएगा। इस प्रकार के भंडारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जायें ताकि भंडारित पराबं जास-कास की भूमि पर विनियमित प्रभाव न डाल सकें। ढग की ऊँचाई 3 मीटर तथा सतह 28 किमी से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग ढग का ढाल रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कुवारीकरण किया जाए।
16. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुपयोगी/बिखी अधोन्ध खनिज (वेस्ट रोक) को खदान के परिसर से गहरी में पुनःनवाव (रिफिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

11/11

10

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया में उत्पन्न सिन्हा जीव क्षेत्र को आस-पास की सड़की जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु साईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटिनिंग वॉल / वास्कोन्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
18. खनिज का परिवहन सड़कें वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बहार नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.05	2%	0.26	Following activities at, Village-Aochel	
			Plantation at Village Pond with fencing	0.348
			Total	0.348

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही वार्षिक 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित काम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर वार्षिक रिपोर्ट में समाहित कराते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा।
21. सी.ई.आर. के अंतर्गत ताताब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 70 नग पीछों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में ताताब के किनारे 20 नग पीछे लक्षित है। शेष 50 नग पीछों को रोपण कालक्टर में शामिल कुल 4 खदानों के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 8 नग पीछों के कुशादीपन (4 पीट से 8 पीट सड़कें के पीछे - आम, जलुन एवं कटहल) के लिए प्रति 1,350 रुपये, सिंघाई के लिए प्रति 2,500 रुपये, खाद के लिए प्रति 450 रुपये, बीसिंग तथा रख-रखाव आदि के लिए प्रति 4,750 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 9,050 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 25,800 रुपये हेतु परदस्तावेज व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कक्षादीपन स्थान (क्षमता क्रमांक 1823, क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर) के क्षेत्र में जानकारी प्रस्तुत जानकारी अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सी.ई.आर. लौकन इन्डियापरोमेटल मैनेजमेंट प्लान, लौकन इन्डियापरोमेटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कें के रख-रखाव एवं कुशादीपन कार्य के सीमितेशन एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रोवराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पराधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसिमाग्र पर्यवेक्षण संस्थान मन्थल के पराधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. लौकन इन्डियापरोमेटल मैनेजमेंट प्लान, लौकन इन्डियापरोमेटल मैनेजमेंट प्लान में

- परिचोदना प्रस्तावक की सहमतिदा, सड़कों के रख-रखाव एवं कुशारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त सड़क वि-स्थीय समिति में सत्यापित कराया जाए।
23. जब भी निर्देशन प्ल./अधिकारी निर्देशन हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोद/भट्टा के निर्देशन के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवकें द्वारा कनाये गये कार्य का निर्देशन भी अनिवार्य रूप से कनाया जानकी जिम्मेदारी होगी।
 24. उत्खनन हेतु निम्नलिखित क्षेत्र (घाटी तलक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, जोयलवर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 273 पौधों का सघन कुशारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। इति पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
 25. प्रथमिकता के अन्तर्गत खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में खोद क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम्, करंज, चीरू, आम, इमली, अर्जुन, खैरल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 134 पौधों का रोपण (कुल 282 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त मात्राका (ज्या करीबान तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशारोपण किया जाए। उपरोक्त कुशारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त कुशारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 8 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। कुशारोपण नहीं करने पर जाते पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
 26. संपिठ किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख कनाते हुये डिफेंसिंग (Dicing) फोटोग्राफ सटिल जानकारी अर्थात्सिक रिपोर्ट के साथ जमा करे।
 27. माईनिंग खोद क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन कुशारोपण किये जाने एवं संपिठ पौधों का वार्षिकीय रेट (Annual rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुशारोपण का रख-रखाव अगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित काले हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
 28. किये गये कुशारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एम. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थात्सिक रिपोर्ट में समहित काले हुये परतीमगठ पर्यावरण संरक्षण मन्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकणक को प्रेषित किया जाए।
 29. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर इतिबधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में किये गये आवसालन के अनुसार कार्य कना, कौचन इन्ड्यामटेमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परिचोदना प्रस्तावक की सहमतिता के कार्य कना नहीं काने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त काने की कार्यवाही की जाएगी।
 30. परिचोदना के दिन-दिन स्थलों के फोटुग्रेफिक अल्ट उपलब्ध होना, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
 31. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बायम्प्टी पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
 32. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा तासाब, पीकर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संरक्षण किया जाए।
 33. परिचोदना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम काने वाले

अधिकारी को इवेंट/कार्य/कार्यक्रम/कार्यक्रम/कार्यक्रम पर विधिक/वैधानिक जांच एवं अख्तियारिता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

34. कंट्रोल ब्यारिस्टिंग का कार्य सी.जी.एन.एस. द्वारा अधिभूत विम्बोटक लाईसेंस धारक (Explosives License Holder) द्वारा किया जाए यद्यपि के छोटे-छोटे दुकानों (मलाई पीक) को उठाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। वेद द्विगुण अथवा त्रयुग प्रचुरता नियंत्रण व्यवस्था अख्तियारित द्विगुण किया जाए, जिससे सख्त का उन्मूलन नियंत्रण में रहे।
35. उखानन प्रक्रिया सू-जल सार के उपर असंतुष्ट प्रमाण में की जाएगी एवं उखानन प्रक्रिया सू-जल सार के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उखानन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि जनसंघर्षों एवं जांच-अनुसंधान पर दुष्प्रभाव न हो।
37. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सौम्य खनिज का उखानन अतीसगढ़ सौम्य खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उखानन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1962 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि कोयला अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अधिकारी को आवास हेतु उचित सुख्खा व्यवस्था परिशोधन प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था अथवा संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिशोधन पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. अधिकारी को लिए खानन स्थल पर सख्त पैदावार विधिक/वैधानिक सुविधा, मंचाइन टायरलेट आदि की व्यवस्था परिशोधन प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. अधिकारी का समय-समय पर आकस्मिकता हेतु सर्वोत्तम कमान्ड आदेशक है।
41. उखानन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उखानन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उखानन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्बन्धित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. अतीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आवास किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को मुक्तदान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा कोन्ट्रोल एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए. अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिशोधन की समरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट हार्ड के संतोष्यद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी हार्ड में संशोधन/निलस्त करने अथवा नई हार्ड जोड़ने अथवा उत्खानन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
44. परिशोधन प्रस्तावक अतिसगढ़ 3 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिशोधन क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की 7 दिनों के भीतर इस आवास की सूचना प्रसारित करना कि परिशोधन की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पर की प्रतिक्रिया सविधान्य, अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parishad.nic.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई हार्ड के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, राधपुर, एस.ई.आई.ए.ए. अतीसगढ़ एवं



एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव शर्तों के पालन की नीतिदरिण की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए समीक्षाएँ एवं आवेदन का पूर्ण गैर एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
47. एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के निदेशिका/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली नीतिदरिण हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धकृत्य और अन्य अपशिष्ट (प्रकाश एवं सीमाचार संयंत्र) विनय, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (सकल संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने का कर्तव्य ले सके। अद्यतन में कोई भी विचलन अथवा उन्मथन एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विस्तृत अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

रायपुर राधिका, एच.ई.ए.सी.


रायपुर, एच.ई.ए.सी.

मैसर्स अयोली एलेग स्टील कार्बन प्राईवेट लिमिटेड (एल-बी लिमिटेड कार्बन)

को कक्षात अर्जांक 79/2 एवं 1307, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टर, ग्राम-अयोली, तहसील व जिला-महासमुंद्र में कर्ती पत्थर (ग्रीन फॉर्मिड) उत्खनन - 8,738 टन (2,808 मन्मीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कन्डाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टर अथवा छोटीसमूद्र सासन, खनिज सासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से कर्ती पत्थर का अधिकतम उत्खनन 8,738 टन (2,808 मन्मीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाने परकी मुन्दी लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों परत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (पंचा संशोधित) की शर्तों को तहत खोनी।
3. क्लस्टर हेतु समुक्त सीजन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार कृषासेवन एवं परीक्षण सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुँच शर्तों के संधान का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु रीजन ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट अर्जासमूद्र पर्यावरण संरक्षण मन्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय अर्जासमूद्र पर्यावरण संरक्षण मन्डल, रायपुर, एस्.ई.आई.ए.ए. अर्जासमूद्र एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर की अर्जावर्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. परीक्षण प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं परेले दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अतः इसे प्रक्रिया में अथवा कृषासेवन हेतु पुनःउपयोग किया जाए। परेले दूषित जल के उपचार के लिए सेंट्रिक टैंक एवं सोल्पीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं कर्जासमूद्र का जल अपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा अर्जासमूद्र पर्यावरण संरक्षण मन्डल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पदार्थ वापस खान संभालन कर करने के उपरांत (After closing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान परिधिधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-वाशिंग (re-greening) की जाएगी एवं भूमि का पुनःउपयोग इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह धारा, धनवर्षीयों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त




हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सख्त अधिकारी से अनुमोदित गार्डन स्लोडर प्लान एक मॉड की नींव प्रस्तुत किया जाए।

8. नू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय नू-जल बोर्ड से परखनन आदेश करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से परखनन आदेश करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी किनारी / वेड / प्लाईट बोर्ड से पार्टिकुलेट मैटर परखनन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। अंतर, खनिज, ट्रांसफर प्लांट्स (जदि कोई हों) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम से सख्त जल सखत का बेस फिल्टर स्थापित किया जाए। अग्निज परखनन प्रतिबंधित के विभिन्न स्तरों से परखनन क्वांटिटीज डस्ट परखनन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। धूल, धार, रैम, संवहन क्षेत्र, भवाई एवं अन्य डस्ट परखनन बिन्दुओं डस्ट कंटेनेन्ट कम स्तरों पर सिस्टम एवं जल फिल्टरों की प्रारम्भ की जाकर इसका मासु संभारण / संभारण सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न डेविंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से परखनन वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। परखनन क्षेत्र में परिवेष्टीय वायु की गुणवत्ता मासु सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ सीटिंग का कार्य किये जाने के उपरान्त ही परखनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी चट्टी में कोई वेड का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस चट्टी में 3 परियोजना में कुलरोपण किया जाए।
13. परखनन प्रक्रिया के दौरान इटाई गई अपनी मिट्टी (टीन सीईल) का उपयोग परखनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरसर्बेन को फिल (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए।
14. अपनी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का अन्यत्र उपयोग, विपणन एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्स्थापन के लिए किया जाए।
15. ओवरसर्बेन एवं अनुपयोगी / बिड़ी अवशेष खनिज (विस्त सीक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थान पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाने ताकि भण्डारित पदार्थ जल-घन की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डंप की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 25 डिग्री से अधिक न हो। ओवरसर्बेन डंप का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कुलरोपण किया जाए।
16. जहाँ तक संभव हो ओवरसर्बेन एवं अन्य अनुपयोगी / बिड़ी अवशेष खनिज (विस्त सीक) को खनन के पर्यन्त बने चट्टी में पुनर्स्थापन (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

23. जब भी निरीक्षण टार/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खदान/भद्रा के निरीक्षण के साथ-साथ सीईओआर के तहत अपने द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण भी अधिकारी रूप से करना अपरिहार्य होगा।
24. परखन हेतु निश्चित क्षेत्र (जहाँ तक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र) होल रोड, ओवरबोर्डन ड्रम आदि में स्थानीय प्रजाति के 872 फीट का खाने कुआरोंपन प्रथम वर्ष में किया जाए। इतिहास पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
25. प्रथमिकता के आधार पर खदान प्रयोग द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, चीन्हा, आम, इमली, अर्जुन, खैरल आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 फीट का रोपण (कुल 872 फीट) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या करंटवार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वजह से संबंधित घास पंजावत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुआरोंपन किया जाए। उपरोक्त कुआरोंपन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त कुआरोंपन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 8 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीपल का ही रोपण किया जाए। कुआरोंपन नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
26. संवित किये जाने वाले पीपल में संख्यांकन (Numbering) एवं पीपल के नाम का उल्लेख करते हुए टैगिंग (Tagging) फोटोग्राफ सॉल्ट जानकारी अर्थात्सिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
27. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर खाने कुआरोंपन किये जाने एवं संवित पीपल का सवाइवल्स रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुआरोंपन का एक-एकाने अगामे 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीपल को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
28. किये गये कुआरोंपन की पुष्टी हेतु सी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ अर्थात्सिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये जमीनगत पर्यावरण संरक्षण नमूने एवं एस.ई.आई.ए.ए. जमीनगत को संवित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थापित कार्य, सीईओआर के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुधारों में दिये गये आवश्यकता के अनुसार कार्य करना, वीमन इन्फ्रामरीनेटल केनेलमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पावे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से सुविधित अस्त उपसर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सफाई की व्यवस्था किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निरस्त कनेक्शन नियम (Minerals Connection Rule) के तहत बालकृषि विस्तार द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पीछर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों को संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि इच्छुष्य के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार किया जाए। ध्वनि का स्तर परखन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारी को इलायत, मक आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर विकिरणशील जीव एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

10

10

34. संश्लेष प्रमाणित कर कार्य की जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत लिसेंसहोल्डर (Explosives License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े (साई-रीस) को उड़ाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। बेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अधिनियम त्रुटिनिंग किया जाए जिससे बमट का प्रसारण नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन प्रक्रिया यू-जल सार के जल असंतुलित प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया यू-जल सार के पीछे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन प्रत्तीक्षणद ग्रीन खनिज नियम, 2015 के प्राक्कानी, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1982 के प्राक्कानी का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि केमिंग शक्ति कार्य पर जगती जाती है तो ऐसे शक्तियों को आवास हेतु उचित सुरक्षा व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. शक्तियों के लिए खनन स्थल पर सख्त पैपवॉल विविधताहीन सुविधा, मॉन्टरिंग टावरलैट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. शक्तियों का समय-समय पर आसूरेक्षणल ईला सुविर्तित कानाना आसूरेक्षण है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपेक्षित सन्निहित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए.ए. प्रत्तीक्षणद / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी अतिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को मुक्तान परीक्षण अथवा अधिकृत अधिकारों के अधिकतम अंतरा बॉन्ड, राज्य एवं स्थानीय जन्तुओं / विधियों के अन्तर्गत हेतु अधिकृत करता है।
43. एन.ई.आई.ए.ए. प्रत्तीक्षणद पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की संपत्ति में परिवर्तन अथवा विविधित शर्तों के संशोधनद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा प्रसारण / निरक्षण के पानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय सभावार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आम-वस आवाक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियों सविभाजन, प्रत्तीक्षणद पर्यावरण संरक्षण मन्डल में अन्तर्लोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अन्तर्लोकन वेबसाइट parivash.nic.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रत्तीक्षणद पर्यावरण संरक्षण मन्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रत्तीक्षणद पर्यावरण संरक्षण मन्डल, रायपुर, एन.ई.आई.ए.ए. प्रत्तीक्षणद एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को भेजित किया जाए।

46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में इच्छा रखी की जावन की नॉनिएटिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना इलाकाक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय इंधन नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/ अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली नॉनिएटिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं करने जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
48. परियोजना इलाकाक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना। ये शर्तें जल (इंधन नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (इंधन नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधायी परिसंकेतमय और अन्य उपविष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संयोजन) नियम, 2018 तथा लोक सभित सीमा अधिनियम, 1987 (जका संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत कियेल में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की वक्ता में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सभित सुचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार वन शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने सक्षम निर्णय ले सके। सदान में कोई भी विचलन अथवा वनधन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को वनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-भाषार एवं पर्यावरण संरक्ष एवं कलेक्टर/तहसीलदान कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए इवर्षित करना।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के सभल, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2018 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

राज्य सचिव, एस.ई.ए.सी.


-अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

पैदाई बोझी लाईम स्टोन कार्टी (जी - बी सेक्टर घन्टाघर)

की संख्या क्रमांक 1033/1, 1035, 1043, 1053/1, 1054/1, 1054/2, 1055, 1055/1, 1056/2, 1057, 1058, 1061, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1063, 1064, 1065, 1066, 1070, 1076, 1077, 1078 एवं 1087, कुल लीज क्षेत्र 4.58 हेक्टेयर, घान-बोझी, पहाड़ील-कुण्ड, जिला-बमहाली में घना पत्थर (पीप खनिज) उत्खनन - 58,871.88 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

एक पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को अधीन ही जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा सड़कई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. एक पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.58 हेक्टेयर अथवा पहाड़ीलगत सारान, खनिज सारान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से घुस पत्थर का अधिकतम उत्खनन 58,871.88 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाने वाले मुनारे तलावा जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेंगी।
3. क्लस्टर हेतु वसुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार कुशासन एवं परिचालन सड़कई एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुँच मार्गों के संभालन का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उसके स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट पहाड़ीलगत पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय पहाड़ीलगत पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रावपुर, एस.ई.आई.ए.ए. पहाड़ीलगत एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रावपुर अटल नगर की अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. परिवहनका प्रभावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निसर्गित नहीं किया जाए, अर्थात् इसी प्रक्रिया में अथवा कुशासन हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सैप्टिक टैंक एवं सोलरपैट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निसर्गित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की मुनकाल भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा पहाड़ीलगत पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक सारान संभालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operators) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उक्त खान नसिधियाँ

के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, जंगली घी-घसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चार, सप्तदशवीं, बीसवीं आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्रतिकारी से अनुसूचित माईन वर्गीकृत पत्तन एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. नू-जल के उपयोग हेतु संबंधी नू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किने जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी किलनी / वेद / फाईर सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिमीघाघ / साप्ताह्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्वार, स्कीन, ट्वाकाफ फाईट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम के साथ साथ बसता का बेस किल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन परिशोधन के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न स्पुजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। धूल, चार्ज, रैन्, संवहन क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेंट कम संवेदन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इनका उत्तम संभालन / संभालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड डेकिंग बोल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. बाइनी, क्वार एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अतुल्य रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवर्तित वायु की गुणवत्ता भगत क्वार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा क्वारन के चारों तरफ बॉमिंग का कार्य किने जाने से उपरोक्त ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी नई 7.5 मीटर की चौड़ी चट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस चट्टी में कृषारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्विकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती।
13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः स्थापन हेतु अथवा बाइनी ओवरबॉर्न को स्थिर (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए।
14. जंगली मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रभाव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुस्प्रयोग, विक्रय एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग क्वारन के पुनःस्थापन के लिए किया जाए।
15. ओवरबॉर्न एवं अनुसूची/बिड़ी अयोग्य खनिज (वेस्ट रोक) को पृथक से पूर्व से विच्छेद स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाये ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। कम की लंबाई 3 मीटर तथा स्रोत 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबॉर्न अप का क्षय रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृषारोपण किया जाए।

16. जहाँ तक संभव हो संभवतः एवं अन्य अनुमोदी/विहीन अधोपत्य खनिज (सिंह पीठ) के खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (सिंक फिलिंग) हेतु उपयोजन किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा खनिज वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
17. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन इतिहास से उत्पन्न सिन्क पीठ क्षेत्र के आक-वास के सही जल स्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा अन्य क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / बायोरेकट ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
18. खनिज का परिवहन कच्चाई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को अमला से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना को अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
120	2%	2.4	Following activities at Village - Goj	
			Pavitra Van Minnan	12.00

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आधिकारिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अथवा उत्तरदायित्व होना। कुशलतापूर्वक असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
21. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (खदम, बह, पीपल, नीम, आम, कर्ज, केल आदि) कुशलतापूर्वक हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नम पीपल के लिए राशि 20,400 रुपये, पेंसिल के लिए राशि 37,400 रुपये, साब के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए राशि 2,00,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,32,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,75,780 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत के सहमति पश्चात ग्राम पंचायत मौज्जी अंतर्गत पंचायत स्थापन कार्यालय क्रमांक 044, बीकानेर 3,86 हेक्टर में से 0.4 एकड़ में कुशलतापूर्वक कार्य के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सी.ई.आर. कोषम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कोषम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवोजना प्रस्तावक की सहमतिता, गड्ढों के रक-रखाव एवं कुशलतापूर्वक कार्य के निमित्त एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-खीय समिति (मिनराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या समीक्षक पर्यावरण संरक्षण मन्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कोषम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कोषम इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में

Handwritten signature

- परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों की रख-रखाव एवं कूड़ाचोपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त उचित वि-जडिय सभिति से सत्यापित कराया जाए।
22. जल की निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खोद/घट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराया जायकी जिम्मेदारी होगी।
 24. कूड़ाचोपन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (जहाँ लम्ब 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, ओवरहाईड लाइन आदि में स्थानीय प्रजाति के 2,200 लग कुओं का माध्यम कूड़ाचोपन प्रकल वर्ष में किया जाए। उचित घट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
 25. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रकल द्वारा वर्ष 2022-23 में कम से कम 800 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, पीपु, आम, इमली, कर्जुन, नीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पीछों का रोपण (कुल 4,200 पीछों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जथा कंटेनर टार के बाह्र कच्चा डी पार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कूड़ाचोपन किया जाए। उपरोक्त कूड़ाचोपन प्रकल वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त कूड़ाचोपन प्रकल वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पीछों का ही रोपण किया जाए। कूड़ाचोपन नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय नवीकृति तालिका निरस्त की जा सकती है।
 26. रोपित किये जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Marking) एवं पीछों के नाम का तालिका बनाने हुये डिपॉजिट (Deposit) फोटोग्राफ सहित जानकारी मातल प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
 27. माईमि लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर मातल कूड़ाचोपन किये जाने एवं रोपित पीछों का संसाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कूड़ाचोपन का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पीछों के कूड़ाचोपन की सफल बनाना आगामी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
 28. किये गये कूड़ाचोपन की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ आंतरिक रिपोर्ट में सम्मिलित बनाने हुये प्रतीकण्ड पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं सी.ई.आर.ए.ए., प्रतीकण्ड को प्रेषित किया जाए।
 29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में किये गये आलक्षण के अनुसार कार्य करना, कोकल इन्फ्रास्ट्रक्चरल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय नवीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
 30. परियोजना से दिन-दिन स्थलों से प्युनिटिव अन्त परस्मार्जन होगा, उन स्थलों पर निर्भरित जल विप्लव का व्यवस्था किया जाए।
 31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नका कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बायान्ट्री गिल्लरी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
 32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, खोद, नहर, नदी, नाल एवं अन्य जल निकासी के संरक्षण एवं संरक्षण किया जाए।
 33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर परस्मार्जन क्षेत्र में दिन के समय 75 DBA एवं रात्रि के समय





70 DBJA) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मस्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जाँच एवं आत्मपरीक्षा अनुसार उपवास उपचार भी कराया जाए।

34. कंट्रोल प्रान्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एम. द्वारा अधिकृत डिम्पोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए फालन के छोटे-छोटे टुकड़ों (नलाई रोडस) को चढ़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। बेट डिजिटिंग अथवा कानू प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अधीनत डिजिटिंग किया जाए, जिससे बस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
35. उत्खनन प्रक्रिया न्यू-जल सार के उच्च असंतुत प्रमाण में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया न्यू-जल सार के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि बलस्थितियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक बलस्थितियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण अपनाया जायित होना।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मौल खनिज का उत्खनन फलीफलद मौल खनिज नियन्, 2015 के प्रावधानों, अनुसूचित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1982 के प्रावधानों का फालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि कंसिंय श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. श्रमिकों के लिए खानन स्थल पर मरुदा पेयजल चिकित्साकीय सुविधा, मोबाइल टापलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. श्रमिकों का समय-समय पर आरुदेतमल हेल्थ सर्विसेस बनाना आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसूचित उत्खनन योजना के अनुसार बालिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अवशिष्ट समिश्रित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एम.ई.आई.ए.ए. फलीफलद / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा क्षेत्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एम.ई.आई.ए.ए. फलीफलद पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की सफाई में परिवर्तन अथवा विनिश्चित शर्तों के संतोषद्वय रूप से फालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संतोषन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थायीय सफाचार पत्तों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करनेका कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति बच की प्रतियों सचिवालय, फलीफलद पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एम.ई.आई.ए.ए. फलीफलद की वेबसाइट www.mca.gov.in पर भी किया जा सकता है।

File

0

45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्हता संबंधित रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, बीबीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्तावित शर्तों के पालन की नीतिनिर्देश की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों एवं आवेदन का पूर्ण रीट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
47. एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के निदेशिका/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली नीतिनिर्देश हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंरक्षण और अन्य अधिनियम (प्रबंध एवं सीमांकन संरक्षण) नियम, 2018 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (ज्या संबंधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
49. असाध्य परियोजना के बारे में एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विफल अवस्था परिवर्तन होने की वजह से एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अवस्था नवीन शर्त विनिर्दिष्ट करने का बंधन निर्भव हो सके। अतः में कोई भी विफल अवस्था उत्पन्न एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उम्मेद क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-आफिस एवं राष्ट्रीय बोर्ड एवं कन्सेप्टर/कंसल्टन्ट कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करना।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के सम्मुख, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

राज्य सचिव, एच.ई.ए.सी.


अध्यक्ष एच.ई.ए.सी.